लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 22 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25, सोमवार, 18 दिसम्बर, 1972/27 अग्रहायण, 1894 (शक)
No. 25, Monday, December 18, 1972/Agrahayana 27, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—27
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
484. गुजरात को सहायता कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Gujarat for Relief Works ...	1—4
485. न्हावा शेवा-पत्तन परियोजना	Nhava Sheva-Port Project ...	4—5
487. गुजरात में भूमिगत जल से रहित भूमि	Acreage of Land Devoid of under ground Water in Gujarat ...	5—6
488. गोविन्दवल्लभ पन्त कृषि तथा टेकनालाजी विश्वविद्यालय पन्त नगर का बन्द होना	Closure of G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar...	6—9
490. बिहार में आपात्कालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Crash Programme for Food Production in Bihar ...	9—12
491. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास	Economic Betterment of SC & ST ...	13—15
493. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विचार-गोष्ठी	WHO Seminar on Rural Health Services...	15—18
494. मत्स्य पत्तन धामारा, उड़ीसा के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Fishing Harbour Dhamara, Orissa ...	18—20
496. भारतीय खाद्य निगम द्वारा नमी मापक यन्त्रों की खरीद	Purchase of Moisture Meters by F.C.I. ...	20—21

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
497. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, में एक हरिजन लड़के का जल जाना	Burning of a Harijan Boy in Ghaziabad UP ...	21—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		27—154
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
481. दिल्ली स्थित सुपर बाजारों में घाटा और पूंजी निवेश	Losses and Investment in Super Bazars in Delhi ...	27
482. दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन	Allotment of DDA Flats/Plots ...	28
483. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकानों को सम्पदा निदेशालय द्वारा आवंटन/किराये पर लिये जाने की योजना	Scheme to take on Rent Houses Constructed by DDA by Estate Office for Allotment ...	28—29
486. फसल के पौधों के बारे में भारत-रूस विचार-गोष्ठी	Indo-Soviet Symposium on Crop Plants ...	29—31
489. केरल में सामूहिक फार्मों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Help for Establishment of Collective Farms in Kerala ...	31
492. छोटे किसानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres for Small Farmers ...	31—32
495. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नाम अनुसूची से शनैः शनैः हटाने के लिए कालबाधित कार्यक्रम	Time Bound Programme for Progressive De-Scheduling of SC and ST ...	32
498. विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना	Regional Languages as Medium of Instructions in Universites ...	32—33
499. होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का मानवीकरण	Standardisation of Medical System of Homeopathy ...	33—34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
500. दिल्ली में सहकारी समितियों की ओर बकाया राशि	Arrears Outstanding Against Co-operative Societies in Delhi ...	34
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4650. मध्य प्रदेश में मुरैना स्थित एक सहकारी चीनी कारखाने में चीनी का उत्पादन	Production of Sugar in a Co-operative Sugar Factory in Morena, MP ...	34—35
4651. नई दिल्ली स्थित आर० के० पुरम में क्वार्टरों को आगे किराये पर दिया जाना	Sub-letting of Quarters in RK Puram, New Delhi ...	35
4652. 29 जुलाई, 1972 के ब्लिट्ज में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज (हैदराबाद)—होटबैड आफ सैक्स एण्ड करप्शन "[प्रशासनिक स्टाफ कालेज (हैदराबाद) यौन और भ्रष्टाचार का अड्डा]" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	Report appearing in the "Blitz" dated the 29th July, 1972 Captioned "Administrative Staff College (Hyderabad) Hotbed of sex and Corruption" ...	36
4653. टेलीफोन तथा टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा अधिकृत आवास-स्थान	Officer of Telephone and Telegraph Engineering Department occupying Accommodation ...	36—37
4654. दिल्ली दुग्ध योजना के संपूर्ण दिवस कार्य करने वाले दुग्ध स्टालों के मैनेजरों के विरुद्ध विचाराधीन पड़े सतर्कता सम्बन्धी मामले	Vigilance cases pending against Managers of All Day Stalls of Delhi Milk Scheme ...	37
4655. डेरा इस्माइल खां सहकारी-गृह निर्माण समिति, दिल्ली द्वारा भूमि का विकास	Development of Land by the Dera Ismail Khan Co-operative House Building Society, Delhi ...	38
4656. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दिल्ली में मकान कर निर्धारित करने के बारे में नये अनुदेश	New Instruction to assess Houses in Delhi Under the Delhi Rent Control Act, 1958 ...	39
4657. दिल्ली में रिहायशी मकानों का कार्यालय प्रयोजनों हेतु दुरुपयोग	Misuse of Residential premises for Office purposes in Delhi ...	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4658. निवासी संघ द्वारा दिए गये अभ्यावेदन पर निर्णय	Decision on the representation made by the Residents Federation ...	40
4659. भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय के लिए रिहायशी क्षेत्रों का कथित दुरुपयोग करने के मामलों को विनियमित करना तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन पर मुकदमें चलाना	Regularisation of alleged misuse of Residential Areas for Office use by Land and development Office and Prosecution by DDA ...	40—41
4660. दिल्ली भू प्रबन्ध जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Delhi Land Management Investigation Committee ...	41
4661. परामर्शदात्री समिति और बोर्डों के सदस्य	Members on Consultative Committees and Boards ...	41—43
4662. मैसूर में धान का व्यापार	Trade in Paddy in Mysore	43—44
4663. 1972-73 में कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर चावल और गेहूं की सप्लाई	Supply of Rice and Wheat to Weaker Section at subsidised Rates during 1972-73 ...	44
4664. वर्ष 1971-72 में कार्य दिवसों की संख्या, चीनी की वसूली की प्रतिशतता और गन्ने के लिए दिया गया मूल्य	Number of working Days average percentage of recovery and Price paid on account of Sugarcane during 1971-72...	44
4665. काली सूची में दर्ज ठेकेदारों की सूची	List of Contractors black listed	45
4666. दिल्ली में आरक्षित पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के अध्यापकों को स्थायी करना	Confirmation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Teachers working against reserved Posts in Delhi ...	45
4667. अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान में कृषि प्रबन्ध पाठ्यक्रम	Farm management course in Indian Institute of management, Ahmedabad...	45—47
4668. कृषि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट अधिकारी और रोजगार तथा मार्गदर्शक ब्यूरो	Placement Officer and Employment and Guidance Bureau in Agricultural University ...	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
4669. भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्रचार करने हेतु युवकों को शिक्षा देने के लिए संस्थान	Institutions for Teaching Youngmen India Culture and tradition for Propagation ...	47—48
4670. ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए पोषक आहार देने की सुविधाओं का विस्तार	Extension of facilities of Nutritious Food for Children in rural area ...	48
4671. तमिलनाडु में गन्ने के मूल्यों का निर्धारित अवधि में भुगतान न किया जाना	Non-payment of sugarcane price within stipulated period in Tamil Nadu ...	48—49
4672. ठेकेदारों से वसूल किया गया जुर्माना	Penalties charged from Contractors ...	49
4673. स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा	Swami Dayanand Hospital, Shahdara ...	49
4674. अन्धा मुगल, दिल्ली में क्वार्टरों के विक्रय-विलेख के कार्य को पूरा करना	Execution of Sale-deeds in Andha Mughal, Delhi ...	49—50
4675. विभिन्न निगमों में कृषि इंजीनियरों की संख्या	Agricultural Engineers on the strength of various corporation ...	50—51
4676. पंत नगर स्थित कृषि विश्व-विद्यालय के स्तर में सुधार	Improvement in Standard of Pant nagar University of Agriculture ...	51
4677. चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिए बसें	Buses for Delhi during Fourth Five Year Plan ...	52
4678. दिल्ली दुग्ध योजना में लाभ तथा घाटा	Profit and Loss of DMS ...	52
4679. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकनों के वितरण के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into destribution of milk tokens by Delhi Milk Scheme ...	52—53
4680. टी-25 ट्रैक्टरों का आयात	Import of T-25 Tractors ...	53
4681. विद्युत् नलकूपों को बिजली देने के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर खरीदने हेतु पंजाब को केन्द्रीय ऋण	Central Loan to Punjab for purchase of Diesel Power Generators to energise Tube Wells ...	53—54

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4682. प्रबन्धकीय प्रतिभा की कमी	Shortage of Managerial Talent ...	54
4683. ट्रैक्टर खरीदने, नलकूप लगाने तथा भूमि समतल बनाने आदि कार्यों के लिए छोटे किसानों को ऋण देने सम्बन्धी योजना	Scheme to grant loans to small farmers for purchasing tractors, installation of tube wells and levelling of land ...	54—55
4684. देश में नेत्र बैंकों की स्थापना	Setting up of Eye banks in the country ...	55—56
4685. पुतली बदलने सम्बन्धी अधिनियम	Corneal Grafting Act	57
4686. जाली चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति	Re-imbursement of Forged Medical Bills...	57—58
4687. मध्यप्रदेश के आदिवासियों का शोषण और उनमें बेरोजगारी	Exploitation and unemployment among Tribals of MP ...	58
4688. महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना	Setting up of Universities in Maharashtra ...	59
4689. खाद्य तथा चीनी लाइसेंस आदेशों के अधीन मारे गये छापे	Raid under the Food and Sugar Licence Orders ...	59—60
4690. चिकित्सा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Medical Education ...	60
4691. कृषि मंत्रालय में रिक्त पड़ा हिन्दी आफिसर का पद	Post of Hindi Officer lying vacant in the Ministry of Agriculture ...	60—61
4692. दिनांक 18 नवम्बर, 1972 के ब्लिट्ज में 'मिनिस्ट्री आफ ऐग्रीकल्चर—अमेरिकन स्नेकपिट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार	Reports appearing in Blitz dated the 18th November, 1972 under the caption 'Ministry of Agriculture—American Snakepit' ...	61
4693. आन्ध्र प्रदेश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन	Underground water resources in drought prone areas of Andhra Pradesh ...	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4694. दक्षिणी राज्यों को अपर्याप्त उर्वरक सप्लाई किए जाने की शिकायत	Complaints of inadequate supplies of fertilisers to Southern States ...	62—63
4695. राजस्थान के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देना	Foreign Scholarships to SC and ST students from Rajasthan ...	63
4696. मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सूखे के कारण हुई क्षति	Damage due to drought in Khandwa District in Madhya Pradesh ...	64
4697. दिल्ली परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा	Safety and Security of passangers travelling by DTC buses ...	64
4698. पोषक आहार सप्लाई करने की योजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता	Help to Maharashtra Government for implementation of the scheme for supply of nutritive food ...	65
4699. दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर तथा रजिस्ट्रार के कार्यालयों को लूटा जाना	Offices of the Delhi University vice Chancellor and Registrar ransacked by students of Delhi College of Engineering ...	65
4700. प्रधान मन्त्री के निवास स्थान में परिवर्तन और परिवर्धन	Alterations and additions in Prime Minister's residence ...	66
4701. अपंग व्यक्तियों को दस्तकारी का प्रशिक्षण	Training to disabled persons in Crafts ...	66
4702. अनुसंधान करने वाले इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण हेतु, बंगलौर स्थित इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस को सुविधाएं	Facilities to Indian Institute of Science at Bangalore for training research Engineers and Scientists ...	66—67
4703. मोटर साइकल तथा स्कूटर चालकों को हेलमेट पहनने के अनुदेश देना	Instructions to motor cyclists and Scooters' drivers to wear helmets ...	67—68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4705. न्यू फ्रैंड्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to New Friends Co-operative Houses Building Societies, New Delhi ...	68—70
4706. प्राथमिकता के आधार पर डेरी उत्पादों का लाना-ले जाना	Movement of Dairy products on Priority Basis ...	70—71
4707. विदेशों में भेजे गए सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegations sent Abroad ...	71—72
4708. भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को पृथक करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से अभ्यावेदन	Representation from West Bengal Government Re : separation of Central ground water board from Geological survey of India ...	72
4709. पश्चिम बंगाल में काजू का उत्पादन तथा उसके लिए बाजार	Production and marketing of Cashew Nuts in West Bengal ...	72—73
4710. वर्ष 1971-72 में भारत के वाणिज्यिक जहाजों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by Commercial Ships of India during 1971-72 ...	73
4711. सिंहों के परिरक्षण के लिए उपाय	Steps to Preserve Lions	73
4712. गुजरात सरकार द्वारा सिंहों के संरक्षण की योजना और इसके लिए केन्द्रीय सहयोग	Plan for Protection of Lions by State Government of Gujarat and Central Collaboration therefor ...	74
4713. खाद्यान्नों के रक्षित भंडार	Buffer Stocks of Foodgrains ...	74
4714. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा डी-1/ए जनकपुरी में दूध की सप्लाई की व्यवस्था	Arrangements for Supply of Milk by DMS at D-1/A Block Janakpuri ...	74—75
4715. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान पर संक्षिप्त पुस्तिका	Booklet on Delhi Master Plan by DDA	75
4716. दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गये प्लाटों पर मकान बनाना	Construction of Houses on Plots purchased from DDA ...	75—76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4717. जीवन-स्तर सुधारने के लिए उपाय	Steps to Raise Level of Living ...	76
4718. शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या	Problem of Unemployed ...	77
4719. भारतीय कृषि-अनुसन्धान संस्थान में बने-बनाये लॉन का विकास	Development of a Ready made Lawns in Indian Agricultural Research ...	77
4720. नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operation ...	78
4721. विभिन्नों फसल पर उर्वरकों के प्रभाव सम्बन्धी अनुसंधान	Research on Effect of Fertiliser on various Crops ...	78
4722. बहु विवाह-प्रथा का परिवार नियोजन कार्यक्रम में बाधक होना	Polygamy a setback in Family Planning Programme ...	79
4723. परिवार नियोजन कार्यक्रम को समान रूप से लागू करने के लिए कानून	Legislation for Uniform Enforcement of Family Planning Programme ...	79
4724. खड़गपुर स्थित भारतीय औद्योगिकी संस्थान में कृषि इंजीनियरिंग के एम० टैक्नोलोजी पाठ्यक्रम में दाखिला	Admission to M. Tech. Course in Agricultural Engineering of IIT, Kharagpur ...	79—80
4725. कंकड़बाग कालोनी, पटना के केन्द्रीय विद्यालय के भवन-निर्माण का कार्य	Construction work on Central School at Kankar Bagh Colony, Patna ...	80—81
4726. सड़कों से प्राप्त राजस्व को सड़कों के विकास पर खर्च किया जाना	Spending of Revenue for the Roads on Road Development ...	81—82
4727. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा उच्च शिक्षा पर आयोजित विचार-गोष्ठी	Seminar on Higher Education Organised by Indian Institute of Advanced Studies...	82
4728. चाँद चक्रों से होने वाली मानसिक अशान्ति	Mental Disturbances due to Lunar Cycles...	82—83
4729. राजस्थान में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम	National Nutrition Programme in Rajasthan ...	83—84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4731.	नये प्रकाश स्तम्भों की स्थापना और जहाजरानी में सहायक सामग्री जुटाने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा योजनाओं का अनुमोदन	Approval of Schemes by Central Advisory Committee for setting up New Light Houses and Providing Navigational Aids ...	84—85
4733.	जिला स्तर पर ट्रैक्टरों की मरम्मत करने और फालतू पुर्जों का भण्डार रखने की योजना	Scheme for Repair and Stock of spare parts of Tractors at District Level ...	85
4734.	गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए नगरों का चयन	Selection of Cities for Improvement of Slum Areas ...	85—86
4735.	भारतीय खाद्य निगम, भुवनेश्वर के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of FCI, Bhuvaneshwar ...	87
4736.	उड़ीसा के तट पर आश्रय क्षेत्र (शेल्टर बैल्ट) बनाना	Creation of Shelter Belt on Coast of Orissa ...	87
4737.	खरीफ की फसल में खाद्यान्न उत्पादन में हुई कमी के कारण पैदा हुई समस्या को हल करने के लिए समिति	Committee to Deal with Problems Stemming from Shortfall in Food output during Kharif Season ...	87—88
4738.	गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सफाई कर्मचारियों की नौकरियों में रखना	Employment of Non-Scheduled Caste persons as sweepers ...	88
4739.	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से पृथक करना	Separation of Central Ground Water Board from Geological Survey of India ...	88—89
4740.	निजी चिकित्सकों को सेवा निवृत्ति लाभ	Retirement benefit to private Medical practitioners ...	89
4741.	डाक्टरों की सेवाएं	Services of Doctors	89—90
4742.	देश में अर्हता प्राप्त डाक्टर	Qualified Doctors in the country ...	90—91

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
4743. स्कूल जाने योग्य बच्चों की आयु के सम्बन्ध में सिफारिश	Recommendation regarding admission age for school going children ...	91
4744. 'स्प्रिग सोयाबीन' का विकास	Evolution of Spring Soyabean	92
4745. काजू की खेती के अन्तर्गत भूमि	Area under Cashew Kernal	92
4746. कैंसर के वास्तविक कारणों का पता लगाना	Investigation for real causes of Cancer ...	92—93
4747. दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों में कथित गोलमाल	Alleged Corruption in Delhi University Department ...	93—94
4748. रति (विनीरियल) रोग के मामले	Cases of venereal diseases	94
4749. नसबन्दी आपरेशन के बाद की परीक्षा	Post operation Tests after Sterlisation ...	94—95
4750. दक्षिण दिल्ली में कनाट प्लेस के मुकाबले की मार्किट बनाना	'Rival' to Connaught Place in South Delhi ...	95
4751. दरभंगा और फॉरबिसगंज के बीच पार्श्ववर्ती सड़क का निर्माण	Construction of Lateral Road between Darbhanga and Forbesganj ...	95
4752. परम्परागत फसलों के लिए द्विमुखी योजना	Two pronged strategy for Traditional Crop ...	95—96
4753. समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	Social Security Scheme to benefit vulnerable Sections of Society ...	96
4754. पोषक आहार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा सहायता	Assistance by United Nations Industrial Development Organisation in Extracting Nutritive Food ...	96—97
4755. दिल्ली में पीलिया रोग पीड़ितों की संख्या में तीव्र वृद्धि	Sharp increase in incidence of Jaundice in Delhi ...	97
4756. गुजरात में नलकूपों की मांग	Demand of Tube wells in Gujrat ...	97—98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4757. राष्ट्रीय पशु के सम्बन्ध में परिवर्तन	Change in the National Animal	98—99
4758. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए व्यापक विधान	Comprehensive Legislation for Central Universities ...	99
4759. देश में मेडिकल कालेजों की संख्या	Medical Colleges in the Country	99—100
4760. अप्रयुक्त पड़े चर्च भवन को हिमालय प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, को सौंपना	Transfer of Desecrated Church Building to Himachal Pradesh University, Simla ...	100—101
4761. मध्य प्रदेश के आदिवासी कृषकों के लिए सुधरी हुई किस्म के बीजों की सप्लाई में देरी	Delay in supply of improved seeds for Adivasi Farmers of MP. ...	101
4762. राजस्थान नहर क्षेत्र में रुई उगाना	Growing of Cotton in Rajasthan Canal Areas ...	101
4763. ढोर बीमा	Cattle Insurance	102
4764. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली कर्मचारियों की ओर से याचिकाएं	Petitions from the Employees of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi ...	102—103
4765. सिंचाई सुविधाएं प्राप्त तथा मानसून पर निर्भर भूमि	Land provided with Irrigation facilities and dependent on Nature ...	103—104
4766. सरकारी बँगलों पर कब्जा किये भूतपूर्व संसद सदस्य तथा मंत्री	Ex-Members of Parliament including Ministers occupying Government Bungalows ...	104—105
4767. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और राज्य पोषक आहार अनुभाग द्वारा पोषक आहार की कमी के कारण रक्ताभाव के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	Survey by Indian Council of Medical Research and State Nutrition Division re-Nutritional Anaemia ...	105
4768. भारत में मलेरिया के रोगियों के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिवेदन	WHO Report on Malaria Cases in India ...	106—107

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

4769.	सालारजंग संग्रहालय में कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा चोरी	Maladministration, Corruption, Favouritism and Theft in Salar Jung Museum ...	107—108
4770.	पश्चिम दिल्ली में मुखर्जी पार्क कालोनी की कमियों को दूर करना	Removal of Deficiencies in Mukherjee Park Colony of West Delhi ...	108—109
4771.	बस्तर में जनजाति कल्याण संगठन	Tribal Welfare Organisations in Bastar ...	109
4772.	दिल्ली के स्कूलों में ड्राइंग अध्यापकों का वेतनमान	Drawing Teachers Grade in Delhi Schools ...	109—110
4773.	नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग कालेज और हास्पिटल तथा कलावती सरन अस्पतालों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Lady Harding College and Hospital and Kalavati Saran Hospital, New Delhi ...	110
4774.	समस्यामूलक भूमि वाले क्षेत्रों में नई कृषि तकनीक सम्बन्धी क्रियात्मक अनुसन्धान परियोजनाएं	Operational Research Projects on New Agricultural Technology in Problem Soil Area ...	110—111
4775.	कम्यूनिटी स्कूलों की स्थापना	Setting up of Community Schools	111
4776.	यूनेस्को की आम सभा के 17वें सत्र में लिये गये निर्णय	Decisions taken at 17th Session of General Conference of UNESCO ...	112
4777.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में सरकार और अनुसंधान साइड के कर्मचारी	Staff on Government and Research Side of Indian Councial of Agricultural Research ...	112—113
4778.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में डिप्टी चीफ आर्टिस्ट (एक्जीबिशन) के पद पर भर्ती	Recruitment to the Post of Deputy Chief Artist (Exhibition) in ICAR ...	114
4779.	अधिकारियों की उपेक्षा के कारण भारत द्वारा 35 मिलियन अधिक डालर	"Official Apathy may cost India 35 Million" ...	114—115
4780.	गर्भ की अवस्थाओं को जानने के लिए भारतीय यंत्र अथवा औषधि	Indian equipment or drug to know about stages of pregnancy ...	115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		
4781. दिल्ली में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to registered voluntary organisations in Delhi ...	115—116
4782. कैंसर सम्बन्धी अनुसंधान पर खर्च की गई राशि	Amount spent on Cancer research	116
4783. अधिक उपज देने वाली किस्मों से कम उपज होने सम्बन्धी अध्ययन	Study of low yield on high yielding variety ...	116—117
4784. अनाज की सप्लाई के लिए राज्यों का अनुरोध	Request from States for supply of Food-stuff ...	117
4785. देश में मानसिक रोगों के अस्पताल की स्थापना	Setting up of Mental Hospital in the Country ...	117—118
4786. बीज टेक्नोलाजी में शोध	Research in Seed Technology ...	118—119
4787. नेहरू संग्रहालय तथा पुस्तकालय में प्रतिनियुक्त व्यक्ति	Deputationist in Nehru Memorial Museum and library ...	119
4788. इब्राहीमपत्तनम, आंध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना	Setting up of a Co-operative Sugar Factory at Ibrahimpatnam, Andhra Pradesh ...	119—120
4789. कांडला पत्तन के विस्तार हेतु प्रस्ताव	Proposal for Expansion of Kandla Port ...	120
4790. कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए उपयुक्त पदों पर यांत्रिकी अभियंताओं (मेकेनिकल इंजीनियर्स) की नियुक्ति पर बल	Stress on appointment of Mechanical Engineers to posts suitable for Agricultural Engineering Graduates ...	120—121
4791. सूखे के कारण गन्ने के मूल्य में वृद्धि की मांग	Demand for rise in sugarcane price due to drought ...	121
4792. दामोदर मंडोवी के कर्मचारियों (क्रयूमैन) की सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता	Government callous about safety on Crew-men on Damodar Mandovi ...	121—122
4793. कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities ...	122—123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4794. आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोट्टायम में तैयार की गई नई औषधियां	New drugs prepared in Ayurvedic Research Institute, Kottayam ...	123
4795. बंगला देश को भेजा गया अनाज तथा चीनी	Foodgrains and sugar sent to Bangladesh...	123—124
4796. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न समितियों के लिए नियुक्तियां	Appointment for the various committees under Ministry of Health ...	124
4797. विभिन्न राज्यों में हरिजनों के कल्याण के लिए धनराशि का आवंटन	Allocation of funds for welfare of Harijans in various States ...	124—125
4798. केरल को गेहूं और चावल की सप्लाई	Supply of Wheat and rice to Kerala ...	126
4799. केरल में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की प्रगति	Progress of crash programme for rural employment in Kerala ...	126
4800. केरल में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सरकार का कार्यक्रम	Central programme for upliftment of Adivasis in Kerala ...	127
4801. केरल में विदेशों से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थायें	Educational Institutions in Kerala seeking financial aid from abroad ...	128
4802. पांचवीं योजना में भूमि संरक्षण योजना	Soil conservation scheme during fifth Plan ...	128
4803. बिहार में पांचवीं योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning programmes during the Fifth Five Year Plan in Bihar ...	129
4804. दिल्ली स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान	Pay Scales of Delhi Schools Laboratory Assistants ...	129
4805. शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने तथा प्राथमिक शिक्षा के लिये धन	Funds for employment to educated persons and for primary education ...	129—131

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4806. खरीफ फसल की कमी को पूरा करने और उसके उपयोग के लिए राज्यों को मंजूर की गई अतिरिक्त राशि	Additional funds sanctioned to States for making up shortfall in Kharif crop and their utilisation ...	131—132
4807. राज्यों को टैक्टर आवंटित करने का मापदण्ड	Criteria for allotment of tractors to States ...	132
4808. मिथिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता	UGC assistance to Mithila University ...	132—133
4809. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की नि:शुल्क शिक्षा	Free education to SC & ST students ...	133
4810. बिहार के गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधि मंडल	Deputation of Bihar cane-growers ...	133
4811. श्याम लाल धर्मार्थ न्यास (दिल्ली) द्वारा ठेकेदार को दिया गया अधिक भुगतान	Excess payment made to contractor by Shyamlal Charitable Trust, Delhi ...	134
4812. अध्यापक संघ, दिल्ली की मांगें	Demands of Teachers Associations, Delhi ...	134
4813. मध्य प्रदेश में कपास की सघन खेती सम्बन्धी कार्यक्रम	Intensive cotton cultivation programme in MP ...	134—135
4914. मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कालिज के व्यवसायी एवं औद्योगिक प्रबन्ध विभाग की स्थापना	Setting up of department of business and Industiral management in engineering College of MP ...	137
4815. पन्ना और सतना जिले के संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Organisation and People in Panna and Satna District ...	135—137
4816. जनजाति अनुसन्धान केन्द्र का कालीकट से वाइनाड मन्नानथोठी में स्थानांतरित किया जाना	Shifting of Tribal Research Centre from Calicut to Mannanthody in Wynad ...	137

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4817. कृषि-विमानन के लिए विमान चालकों को अर्हताओं में परिवर्तन	Change in Qualifications of Pilot for Agro-aviation ...	137—138
4818. पी० एल०—480 निधि के अन्तर्गत प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकें	Text Books brought out Under PL-480 Funds ...	138
4819. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वाइनाड ब्लाक का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Wynad Block in Applied Nutrition Programme ...	138
4820. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां देने पर व्यय की गई राशि	Amount Spent on Post Matric Scholarship to SC & ST Students ...	138—139
4821. समाज कल्याण बोर्ड के अधीन गजनों (बीकानेर) पंचायत क्षेत्र में संगठन	Organisation in Gajno (Bikaner) Panchayat Area Under Social Welfare Board ...	139
4422. बिहार में बिना वेतन के कार्य कर रहे डाक्टर	Doctors in Bihar Working Without Pay ...	140
4823. गन्दी बस्ती सफाई के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Aid for Slum Clearance ...	140—141
4824. आन्ध्र प्रदेश में करनल जिले की बेथमचेरला गुफाओं में पुरातत्वावशेष	Archaeological Finds in Bethamcherla Caves of Kurnool District in Andhra Pradesh ...	141
4825. आन्ध्र प्रदेश में बीज फार्म	Seed Farms in Andhra Pradesh ...	141
4826. रायालासीमा, आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत गति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना	Scheme under Crash Programme for Rural Employment in Rayaleseema, Andhra Pradesh ...	141—142
4827. आंध्र प्रदेश में रायालासीमा में दुग्ध चूर्ण कारखाने की स्थापना के लिये अनुमान	Assessment for Establishment of Milk powder Factory in Rayalaseema, Andhra Pradesh ...	142

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4828.	भारत सेवक समाज तथा साधु समाज को अनुदान	Grants to Bharat Sewak Samaj and Sadhu Samaj ...	142—143
4829.	संस्थाओं को मान्यता के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम	UGC Regulations Regarding Recognition of Institutions ...	143
4830.	भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार	Spread of India's Musical Culture Abroad ...	143—144
4831.	कृषि भूमि की चकबन्दी	Consolidation of Agricultural Land ...	144—145
4832.	निम्न आयु ग्रुप के व्यक्तियों को आवंटन के लिये पांचवीं योजना में बनाए जाने वाले फ्लैट	Flats to be constructed in Fifth Plan for allocation to Low Income Group Persons ...	145—146
4833.	बिहार के पिछड़े हुए जिलों के लिए अस्पताल की व्यवस्था	Provision of Hospital for Backward Districts of Bihar ...	146
4834.	पांचवीं योजना के दौरान बिहार स्थित शिक्षा संस्थानों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Educational institutions in Bihar during Fifth Plan ...	146
4835.	उचित दर की दुकान में कदाचार	Mal-practices in Fair Price ...	147
4836.	दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नवीं कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को 'पी० जी० टी०' ग्रेड की मंजूरी	Sanction of P.G.T. Grades to Teachers Teaching Ninth Class in Government Aided Schools in Delhi ...	147—148
4837.	दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 'पी० जी० टी०' ग्रेड की स्वीकृति	Sanction of PGT Grade to Teacher Teaching Eleventh Class in Government Aided Schools in Delhi ...	148
4838.	गांधी शताब्दी समारोह समिति का अनुसन्धान कार्यक्रम	Research Programme of Gandhi Centenary Celebration Committee ...	148—149

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4839. समाज कल्याण संस्थाओं तथा संगठनों को अनुदान	Grants to Social Welfare Institutions and Organisations ...	149
4840. बाल संसद में कार्य निष्पादन पर फैसला	Judgement of Performance in Mock Parliament ...	149—150
4841. दिल्ली से रिजरोड होकर दिल्ली कैंट तक दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलाना	Introduction of DTC Buses from Delhi to Delhi Cantt. Via Ridge Road ...	150
4842. मिनी बसों के किराये में कमी करने के लिए कार्यवाही	Steps taken to reduce Mini-bus Fare ...	150—151
4843. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय को दी गई राशि	Amount given to Nehru Memorial Museum and Library ...	151
4844. मद्य निषेध के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र तथा जनसंख्या	Area and Population covered by Prohibition ...	152
4845. जनसंख्या वृद्धि की दर तथा मृत्यु की दर	Rates of Growth of Population and Death Rate ...	152—153
4846. अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता संस्था तथा डा० भगवान दास स्मारक न्यास को दिये गये सहायता अनुदान का दुरुपयोग	Misuse of Grant-in-aid to all India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust ...	153
4847. 1971-72 के सीजन के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित करने हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित विपक्षीय बैठक	Tripartite meeting held by Tamil Nadu Government to fix price of Sugarcane for the season 1971-72 ...	153—154
4848. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक से आगे के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ाने के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया निर्णय	Decision taken by the Ministry of Finance on raising the rates of Post Matric Scholarships for SC and ST ...	154

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4849. डा० विनोद एच० शाह की मृत्यु की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee set up to Enquire into the Death of Dr. Vinod H. Shah...	154
दिनांक 18-12-72 के तारांकित प्रश्न संख्या 497 के बारे में	Re. Starred Question No. 497 dated 18-12-72 ...	155—156
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Paper Laid on the Table ...	156—157
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House ...	157—160
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ...	160—161
दंड-प्रक्रिया संहिता विधेयक—	Code of Criminal Procedure Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha ...	162
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	162
57वां प्रतिवेदन	Fifty-seventh Report	162
अधीनस्थ विधान समिति	Committees on Subordinate Legislation ...	162
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report ...	162
दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक	Delhi School Education Bill ...	162
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य	Report of Joint Committee and evidence...	162—163
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	Advocates (Amendment) Bill ...	163
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य	Report of Joint Committee and evidence...	163
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills introduced—	
(एक) राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक	National Library Bill ...	163
(दो) सीमा शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण (संशोधन) विधेयक	Customs, Gold (Control) and Central Excises and Salt (Amendment) Bill ...	164

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
(तीन) लक्षदीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (नाम परिवर्तन) विधेयक	Laccadive (Minicoy and Amindivi Islands (Alternation of name) Bill ...	164
मुल्की नियम विधेयक	Mulki Rules Bill	
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव — स्थगित किया गया	Motion to Introduce—heldover ...	165
रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक	Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	172
श्री दिनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya ...	172—173
श्री रामसिंह भाई वर्मा	Shri Ram Singh Bhai Verma ...	173
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ...	173—174
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik ...	174—175
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Aggarwal ...	175—176
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra ...	176—177
श्री पी० ए० सामिनाथन्	Shri P. A. Saminathan ...	177—179
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel ...	179
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate ...	179—180
श्रीरामसहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey ...	181
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga ...	181—182
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ...	182—184
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra ...	184—186
खंड 2 से 18 और प्रथम अनुसूची	Clauses 2 to 18 and First Schedule ...	186—188
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ...	188

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
21वां प्रतिवेदन	Twenty First Report	...	188
आधे घण्टे की चर्चा	Half an Hour Discussion	...	188
विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए करार को रद्द करना	Scrapping of Agreement with Foreign Oil Companies	...	189
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	...	189
श्री एच० आर० गोखले	Shri H R. Gokhale	...	191

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 18 दिसम्बर, 1972/27 अग्रहायण, 1894 (शक)
Monday, December 18, 1972/Agrahayana 27, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर पांच मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Five minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात को सहायता कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता

*484. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गुजरात राज्य को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य आरम्भ करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है या दी जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय दल, जिसने सितम्बर, 1972 में राज्य का दौरा किया था, की सिफारिशों के आधार पर 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित खर्च की सीमा इस प्रकार है—

(करोड़ रुपये में)

(क) राहत सम्बन्धी मदें	
1. राहत कार्य	4.00

2. पेयजल की सप्लाई—आपातिक प्रबंध		0.50
3. मवेशियों की देखभाल और घास तथा चारे की व्यवस्था—आपातिक प्रबंध		0.75
4. मुफ्त सहायता और जन-स्वास्थ्य उपाय		0.25
	जोड़	5.50

(ख) ऋण सम्बन्धी मदें

1. प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल के नए नलकूपों की खुदाई		0.40
2. चारा और घास खरीदने के लिए अग्रिम राशि		1.00
	जोड़	1.40
	सकल जोड़	6.90

उपर्युक्त 6.90 करोड़ रुपये की अपनाई गई सीमा के अलावा, 4 करोड़ रुपये को कृषि आदानों के लिए अल्प-कालिक ऋण के रूप में अपनाने की सिफारिश की गई है।

आपातिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन, विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है जिसमें से 1.25 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। कृषि आदानों के लिए अल्पकालिक ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि भी दे दी गई है।

स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार के पास एक दूसरा दल भेजने का विचार है।

श्री सोमचन्द सोलंकी : विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भली-भांति ऐसे सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप सबसे पूर्व प्राकृतिक विपत्तियों जैसे सूखे और बाढ़ के लिए विशेष रूप से व्यवस्था करनी होती है। यदि सहायता की यह मात्रा पहले ही पूरी हो चुकी होती है और राज्य सरकार के विचारानुसार अधिक सहायता की आवश्यकता है तो इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से बात-चीत करके एक केन्द्रीय दल भेजा जा सकता है। मौके पर पहुंचकर स्थिति के अध्ययन तथा राज्य सरकार से बातचीत के आधार पर अध्ययन दल सिफारिशें कर सकता है। उस आधार पर हम राज्य सरकार की सहायता करते हैं।

श्री सोमचन्द सोलंकी : यद्यपि इस बार वर्षा उतनी कम नहीं हुई है जितनी 1968 में हुई थी तथापि इस बार सूखे का प्रभाव अत्यधिक हुआ है। इसलिए बढ़ती हुई कीमतों, पेयजल और चारे की कमी की समस्याओं से निबटने के लिए सरकार राज्य की क्या सहायता करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने सभा-पटल पर एक विवरण रखा है जिसमें सभी बातें विस्तारपूर्वक बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में एक अन्य केन्द्रीय दल और सिफारिशें करने के लिए भेजा जा सकता है। इस बीच हमें सूचना मिली है कि राज्य सरकार सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपाय कर रही है।

श्री सोमचन्द सोलंकी : अन्य राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की तुलना में गुजरात को कितनी सहायता दी गई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विवरण में मैंने बताया है कि केन्द्रीय दल ने अधिकतम 6.90 करोड़ रुपये की सहायता दी जाने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त सामान आदि खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपये अल्पावधि ऋणों के रूप में देने की भी सिफारिश की है। और मंत्रालय के आपात उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिससे रोजगार की व्यवस्था भी होती है, गुजरात के लिए 5 करोड़ रुपये का कार्यक्रम तैयार किया गया है। अब केन्द्रीय दल जाएगा और वहां की शोचनीय अवस्था को देखते हुए इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा।

श्री डी० पी० जदेजा : राज्य के कुछ ऐसे तटवर्ती जिले हैं जहां न कोई नदी है न भूमिगत जल स्रोत। क्या सरकार इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल के खारीपन को दूर करने के लिए कुछ एककों की स्थापना करेगी क्योंकि वहां कोई नदी घाटी योजना भी नहीं बनाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न भी प्राप्त हुआ है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गुजरात सरकार ने पेय जल की व्यवस्था के लिए काफी राशि की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त पहले जो केन्द्रीय दल गया था उसने भी कुछ व्यवस्था की है। जो नया दल जाएगा वह भी इसी कार्य हेतु काफी सहायता का प्रबन्ध करेगा।

श्री पी० जी० मावलंकार : नया केन्द्रीय दल गुजरात कब भेजा जा रहा है और क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि गुजरात के कुछ भागों में सामान्य स्थिति में भी पहुंचना अत्यन्त कठिन है। क्या केन्द्र सरकार ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गुजरात के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय दल भेजने के लिए हमें लिखा है किन्तु गुजरात सरकार द्वारा कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। उनके पूरा हो जाते ही केन्द्रीय दल अविलम्ब वहां पहुंचेगा। मेरा अनुमान है कि अगले पखवाड़े अथवा तीन सप्ताह के भीतर दल का वहां जाना सम्भव हो जाएगा ?

जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है सबसे महत्त्वपूर्ण काम वहां लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करना है ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके। गुजरात में, विशेषकर कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में जहां सूखे का अत्यधिक प्रकोप है, पशुओं के लिए चारे और अन्य वस्तुओं की तथा उनके लिए स्थानान्तरण कैम्पों आदि की भी व्यवस्था की जानी थी। ऐसा किया गया है और रेल मंत्रालय भी चारे को ले जाने के किराए आदि में छूट देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अतिरिक्त पेय जल और खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी की जानी है और हम उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं।

कई सदस्य उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों की रुचि क्या गुजरात में ही है अथवा उन्हें अपने राज्यों में भी दिलचस्पी है ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Just now the Hon'ble Minister has stated that in the drought affected area where the conditions are not good, it is very important to provide employment so that purchasing power is provided to the people to make both ends meet. I would like to know whether any scheme has been formulated in this direction and whether the State Governments have demanded money for their own schemes ? Whether there is any scheme for desalination of ocean water and whether Gujarat Government have made a separate demand for desalination of ocean water ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गुजरात सरकार देश में एक ऐसी सरकार है जिसका प्रशासन अच्छा प्रभावी है और रोजगार की व्यवस्था करने के लिए वह अनेक उपाय कर रही है। उसने आयोजन सम्बन्धी योजना, सूखा राहत योजना, रोजगार देने संबंधी त्वरित कार्यक्रम आदि तैयार किये हैं। इनके अलावा सूखा राहत के तौर पर भारी संख्या में लोगों को रोजगार देने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question related to the various schemes under which employment could be provided to people, but the Hon. Minister is answering it in a general way and is not giving specific answer to my question.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने कहा है अनेकों विशिष्ट मदें और कार्यक्रम आरम्भ किये गए हैं । इनके अलावा अनेक लघु सिंचाई कार्यक्रम, सड़क निर्माण कार्य आदि भी हैं । गुजरात सरकार इन्हें क्रियान्वित कर रही है।

न्हावा शेवा पत्तन परियोजना

*485. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना पर, जिसे कि पहले स्वीकृति दे दी गई थी, अब सरकार पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) न्हावा-शेवा परियोजना के लिए चतुर्थ योजना में 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, परन्तु सरकार अभी तक निवेश के सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं कर सकी थी, क्योंकि बम्बई पत्तन न्यास अपने परामर्शदाताओं की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा था, गत वर्ष रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद, बंबई पत्तन न्यास ने सरकार को एक संशोधित योजना प्रस्तुत की जो कि इस समय सरकार के सक्रिय विचाराधीन है । परियोजना के सम्बन्ध में कोई दूसरी राय रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : महोदय, अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपकी अनुमति से मन्त्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस परियोजना पर पुनर्विचार न करने की घोषणा की है और बताया है कि इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है।

अब मैं अनुपूरक प्रश्नों पर आता हूँ। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने परियोजना के निष्पादन के विषय में सभापति के विचार जान लिए हैं, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री राजबहादुर : इस परियोजना पर कार्य तब आरम्भ किया जाएगा जब बंबई पत्तन न्यास द्वारा पेश किये गए संशोधित प्रस्तावों की जांच हो जाएगी, उनका अनुमोदन कर दिया जाएगा तथा उनके लिए आवश्यक धन व्यवस्था हो जाएगी।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या न्हावा-शेवा ही केवल ऐसी परियोजना है जहां बड़े जहाजों के लिए तलछट की व्यवस्था की जा सकती है और यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने पत्तनों पर यातायात कम हो जाने के कारणों की छान बीन की है और इस विषय में कौन सी निवारणात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री राजबहादुर : तलछट का प्रश्न किसी विशिष्ट पत्तन पर आने वाले जहाजों के आकार और टनभार से सम्बद्ध है। हमारे पास जो प्रारूप प्रतिवेदन है उसके अनुसार यथासमय 80,000 डी डब्लू टी, और 100,000 डी डब्लू टी भार वाले जहाज यहां आ सकेंगे। इन जहाजों के लिए न्हावा-शेवा पत्तन पर्याप्त होगा। किन्तु पहुंच मार्ग पर भी ध्यान देना होगा। प्रश्न के दूसरे भाग का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बन्दरगाह पर कार्य कब आरंभ किया जाएगा ?

श्री राजबहादुर : इस परियोजना का समग्ररूप से अध्ययन करने का कार्य 1964 में मैसर्स बर्कलिन एण्ड पार्टनर्स को सौंपा गया था। उसने मई, 1971 में अपना प्रतिवेदन किया। बम्बई पत्तन न्यास ने इसका अध्ययन कर लिया है और एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया है। इसकी जांच करने में सम्बद्ध मंत्रालयों अर्थात् राजस्व और व्यय मंत्रालय रक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों को काफी समय लग जाएगा। सारे प्रश्न का संबंध यातायात से है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहूंगा कि प्रतिवेदन की जांच हो जाने और परियोजना के आकार के प्रश्न पर अर्थात् उसमें 6 बर्थ हों या 3 बर्थ, जैसी कि बंबई पत्तन न्यास ने सलाह दी है, निर्णय लेने के बाद ही ये प्रश्न पैदा होंगे।

Acreage of Land Devoid of Underground Water in Gujarat

*487. **Shri Maha Deepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land in Gujarat where even underground water is not available for irrigational purposes ; and

(b) whether Government propose to take steps to locate water there and convert such land into cultivable land ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof Sher Singh) : (a) and (b) Necessary information is being collected from the Government of Gujarat. It will be placed on the table as soon as it is received.

Shri Maha Deepak Singh Shakya : The Minister has mentioned in his statement that no such information is available with the Central Government and the information is being collected from the State Government. I would like to know from the Hon'ble minister through you the basis on which the outlines of the next Five Year Plan has been formulated ? Whether the Government have adopted any criteria according to which they may be able to prepare the outlines of the Five Year Plan ?

Prof. Sher Singh : The question asked was about the acreage of land where underground water is not available. I have not got the information regarding the acreage of such land, so I had stated that we are collecting the information regarding the acreage of land where underground water is not available. The information when received will be placed on the table. At present, I have no information about such acreage.

Mr. Speaker : The State Government must be having the information about it.

Shri Hukam Chand Kachwai : When the Government want to develop the agriculture to such an extent, there must have been any basis on which the Government have formulated the scheme.

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार सभी राज्यों ने केन्द्र को सूचना अवश्य ही दे दी होगी और उन्होंने राज्य से सूचना मांगी है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The question was tabled long before.

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा टेक्नालाजी विश्वविद्यालय, पन्त नगर का बन्द होना

*488. **श्री धनशाह प्रधान** :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा टेक्नालाजी विश्वविद्यालय, पन्त नगर पिछले दो महीनों से छात्रों के आन्दोलन के कारण कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) छात्रों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) विश्वविद्यालय को पुन: खोलने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि शिक्षा के समन्वयकर्त्ता के रूप में क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी हां । कृषि, पशु चिकित्सा तथा तकनोलॉजी के कुछ पूर्वस्नातकों द्वारा हड़ताल करने के कारण गोविन्द वल्लभ पंत कृषि तथा तकनोलॉजी विश्वविद्यालय आंशिक रूप से बन्द रहा है । पूर्वस्नातकों को दिसम्बर के शुरू में विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय 12 दिसम्बर, 1972 को पुनः खुलेगा ।

(ख) विद्यार्थियों की मांगें नीचे दी गई हैं :—

(1) विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संघ का गठन होना चाहिए ।

(2) न्यूनतम हाजिरी 85 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत की जानी चाहिए ।

(3) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में विद्यार्थियों का प्रतिनिधि होना चाहिए ।

(4) स्नातकोत्तर डिग्रियां देने के लिए दो शर्तें हैं :

(क) ओ० जी० पी० ए० 5.00 में से 4.00 होना चाहिए ।

(ख) यदि कोई विद्यार्थी "क्रेडिट कोर्स" में श्रेणी 'बी' के स्तर से नीचे रहता है तो उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है । दूसरी शर्त वापस ली जानी चाहिए क्योंकि 5.00 में से 4.00 का ओ० जी० पी० ए० (ओवरआल ग्रेड प्वाइन्ट एवरेज) प्राप्त करना बड़ा कठिन है ।

(5) 'ई' ग्रेड को ओ० जी० पी० ए० के हिसाब में नहीं गिना जाना चाहिए, क्यों कि जब एक विद्यार्थी उस कोर्स में 'ई' ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे दोबारा पढ़ना पड़ता है (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय 'ई' ग्रेड को नहीं गिनता है जबकि इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी को 'ई' ग्रेड पाने पर कोर्स दोबारा पढ़ना पड़ता है और 'ई' ग्रेड को ओ० जी० पी० ए० संकलित करते समय भी गिना जाता है) ।

(6) तकनोलॉजी कालिज के ओ०जी०पी०ए०को नम्बरों की प्रतिशतता में इस प्रकार परिवर्तित किया जाए कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातकों की तुलना में कोई हानि न पहुंचे ।

(7) रैमिडियल कोर्स पास करने के लिए 60 प्रतिशत नम्बर निर्धारित किये जाने चाहिए ।

(8) अन्य शिक्षावृत्ति धारकों की भांति भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के शिक्षा-वृत्ति धारकों से सप्ताह में 12 घन्टे काम लिया जाना चाहिए ।

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय को पुनः खोलने के लिए जो कदम उठाए हैं उनके विषय में वे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को सूचित करते रहे हैं । उपरोक्त (2), (4), (5), (6) तथा (7) में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक नियम वर्ष 1965 में लुधियाना में आयोजित दूसरे सम्मेलन में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अभिस्वीकृत डीन समिति में घोषित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की नीति के अनुरूप हैं । विश्वविद्यालय ने मांग (8) को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के पास भेजा हुआ है और उस पर परिषद् की स्थायी शिक्षा समिति के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

Shri Dhan Shah Pradhan : Whether it is a fact that the students had also demanded that the very high food charges being charged in the hostel should be reduced ? The monthly average charge is Rs. 180/-. The poor students who also include the students belonging to Scheduled Castes & Scheduled Tribes, have been feeling great difficulty in paying such a big amount. I want to know the steps being taken by the Government to reduce the charges ?

Whether it is a'so a fact that the minimum attendance required in this university is 85% whereas in other universities it is 75%, which also includes I.I.T. ? What action the Government have taken to bring down attendance from 85% to 75% ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मुझे सभा को सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि छात्रों ने बिना शर्त अपने आन्दोलन को वापस ले लिया है । वास्तव में यह हमारी एक प्रतिष्ठित संस्था है जो अच्छा काम कर रही है···

अध्यक्ष महोदय : वह एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको बिना अनुपूरक प्रश्नों के लिए प्रेरित किये बिना उन्हें उत्तर देना चाहिए । मुझे बहुत ही खेद है कि जब आप इधर-उधर की बात करने लगते हैं, तो नियंत्रण करने में कठिनाई होती है । वह यह पूछ रहे हैं कि क्या भोजन के बारे को कोई शिकायत की गयी है ?

श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे : उन्होंने बिना शर्त अपनी सभी मांगें, जिनमें यह मांग भी शामिल है, वापस ले ली है और उन्होंने कहा है, "जो भी दण्ड हमें विश्वविद्यालय देगा, उसे हम उचित भावना और शालीनता से स्वीकार करेंगे ।" अतः, अब ये मांगें नहीं रही हैं ।

Shri Dhan Shah Pradhan : What steps are being taken by the Government to check recurrence of such incidents in future ?

Mr. Speaker : Now the demands have been withdrawn. When any incident takes place in the future it will be considered then.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अब कोई समस्या नहीं रही है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि जहां आई० आई० टी० में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए एक छात्र को केवल 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं, वहां पंत विश्वविद्यालय को प्रथम

श्रेणी के लिए 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पंत विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वालों को इस दृष्टि से हानि पहुंचती है कि जहां अन्य विश्वविद्यालयों से 65 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले छात्र यह कह सकते हैं कि वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, वहां पंत विश्वविद्यालय में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले छात्र भी यह नहीं कह सकते कि वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। क्या सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सभी विश्वविद्यालयों में एक ही प्रतिशतता होगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय हैं। उन्हें जो निर्णय अच्छा लगता है, वे उसके अनुसार कुछ स्तरों पर आधारित डीनों के परामर्श से हमें निर्धारित करते हैं। मैं यह नहीं समझता कि हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

Shrimati Savitri Shyam : Hon'ble Minister has mentioned in the statement that the university would re-open on 12th December. I want to know whether it has been re-opened ?

I have been a member of the executive of this university for many years. I know that the rules and regulations of this university are not like those of the central university. You have mentioned in the statement that demand No. 7 of the students has been referred by the university to the ICAR and is under examination.

I want to know the time by which its report would be received and the time by which it would be known whether this demand has been acceded to or not ?

What efforts are being made to bring pant university at par with other universities ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय 12 को खुल गया है और वहां शांतिपूर्वक पढ़ाई जारी है। हमें कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे वहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण बिगड़ जाये। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इसकी जांच कर रही है। वे स्वभावतः सभी कृषि विश्वविद्यालयों के डीनों से परामर्श करेंगे और उसी आधार पर सलाह देंगे।

Central Assistance for Crash Programme for Food Production in Bihar

*490. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have formulated a Rs. 39 crore scheme for making successful the crash programme for food production ;

(b) if so, whether the State Government have demanded central assistance therefor ; and

(c) if so, the main features thereof and the reaction of Central Government thereto ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 18-12-72 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 490 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ग) खरीफ के मौसम के दौरान इस वर्ष बेमौसमी वर्षा होने के कारण उत्पादन में होने वाली कमी दूर करने के लिए, बिहार सरकार ने 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लघु सिंचाई कार्यक्रम तैयार किये थे । इन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की गई थी। कृषि आदानों के लिए भी बिहार सरकार ने 31 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण मांगा था । इन कार्यक्रमों पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया गया और रबी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों को इनका लाभ पहुंचाने की दृष्टि से केवल उन ही कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति दी गई, जिन्हें 31 मार्च 1973 तक पूरा किया जा सके ।

उपरोक्त आधार पर, भारत सरकार ने बिहार सरकार को निम्नलिखित सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 17.17 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति दी है :—

(करोड़ रुपयों में)

1.	500 नये आपातकालीन नदी पम्पिंग सैटों की खरीद तथा उनका संचालन करना	0.87
2.	638 वर्तमान राजकीय नलकूपों को चालू करना	2.00
3.	149 कच्चे बांधों का निर्माण करना	0.18
4.	1100 सतही प्रवाह सिंचाई कार्यों का सुधार तथा उनका नवीकरण करना	0.60
5.	500 नये राजकीय नलकूपों का निर्माण करना	5.47
6.	1000 बड़े व्यास के कुंओं का निर्माण	0.80
7.	प्रमुख नहरों में जल प्रदायी नालियों का निर्माण करना	0.16
8.	12,500 नलकूपों को बिजली मुहैय्या करना	5.00
9.	नावस्थित 30 नदी पम्प :	0.10
10.	सोन नहर के ऊपरी क्षेत्रों में पम्पों की स्थापना करना	0.35
11.	राजकीय नलकूपों से जल वितरण के लिए अल्यूमिनियम के पम्पों की खरीद । यह कार्य उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां भूमि अर्जन कार्यवाही में देरी होने के कारण जल नालियों का निर्माण नहीं किया जा सकता।	0.10

12.	(i) बौम्बू बोरिंग (ii) हैंड पम्प तथा (iii) कैविटी बोरिंग	1.00
13.	6 नये रिगों की उनके संबन्धित उपस्करों सहित तथा 3 वर्तमान रिगों के लिए सम्बन्धित उपकरणों की खरीद :	0.54
	योग :	17.17

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को बीजों, उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों आदि के क्रय और वितरण के लिए 7 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण दिया गया है।

Shri Ramavatar Shastri : Whether the Government is in a position to tell the extent to which the paddy crop has been damaged as a result of drought in Bihar and the likely production of Rabi crops as the Government have given 24 crores rupees or more to Bihar Government for Rabi campaign to make good the loss suffered in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 लाख एकड़ भूमि के स्थान पर 13.93 लाख हेक्टेयर (60 लाख एकड़) भूमि पर गेंहूं बोया जायेगा। मुझे जो समाचार मिले हैं उनके अनुसार यह कार्यक्रम लगभग सौ प्रतिशत पूरा हो चुका है। वास्तव में यह कार्य निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक हो गया है। इस समय मैं उत्पादन के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उत्पादन तो वर्षा तथा अन्य तत्यों पर निर्भर है लेकिन इस समय तो समाचार अच्छे हैं।

Shri Ramavatar Shastri : The Central Government have given financial assistance for the installation of 500 new tubewells and energisation of 12500 tubewells. I want to know the extent to which the work has been done in this regard. Moreover, there is a shortage of fertilisers there and particularly in North Bihar, the farmers are suffering as a result thereof. What are the special afforts made with a view to making available the fertilisers to them ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस कार्यक्रम के बारे में अन्तिम समाचार अभी उपलब्ध नहीं है। किन्तु प्रारम्भिक समाचारों से यह संकेत मिलता है कि नलकूपों को चालू करने तथा बिजली देने का कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहा है। जहां तक राज्य के नलकूपों का सम्बन्ध है, अन्तिम समाचार उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में आशातीत प्रगति नहीं हो रही है। किन्तु हमें इस समय इसका अन्तिम मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय परिषद में जो निर्णय हुआ था उर्वरकों का उसीके अनुसार आवंटन किया गया है। हम बिहार सरकार की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसे इतनी मात्रा में उर्वरक दिये जाएँ जितना केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया है।

श्री ए० पी० शर्मा : विवरण देखने से यह पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार ने 500 नये नलकूपों की अनुमति दी है। बिहार सरकार की मांग क्या थी ? केन्द्रीय सरकार ने 500 नलकूपों का निर्णय कैसे किया ? वास्तव में यदि बिहार को 5000 नलकूप भी दिये जायें तो वे भी पर्याप्त नहीं होंगे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं बिहार के माननीय सदस्य की इस सम्बन्ध में चिन्ता, रुचि तथा देशभक्ति की भावना समझ सकता हूं । लेकिन यह कार्यक्रम 31 मार्च तक का है । यदि बिहार 31 मार्च तक 500 नलकूप लगाने में सफल हो जाता है तो हम इसे एक महान उपलब्धि समझेंगे ।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं इन नलकूपों के कार्य के पूरा होने की बात नहीं कर रहा था । अपितु केन्द्रीय सरकार द्वारा धन देने के प्रश्न का उल्लेख कर रहा था । बिहार सरकार ने कितने नलकूपों की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार ने उसे कितने नलकूप लगाने की अनुमति दी है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि उन्हें 5,000 की संख्या कहां से मिली है ? इसकी प्रामाणिकता क्या है ?

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने कहा है कि 5,000 नलकूप भी बिहार के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, अतः मैं बिहार द्वारा मांगे गए नलकूपों की संख्या जानना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : आप खोजबीन की दृष्टि से प्रश्न मत पूछिए ।

It is not proper to persist on every question. You always do it.

Shri Rajendra Prasad Yadav : Whether the hon. Minister is aware that the figures in regard to the assistance to be given to the Bihar Government for the crash programme remain only on paper and are not put into practice. If so, what is the action proposed to be taken by him in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक आपातकालीन उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मुझे जो समाचार मिला है उसके अनुसार यह कार्यक्रम भली भांति चल रहा है ।

Shri Gyaneshwar Prasad Yadav : Previously 40 lakh acres of land was under Rabi crops in Bihar but now the Bihar Government have taken a decision to sow rabi crops in 60 lakh acres of land. I want to know whether the Central Government have made arrangements to supply fertilisers and seeds to the Bihar Government accordingly ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसाकि मैंने पहले ही बताया है, जहां तक बीजों की पूर्ति का सम्बन्ध है, बिहार सरकार ने बीजों की जितनी मांग की है उतनी मात्रा में हमने आपातकालीन आधार पर उसे बीज दे दिये हैं ।

Shri Gyaneshwar Prasad Yadav : The hon. Minister has not given information about fertilisers. As fas as seeds are concerned, they were not sent by the National Seeds Corporation but from the godowns of the Food Corporation of India.

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रश्न है आप बीच बीच में विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं । अगर आप कुछ आंकड़े जानना चाहते हैं तो इसके बारे में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वास्तव में, मैंने इसका पहले भी उत्तर दे दिया है कि क्षेत्रीय सम्मेलनों में जितनी मात्रा में उर्वरक देने का निर्णय किया गया था हम उसी आधार पर इसकी सप्लाई कर रहे हैं । किन्तु सारे देश में उर्वरकों की कमी है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

*491. **श्री राजदेव सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण विभाग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार करने के लिए 142 करोड़ रुपये का एक कार्यक्रम रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समस्त राशि को सरकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की आर्थिक भलाई के लिए निर्धारित करना उचित समझती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) तथा (ख) पिछड़े वर्गों और समाज कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के 23 जुलाई, 1972 को हुए सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर समाज कल्याण विभाग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए अनेक प्रस्ताव रखे हैं। इनमें ऐसे कार्यक्रमों के लिए कुछ प्रस्ताव शामिल हैं, जो विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिए हैं, जबकि अन्य मंत्रालयों द्वारा समुदाय के कमजोर वर्गों की आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए चलाए जा रहे बहुत-से कार्यक्रम भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होंगे।

श्री राजदेव सिंह : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कौन-से प्रस्ताव राज्यों के मन्त्रियों द्वारा इस वर्ष हुए सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए थे ?

श्री डी० पी० यादव : भूमि आवंटन तथा कृषि विकास सम्बन्धी योजनाएं, पेयजल पूर्ति योजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य तथा सफाई, कुटीर और लघु उद्योग, आवासीय तथा आवास-स्थल तथा संचार आदि प्रमुख मदों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।

श्री राजदेव सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन प्रस्तावों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

श्री डी० पी० यादव : ये प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are not able to get employment after completion of their education, whether the Government have calked out any scheme or issued orders to the State Governments that these students should be given employment immediately after the completion of their studies ?

Mr. Speaker : This matter has already been discussed for ten or twelve hours. All these points have been covered in that.

Shri Hukam Chand Kachwai : The condition of these persons throughout the country is very bad.

Shri D. P. Yadav : The Central Government as well as the State Governments are making their utmost efforts to help the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri Hukam Chand Kachwai : The question which I have asked is whether the Central Government have issued any orders to the State Governments or institutions or whether any rule has been framed with a view to making arrangements for providing jobs to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students on completion of their education. They remain unemployed for years together. Please do not try to evade my question.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ? प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार करने के लिए धन का आवंटन किया है। आप योजना के ब्यौरे के विषय में जानना चाहते हैं। आपको इस सत्र में इस पर चर्चा का काफी समय दिया गया था।

Shri Hukam Chand Kachwai : **

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रश्न का क्षेत्र बड़ा सीमित था।

What sort of language do you use in this house ? The hon'ble member thinks that it is commendable to use such sort of language. Some decorum should be maintained in Parliament.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker Sir, this is a very complicated problem. The big people can get jobs by paying money, but these persons cannot pay money. Their parents spend huge amounts of money on their education but they remain idle as they could not get jobs.

Mr. Speaker : Will you kindly sit down ? Some decorum should be maintained. It is not proper that the honourable member should say whatever he likes.

श्री सी० टी० दण्डपाणि : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 51000 करोड़ रुपये में से सरकार ने केवल 142 करोड़ रुपये ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए रखे हैं। यह धनराशि बहुत कम हैं। मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सरकार ने विद्युत, जल, भूमि आवंटन आदि की कुछ सुविधाओं की व्यवस्था की है। यह राज्य सरकारों का कार्य है। मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि राज्य सरकारों को निधि आवंटन करने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने अन्य कौन-से कदम उठाए हैं। अगर उनके पास आंकड़े हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार की क्या मांग थी तथा उन्हें कितनी धनराशि दी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का हला पभाग तो सही है। अगर आप तमिलनाडु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से सूचना देनी होगी।

** अध्यक्ष महोदय के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री डी० पी० यादव : ये मुख्य शीर्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका सरल-सा प्रश्न यह है। आपने जो आरम्भ में उत्तर दिया है वह राज्य द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के बारे में है। भारत सरकार द्वारा कौन-से अतिरिक्त कार्यक्रम बनाए गए हैं ?

श्री डी० पी० यादव : ये मुख्य शीर्षक हैं। इनके अन्तर्गत विशिष्ट मदें जैसे मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां छात्रों को शिक्षा देना, छात्रावास सम्बन्धी अतिरिक्त सुविधाएं, छात्रावास तथा मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां हैं। इस प्रकार अनेक शीर्षक हैं। जब तक योजना आयोग से अन्तिम स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक इस समय तो प्रत्येक मद तथा आवंटन के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मुख्य प्रश्न में कुछ भ्रान्ति है। 142 करोड़ रुपये चौथी योजना अवधि में आवंटित धनराशि है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा किसी भी क्षेत्र के लिए अभी किसी निश्चित धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा तैयार प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker Sir, keeping in view the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the country, the amount of rupees 142 crores allocated by Government under the Fifth Five year plan is just a drop in the ocean. Whether Government propose to allocate more money for the upliftment and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in view of the work done for their upliftment during the last twenty-five years.

Shri D. P. Yadav : It is our endeavour to provide maximum facilities to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to assure the honourable member that my ministry would leave no stone unturned in this regard.

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विचार-गोष्ठी

+

*493. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे 22 अक्तूबर, 1972 को नजफगढ़ दिल्ली में हुई ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठन की पांच-दिवसीय विचार-गोष्ठी में उपस्थित हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस विचार-गोष्ठी में चिकित्सा प्रशिक्षण के ढांचे के बारे में विचार किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण एवं आवास राज्य मंत्री प्रो० देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय ने ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ में ग्राम क्षेत्रों के चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की विचार-गोष्ठी का उद्घाटन किया जो 23 से 28 अक्तूबर, 1972 तक चली।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों के चिकित्सा अधिकारियों और बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण-पाठ्यचर्या पर विचार-विमर्श किया गया।

श्री पी० गंगादेव : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा प्रशिक्षण के संबंध में कोई विशेष सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : कार्यवाही करने के पश्चात् ये सिफारिशें मंत्रालय को नहीं भेजी गई हैं। अतः जब तक हमें ये सिफारिशें प्राप्त नहीं हो जातीं, हम इन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते।

श्री पी० गंगादेव : मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष योजना है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि विचार-गोष्ठी का आयोजन मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अतः जिन विषयों पर हमने वहां चर्चा की वे मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजना ही नहीं है अपितु इसका यही अर्थ है कि हमें अपनी योजनायें कार्यान्वित करने में उनकी सहायता मिलने की संभावना होगी। मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सकों और अर्द्ध-चिकित्सकों के वितरण के मामले में भारी असन्तुलन और इस असंतुलन को दूर करने पर चर्चा की गई। 68 प्रतिशत डाक्टर शहरी क्षेत्रों में हैं जहां जनसंख्या का केवल 18-20 प्रतिशत भाग है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जहां हमारी सम्पत्ति का 70 प्रतिशत भाग है और हमारी 80 प्रतिशत जनता रहती है, बहुत थोड़े डाक्टर उपलब्ध हैं। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए हमने विभिन्न समस्याओं और इनसे संबंधित मामलों पर चर्चा की।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रसन्नभाई महता—उपस्थित नहीं।

Shri Bibhuti Mishra : The Minister has said that he has discussed many schemes. I would like to know whether he has formulated any scheme for providing medicines to the poor people living in the villages ?

Mr. Speaker : But we are Discussing seminar here.

Shri Bibhuti Mishra : He had organised a seminar at Najafgarh. I want to know from the Minister the scheme he has formulated for supplying medicines in the villages. Mr. Speaker, you belong to a village and I also come of a village.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसाकि मैंने पहले कहा है, हमारा अभिप्राय केवल इसमें शामिल

होना और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच चिकित्सकों और गैर-चिकित्सकों के वितरण में असंतुलन होने के कारणों का अध्ययन करना था ।

दूसरे, जैसाकि इस सभा को विदित है हमने मंत्रालय में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना तैयार करके राज्य सरकारों को भेज दी है जिसका मुख्य अभिप्राय गरीब वर्गों और ग्रामवासियों को लाभ पहुंचाना और प्राथमिक तथा सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों के आधारभूत ढांचे को अधिक सशक्त बनाना है। इस योजना पर अन्तिम कार्यवाही की जा रही है । हम रे विचार में एक या दो मास के अन्दर हम इस पर अन्तिम निर्णय ले लेंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : He has told nothing. Mr. Speaker, we both belong to villages. What scheme has been formulated for the villages by the Government ?

Mr. Speaker : You may ask him what was discussed at the seminar ?

Shri Bibhuti Mishra : I have already asked which scheme was discussed ?

Mr. Speaker : You should ask him as to why no discussion was held in this regard ? Had anything in this regard been discussed there ? He would have told you to that effect·····

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने बताया है कि विचार-गोष्ठी में उन बातों पर विचार किया गया । परन्तु हो सकता है कि माननीय सदस्य अथवा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस चर्चा के परिणामों से संतुष्ट न हों । परन्तु जैसाकि मैंने आपको बताया है इस विचार-गोष्ठी की सिफारिशें हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

श्री बिभूति मिश्रा : आपने क्या किया ? मैं केवल आपसे वही जानना चाहता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले डाक्टरों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के संबंध में बताया है । इन नई सुविधाओं के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने वाले डाक्टरों की प्रतिशतता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इससे यह बात कैसे उत्पन्न होती है ? प्रश्न तो केवल वहां पर हुई विचार-गोष्ठी का है । आप इस संबंध में अन्य सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस प्रोत्साहन के बावजूद भी डाक्टरों ने इस ओर कोई उत्साह नहीं दर्शाया है, परन्तु मैं इस समय इस संबंध में पूरे आंकड़े नहीं बता सकता ।

Shri Ambesh : Whether there was any discussion in the seminar to the effect that the doctors are not willing to go in villages in spite of the incentive provided to them and if any such discussion was held there, the results thereof ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इसकी सिफारिशें अभी सरकार को नहीं भेजी गई हैं और इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि इसकी स्पष्ट सिफारिशें क्या हैं । मैंने पहले ही कहा है कि हम विशेष प्रोत्साहन देते हैं और 150 रुपये विशेष वेतन के रूप में दिया जाता है । छात्रवृत्तियों के वितरण के संबंध में हम किसी डाक्टर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा पर विशेष ध्यान देते हैं ।

इस विचार-गोष्ठी का उद्देश्य डाक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से लगातार हिचकिचाहट पर विचार करना था। हम इसके कारण जानकर इनका निवारण करना चाहते हैं। इस विचार गोष्ठी के ठोस सुझाव अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

विषय : मत्स्य पत्तन, धामारा, उड़ीसा के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

*494. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासौर जिले में धामारा, के स्थान पर प्रस्तावित मत्स्य पत्तन सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) क्या पत्तन बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी मंजूरी कब दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) धामारा स्थित मीनहरण बन्दरगाह के विषय में इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, मृदा अन्वेषण तथा डिजाइनों के अनुमानों के ब्यौरे के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन से मार्च, 1972 में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। मई, 1972 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे चालू दरों के साथ परियोजना रिपोर्ट में दिए गए लागत-प्राक्कलनों का मिलान करके चौथी तथा पाँचवीं योजनाओं की अवधियों के बारे में वर्ष-वार आधार पर नौकाओं की संख्या, उनके अवतरण तथा यंत्रीकरण कार्यक्रम से उनके सह-सम्बन्ध के बारे में उल्लेख करने के लिए कहा गया था। इस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के बाद ही प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री अर्जुन सेठी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह मत्स्य पत्तन परियोजना पर सारा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस परियोजना समेत सभी छोटी पत्तन योजनाओं पर पूरा धन केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है।

श्री अर्जुन सेठी : विवरण में हम देखते हैं कि "मई, 1972 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे चालू दरों के साथ परियोजना रिपोर्ट में दिये गए लागत-प्राक्कलनों का मिलान करके चौथी तथा पांचवीं योजनाओं की अवधियों के बारे में वर्षवार आधार पर नौकाओं की संख्या, उनके अवतरण तथा यंत्रीकरण कार्यक्रम से उनके सह-सम्बन्ध के बारे में उल्लेख करने के बारे में कहा गया था। उस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।"

चूंकि राज्य सरकार ने बहुत समय ले लिया है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि इस परियोजना पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार ने कौनसे कदम उठाए हैं ताकि यह परियोजना शीघ्र पूरी की जा सके।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । हम इस सम्बन्ध में सरकार को स्मरण पत्र भी भेजते रहते हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : चूंकि इस पर केन्द्र सरकार द्वारा धन लगाया जा रहा है, राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करना है···

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस पर सारा धन केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा । यह एक स्वाभाविक सी बात है कि लागत सम्बन्धी प्रकरण और अन्य बातें तो उन्हें ही प्रस्तुत करनी हैं और हम उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं क्योंकि स्वीकृत की गई राशि वास्तविक प्राक्कलन के आधार पर ही की जाएगी ।

श्री अर्जुन सेठी : कहा गया है कि एफ० ए० ओ० अपने प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है। विवरण में भी यही बताया गया है ··

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले ही दो अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं और उन्हें अब तीसरा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए···

श्री अर्जुन सेठी : विवरण में बताया गया है कि एफ० ए० ओ० अपने प्रस्ताव पहले ही भेज चुका है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने मेरी बात सुनी है ? एक सदस्य, जिसके नाम का मुख्य प्रश्न होता है, केवल दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है । परन्तु आपने तीसरा प्रश्न पूछा है और अब आप चौथा प्रश्न भी पूछने जा रहे हैं···

श्री अर्जुन सेठी : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यदि हम स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति भी दें तो इसमें कोई दूसरा सदस्य भाग नहीं ले सकता । आप पहले ही दो से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं । अब आप और क्या चाहते हैं ?

श्री अर्जुन सेठी : विवरण में बताया गया है कि :—

"धामारा स्थित मीनहरण बन्दरगाह के विषय में इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, मृदा अन्वेषण तथा डिजाइनों के अनुमानों के ब्यौरे के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन से मार्च, 1972 में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।"

अध्यक्ष महोदय : आप विवरण से क्यों पढ़ना चाहते हैं ? आप अपने प्रश्न मौखिक रूप से पूछ सकते हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : इन्हें एफ० ए० ओ० से पहले ही रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस परियोजना को पूरा करने में कोई तकनीकी कठिनाइयां

नहीं हैं। प्राक्कलन राज्य सरकार ने भेजने हैं और हम राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा नमी मापक यंत्रों की खरीद

*496. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक कुल कितने और किस-किस कंपनी से नमी मापक यंत्र खरीदे गए हैं और प्रत्येक यंत्र का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि खरीदे गए कुल यंत्र आवश्यकता से कहीं अधिक हैं और अनेक यंत्र कुछ मूल तकनीकी खराबियों के कारण अप्रयुक्त पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि नमी सम्बन्धी मीटरों की संख्या जरूरत से ज्यादा नहीं है और ये नमी सम्बन्धी मीटर कुल मूल तकनीकी खराबियों के कारण बेकार नहीं पड़े हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(क)

वर्ष	मैसर्स ओरियंटल साइन्स अपरेटस वर्कशाप, अम्बाला छावनी	मैसर्स एसोसियेटेड इन्स्ट्रूमेंट मैनुफैक्चरर्ज इण्डिया (प्रा०) लि० दिल्ली	मैसर्स असक हिक्सन लिमिटेड, कलकत्ता
1966	—	30 (रु० 1499 प्रत्येक)	—
1967	89 (रु० 1785 प्रत्येक)	150 (रु० 1450 प्रत्येक)	—
1968	299 (रु० 1775 प्रत्येक)	100 (रुपए 1400 प्रत्येक)	—
1969	90 (रु० 1785 प्रत्येक)	—	—

वर्ष	मैसर्स ओरियन्टल साइन्स अपरेटस वर्कशाप, अम्बाला छावनी	मैसर्स एसोसियेटेड इन्स्ट्रूमेंट मैनुफैक्चरर्ज इण्डिया (प्रा०) लि० दिल्ली	मैसर्स असकू हिक्सन लिमिटेड कलकत्ता
1970	250 (रु० 1785 प्रत्येक)	—	—
1971	490 (400, 1390 रुपये की दर-से प्रत्येक और 90, 1825 रु० की दर से प्रत्येक)	—	—
1972	20 (रुपये 1950 प्रत्येक)	—	20 (रुपये 1520 प्रत्येक)
जोड़	1238	300	20
सकल जोड़	1558		

श्री बयालार रवि : माननीय मंत्री जी ने इस आरोप का पूर्णतया खण्डन किया है कि मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कुछ मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं और इन में कुछ यांत्रिक दोष हैं। क्या सरकार इस आरोप की जांच करायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जो कुछ भी मैंने कहा है वह खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर कहा है। चूंकि माननीय सदस्य इस पर कुछ आशंका प्रकट कर रहे हैं हम इसकी पुनः जांच करेंगे।

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक हरिजन लड़के का जल जाना

*497. **श्री राज राजसिंह देव** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक हरिजन लड़का गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में अपने शरीर में आग लगाकर मर गया था ;

(ख) क्या इस लड़के ने यह कदम स्थानीय पुलिस द्वारा निर्दयता से पीटे जाने के बाद उठाया;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट से सम्बद्ध उद्धरण संलग्न है ।

विवरण

गाजियाबाद जिला मेरठ में एक हरिजन लड़के के जल जाने की कथित घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट ।

ता० 11/11/72 को 4-15 पी० एम० कान्स/410 ओमप्रकाश चौकी डासना गेट ने थाना सिहानी गेट पर मौखिक प्रथम सूचना दर्ज करायी कि दौरान ड्यूटी रोडवेज स्टेन्ड पर 12 बजे दिन अभियुक्त चन्द्रसेन रंगे हाथ जेब काटने में पकड़ा जिसने एक त्यागी सिपाही थाना विसरख जिला बुलन्दशहर जो सादे वस्त्रों में बस स्टेन्ड पर था कि जेब से 18/-रुपए नकद एक डायरी निकाली थी और त्यागी सिपाही के साथ अभियुक्त को चौकी डासना गेट पर ले गया था । त्यागी सिपाही यह कहकर कि उसका मुकदमा नहीं लिखता अपने रुपए व डायरी लेकर चला गया । अभियुक्त चन्द्रसेन ने उसको कई नाम पते बताए और जेबकटी का मुकदमा भी आगरा में चलना बताया। अभियुक्त चन्द्रसेन ने चौकी डासना गेट पर 2-45 पी० एम० पर स्टोव से मिट्टी का तेल अपने बदन पर डालकर खुद आग लगा ली जिसकी आग को उसने व कान्स/राम कृष्ण दीक्षित व जनता के रामप्रसाद व रामप्रकाश ने मिट्टी व पानी डालकर आग बुझायी और अभियुक्त चन्द्रसेन को 3-15 पी० एम० पर सरकारी अस्पताल गाजियाबाद दाखिल किया । कान्सटेबिल के इस बयान पर अभियुक्त चन्द्रसेन के विरुद्ध अप० सं० 573 धारा 379-411-309 भा० द० वि० अंकित हुआ ।

अभियुक्त चन्द्रसेन को ता० 13-11-72 को मेरठ मेडिकल कालेज में दाखिल करा दिया गया था तथा उसकी मृत्यु दिनांक 26-11-72 की शाम को मेडिकल कालेज, मेरठ में हुई ।

अभियुक्त चन्द्रसेन का चालचलन थाना फिरोजाबाद से तसदीक किया गया तो ज्ञात हुआ कि चन्द्रसेन चार बार का सजायाव व अदालत से तीन मुकदमों में जमानत पर रिहा होकर फरार है ।

अभियुक्त चन्द्रसेन ने अस्पताल में अपने 'डाइंग डिकलेरेशन' में तहसीलदार गाजियाबाद को यबान दिया कि चौकी के चार कान्सिटेबिलों के विरुद्ध अप० सं० 573 ए धारा 307 भा० द० वि० थाना सिहानी गेट पर कायम हुआ । चारों कान्सिटेबिलों को निलम्बित करके ता० 12-11-72 को 9 पी०एम० जेल भेज दिये गए । इस घटना की जांच के लिए जिलाधीश मेरठ ने मजिस्ट्रीयल इनक्वारी प्रारम्भ करा दी और विवेचना भी सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दी गई है। चारों अभियुक्त कान्स्टेविलान ता० 14-11-72 को न्यायालय ए० डी० एम० (जेल) मेरठ से जमानत पर रिहा हो गए हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस वक्तव्य से मैंने यह पाया है कि अनुसूचित जाति के हरिजन लड़के ने अस्पताल में गाजियाबाद के तहसीलदार के समक्ष मरते समय जो बयान दिया था उसमें यह कहा

है कि पुलिस स्टेशन के चार कांस्टेबिलों ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी और हमने यह भी देखा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि न्यायिक जांच करने का आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया है क्योंकि यदि इन कांस्टेबिलों की जमानत ली जाती है तो वे साक्ष्यों में हस्तक्षेप करेंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो वक्तव्य दिये गए हैं वे परस्पर विरोधी है। लोकसभा में इस प्रकार का वक्तव्य देने का उन्होंने कैसे साहस किया है ?

मुझे पता चला है कि बुलंदशहर जिले के बिसरख पुलिस स्टेशन के त्यागी नामक कांस्टेबिल की एक हरिजन बालक ने जेब काटी थी। यह उस पर आक्षेप था। इसके पश्चात् जैसा कि हमें पता चला है कि वह मामले को दर्ज नहीं कराना चाहता था और वह अपना धन तथा डायरी लेकर पुलिस स्टेशन से चला गया। इस पर कौन विश्वास करेगा ? क्या यह अजीब बात नहीं है और क्या यह अवैध नहीं है कि कांस्टेबिल ने हरिजन लड़के को जेब काटते हुए पकड़ा और फिर अपना धन तथा डायरी लेकर बिना एफ० आई० आर० बनाए उसे छोड़ दिया। हम यह जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में यह बात हुई थी।

वक्तव्य में कहा गया है।

"·····दासना गेट पुलिस स्टेशन पर अभियुक्त ने अपने शरीर पर कुछ मिट्टी का तेल डाला और अपने आप को आग लगा दी·····"

इसका अभिप्राय यह हुआ कि उसने कांस्टेबिलों की उपस्थिति में कहीं से कुछ मिट्टी का तेल प्राप्त किया और अपने आप को आग लगा ली।

"उसने (श्री ओम्प्रकाश), कांस्टेबिल रामकृष्ण दीक्षित और श्री रामप्रसाद तथा श्री राम कृष्ण नामक दो व्यक्तियों ने अभियुक्त पर मिट्टी और पानी डालकर आग को बुझाया।"

यह कैसे संभव हो सकता है कि पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर ही अपराधी एक गैलन मिट्टी का तेल प्राप्त करे। उसने इसे कहां से प्राप्त किया यह समूची गढ़ी-गढ़ाई कहानी है।

मैं यह भी जानना चाहूँगा कि इस घटना के कितने दिन बाद लाश को उसके सम्बन्धियों को सौंपा गया था। मैं इस गढ़ी-गढ़ाई कहानी का खंडन चाहता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से उचित स्पष्टीकरण चाहता हूं। बड़ी लज्जा की बात है कि एक हरिजन को जलाया गया है।

प्रो० एस० नरुल हसन : भारतीय दंड संहिता की धारा 573 क और 307 के अन्तर्गत चार अपराधियों के विरुद्ध मामला पहले ही दर्ज कर दिया गया है। माननीय सदस्य यह पूर्णतया जानते हैं कि ऐसी गंभीर धारा के अन्तर्गत जब ऐसा मामला दर्ज किया जाता है तो उसके लिए पूर्णरूपेण न्यायिक जांच होती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, केवल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच होती है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : उन्होंने दूसरा भाग पढ़ने की ओर ध्यान नही दिया है। लड़के के मरते समय के बयान के परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 573 क और 307 के अंतर्गत चार कांस्टेबिलों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। गुप्तचर विभाग को इसकी जांच करने का कार्य सौंपा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मजिस्ट्रेट द्वारा जांच क्यों ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : पहले मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया था, किन्तु जब उसकी जानकारी मिल जाएगी तो न्यायिक जांच कराई जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : वास्तव में जमानत का विरोध किया गया था। मैं सभा की जानकारी में एक और बात लाना चाहता हूं कि इस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को आगरा जिले के फिरोजाबाद में चार बार दोषी सिद्ध किया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह गलत बात है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह विवरण हमें उत्तर प्रदेश सरकार से मिला है। यह तथ्यों का विवरण है न कि उनकी राय।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह गलत विवरण है। एक लड़के ने अपने आप को जलाकर मर गया है और आप चाहते हैं कि हम इस पर शांत रहें। मुझे बड़ा दुःख है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि आप इसमें कोई राजनीतिक भाषण देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका स्वागत है किन्तु आपको इस कार्य के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात यह है कि आगरा जिले के फिरोजाबाद में उस पर चार बार पहले मुकदमा चलाया जा चुका था। तीन गैर-जमानत वारंटों में फरार था। (**व्यवधान**)

श्री पीलू मोदी : सरकारी पक्ष के कुछ सदस्य जेल में रहे हैं। उनके जलने का यह कारण नहीं रहा है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं इस बात को नहीं मान रहा। मैं माननीय सदस्य के परोक्ष संकेत का कड़ा विरोध करता हूं। मैं एक वक्तव्य दे रहा था और इसे पूरा करने से पहले माननीय सदस्य व्यवधान डालने के लिए उठ खड़े हुए। मैं यह कह रहा था कि यह विशेष व्यक्ति हरिजन था जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है किन्तु तथ्य यह है कि यह वह व्यक्ति हैं जो पहले चार अवसरों पर.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : कोई बात नहीं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं इस प्रकार के व्यवधान से झुकने वाला नहीं हूं। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने जा रहा हूं और माननीय सदस्य को उसे सुनने के लिए बैठना चाहिए। मैं

यह कह रहा हूं कि इस तथ्य से कि यह मामला धारा 307 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था, स्पष्ट पता चलता है कि जिला अधिकारी इस बात में स्पष्ट है कि तथ्य यह है कि उस व्यक्ति को जलाने में उसके पूर्व दोषी होने के औचित्य की बात नहीं आती। (**व्यवधान**) अतः जलने के कारण मृत्यु के इस आरोप के मामले में····· (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह पुलिस स्टेशन से कैसे सम्भव हुआ। वक्तव्य के अनुसार, उनके पास मिट्टी का तेल था·····

प्रो० एस० नुरुल हसन : मामला पूरी तरह दायर किया गया है और इसलिए हमें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए (**व्यवधान**)।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्पष्टीकरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं। वक्तव्य से मुझे यह पता चला है कि ये लोग यह कहते हैं कि उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में ही मिट्टी का तेल प्राप्त किया और तीन चार कांस्टेबिलों की उपस्थिति में अपने आप को आग लगा दी। माननीय मंत्री महोदय क्या हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कैसे सम्भव हो सकता है। (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। जब प्रश्न काल पहले ही समाप्त हो चुका है तो फिर भी मंत्री महोदय क्यों बैठे हुए हैं। पहले ही 12 बज चुके हैं (**व्यवधान**)। यदि आप इस प्रकार कार्यवाही चलाते रहे तो प्रश्नों का समूचा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। आप थोड़ी सी सूचना प्राप्त करना चाहते थे। मन्त्री महोदय ने वही सूचना आपको दी है जो उन्हें राज्य सरकार से मिली है। यह मंत्री महोदय की अपनी सूचना नहीं है। उन्हें जो सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से मिली है वही आपको दे रहे हैं। (**व्यवधान**) मैंने आपको काफी समय दिया है। किन्तु यदि आप इसी प्रकार चलते रहे तो सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा कोई और तरीका नहीं रहा है जिससे मैं कार्यवाही चला सकूं। (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : महोदय, माननीय मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे न तो आप संतुष्ट हुए हैं और न ही यह सभा। यह बड़ा नाजुक मामला है। क्या आप उन्हें नहीं कह सकते कि इसके बारे से जो कतिपय शंकाएं उठी हैं उन्हें तत्काल स्पष्ट किया जाना चाहिए। अन्यथा इससे निरन्तर प्रतिक्रिया ही पैदा होगी।

श्री फ्रैंक एंथनी : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा। इस बात पर कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वे उसे नहीं मान रहे। प्रथम दृष्टि में कुछ न कुछ अपराध हुआ है। आप इसे धारा 307 के अन्तर्गत अर्थात् हत्या के प्रयास के रूप में दायर कैसे कर सकते हैं। स्पष्टतः यह ऐसा मामला है जिसे धारा 302 के अन्तर्गत दायर किया जाता है। यदि उसने आत्महत्या की है तो उसे हत्या का प्रयास कैसे कहा जा सकता है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैं और अधिक उत्तर देने वाला नहीं हूं । कार्यवाही वृत्तांत में कोई बात सम्मिलित नहीं की जाएगी । मंत्री महोदय उसी विवरण को पढ़ रहे हैं जो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से मिला है । यह उनका अपना वक्तव्य नहीं है । आपके लिए यही उचित होगा कि आप एक और प्रश्न दें । मैं यह कह रहा हूं कि प्रश्नों का समय समाप्त होने वाला है और इसलिए कृपया आप शोर न करें तथा एक उचित प्रश्न पूछें । पहले ही चार मिनट अधिक हो गए और आप इसी प्रकार चलते जा रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी : व्यवस्था के प्रश्न पर एक बात पूछना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है । हर समय राज्य सरकार कुछ जानकारी भेज देती है अतः मंत्री महोदय का केवल यही कर्त्तव्य नहीं है कि राज्य सरकार जो कुछ भेज देती है वह उसे तोते की भाँति रटते जाएं । यदि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी स्पष्टतः बेतुकी और अनुचित है तो केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उसमें परिवर्तन करे अथवा उसमें संशोधन करे अथवा और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास करे । सदस्य लोग प्रस्ताव आदि के रूप में आपके पास जो कुछ भी भेजते हैं आप, अपनी ओर से और आपका सचिवालय उसके प्रत्येक पक्ष की पूर्णरूपेण छानबीन करते हैं तो फिर आपका विभाग ऐसे विवरणों की भी छानबीन क्यों नहीं करता जो सभा के समक्ष पेश किये जाने हैं ।

श्री डी० पी० यादव : मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री प्रो० नुरुल हसन को दूसरी सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देता है और इसलिए उन्हें जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे पहले ही लिखा है कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद उन्हें जाना है ।.....(**व्यवधान**) यदि शोर मचाकर आप समूची सभा को अपने रहम पर रखे रहेंगे तो ईश्वर ही सहायता करेगा । कृपया बैठ जाइये । (**व्यवधान**)

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि आप इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे तो हम यह मामला आपके हाथों में छोड़ देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो सकता है ? प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

**इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली स्थित सुपर बाजारों में घाटा और पूंजी निवेश

*481. **श्री फतहसिंहराव गायकवाड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित सुपर बाजारों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) क्या वहां चोरी और उठाईगिरी की घटनाओं के कारण घाटा बढ़ रहा है ; और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में-वर्ष-वार इस कारण कितना घाटा हुआ है ; और

(ग) सुपर बाजारों के कार्यों में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार ने सुपर बाजार, दिल्ली और उसकी सात शाखाओं में कुल 136.90 लाख रु० की राशि लगाई है ।

(ख) कमियों, जिनमें छीजन, सूखन, संकुचन, शाप-साइलिंग, टूट-फूट, उठाईगिरी, चोरी आदि भी शामिल हैं, के कारण हुई हानि इस प्रकार है :—

1967-68	14.60 लाख रुपये
1968-69	5.55 लाख रुपये
1969-70	4.54 लाख रुपये
1970-71	4.83 लाख रुपये

(केवल चोरी तथा उठाईगिरि के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(ग) सरकार ने सुपर बाजार के प्रबन्धकों पर इस बात के लिए जोर दिया है कि इसके कार्यकरण में सर्वांगीण सुधार करने की बहुत ही जरूरी तथा तत्काल आवश्यकता है । इसमें बिक्री-कारी का उच्च स्तर स्थापित करने के अतिरिक्त बिक्री तथा आय को नियत स्तरों तक बढ़ाना, व्यय में कमी करना और किफायतशारी लागू करना भी शामिल है । सरकार ने प्रबन्धकों पर इस बात के लिए भी विशेष रूप से बल दिया है कि क्रय तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियों एवं प्रति-क्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाने की आवश्यकता है ।

सुपर बाजार, दिल्ली के प्रबन्धकों ने इस संस्था के कार्यकरण में सुधार करने के लिए जो विभिन्न कदम उठाए हैं तथा उठाने का विचार है, उनमें ये शामिल है : कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना, ऊपरी व्यय में दूसरी किफायतें करना, स्टाक लेवल का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण, बिक्री बढ़ाने तथा कमियों में कटौती करने के लिए और भी जोरदार उपाय करना, प्रशासनिक तथा लेखा प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाना, वस्तु-सूची तथा क्रय नीतियों का मानकीकरण करना, जिस में अच्छी संभव शर्तों पर स्रोत से ही खरीद करना तथा प्रबन्ध समिति की क्रय उप-समिति द्वारा क्रय तथा मूल्य निर्धारण नीति का बार-बार पुनर्विलोकन करना भी शामिल है, व्यापार सम्बन्धी तथा विविध आय में बढोत्तरी करने के उपाय करना, बिक्री बढ़ाने के विभिन्न उपाय अपनाना, बिक्री की तकनीकों में सुधार करने के लिए विक्रेताओं तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, स्टोर-प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ पहलुओं की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ के सलाहकार तथा प्रवर्तन सैल और अन्य विशेषज्ञ निकायों की सेवाओं का उपयोग करना ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन

*482. **श्री उमेद सिंह राठिया :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोगों के पास 75 वर्ग गज या इससे कम क्षेत्र का प्लाट अथवा उस पर बना मकान/फ्लैट है, वे भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/प्लाट का अलाटमेंट पाने के अधिकारी हैं;

(ख) क्या वे व्यक्ति भी दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट/प्लाट के अलाटमेंट पाने के अधिकारी हैं संयुक्त सम्पत्ति के, जिसमें उनका व्यक्तिगत हिस्सा 75 वर्ग गज अथवा उससे कम है, स्वामी हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है जिससे उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र दे सकें ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) फिलहाल संयुक्त सम्पत्ति के वे मालिक दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों के लिए नीलाम में बोली देने के पात्र हैं जिनका वैयक्तिक भाग 80 वर्ग गज से कम हो, बशर्ते कि उक्त संयुक्त सम्पत्ति घनी आबादी (गन्दी बस्तियों) में स्थित हो तथा दिल्ली के संघ क्षेत्र में उनके अपने नाम कोई अन्य मकान या प्लाट न हो। तथापि, मामले पर आगे विचार किया जाना प्रस्तावित है।

Scheme to take on rent houses constructed by D.D.A. by Estate Office for Allotment

*483. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether the Estate Office has not been able to allot Government quarters to those employees, who have rendered more than 15 years of service under the Central Government ;

(b) whether the Defence institutions in Delhi take on rent the houses constructed by the Delhi Development Authority in order to provide housing facilities to their employees ;

(c) if so, whether the Estate Office also proposes to take on rent the houses constructed by the Delhi Development Authority and allot them to their employees ; and

(d) if not, the obstacles in the way of implementing this suggestion ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) It has not been possible so far to provide general pool accommodation in types I to IV to 14,480 officials, who have put in more than 15 years' service.

(b) No such accommodation has been taken on rent by the Ministry of Defence or the Military Estate Officer, Delhi Circle, from the Delhi Development Authority.

(c) No, Sir.

(d) The D.D.A. constructs such houses under specific housing schemes. Government servants are also eligible to participate in those schemes. Under these schemes, the D.D.A. generally constructs houses by raising resources through mobilisation of savings of the participants. These houses are meant for sale through hire purchase or on lump sum payment to the contributing participants and not for letting out on rent. Government are considering an expansion of their construction programme for providing residential accommodation to larger number of Government servants.

फसल के पौधों के बारे में भारत-रूस विचार-गोष्ठी

*486. **श्री राम कंवर** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के पौधों के सम्बन्ध में दिल्ली में हाल ही में एक चार दिवसीय भारत-रूस विचार-गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-गोष्ठी में कितने वैज्ञानिकों ने भाग लिया;

(ग) उस विचार-गोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें की गईं और क्या विचार व्यक्त किये गए; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। "फसल के पौधों की उत्पत्ति और गुणक्रान्ति अनुसंधान के जीनपूल केन्द्रों की नवीनतम प्रगति" के विषय में एक विचार-गोष्ठी 10 से 13 नवम्बर, 1972 तक भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकडमी में आयोजित की गई।

(ख) इस गोष्ठी में 6 रूसी वैज्ञानिक और लगभग 60 भारतीय वैज्ञानिकों ने भाग लिया था।

(ग) विचार-गोष्ठी में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों ने दोनों देशों की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने वाले फसल संसाधनों के महत्त्वपूर्ण अंशदान की ओर ध्यान आकर्षित किया

और इन संसाधनों के आनुवंशिक उन्नयन के लिए और उनकी संवृद्धि तथा परिरक्षण के लिये नए तरीकों पर विचार किया। इस विचार-विमर्श के आधार पर फसल सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए अनेक निष्कर्ष निकाले गए। इनमें से कुछ निष्कर्ष और सिफारिशें नीचे दी गई हैं—

(1) रूसी वैज्ञानिकों ने भारतीय वैज्ञानिकों को सूरजमुखी और चुकन्दर की फसलों में, जो इस देश के लिए नई फसलें हैं और हमारे स्नेह तथा शकर के संसाधनों को बढ़ाने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, और अधिक सुधारने में अपना सहयोग देने की पेशकश की। रूसी वैज्ञानिकों ने इन फसलों के सम्बन्ध में असाधारण कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप सूरजमुखी में तेल के तत्त्व के दुगना करना संभव हो सका है और चुकन्दर की अधिक उत्पादनशील किस्मों का निकास भी हो सका है। यह कार्य सकर सजीवता और "ट्रिप्लोइडरी" की अन्वेषण सम्बन्धी तकनीकों के प्रयोग से हुआ है। इन किस्मों की तुलना गेहूं तथा अन्य अनाजों की उन अधिक उत्पादनशील किस्मों से की जा सकती है जिनका भारतीय वनस्पति उगाने वालों ने हाल ही के वर्षों में निकास किया है।

(2) विचार गोष्ठी ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि अधिक उत्पादनशील किस्मों की निर्मुक्ति से और कई देशों में उन्नत कृषि तकनोलोजी के प्रसार के कारण कहीं ऐसा न हो कि सदियों से उगाए जाने वाले फसल पौधों की स्थानीय किस्मों के बहुत ही अमूल्य आनुवंशिक भण्डार सदैव के लिए नष्ट हो जाएं। अतः भाग लेने वालों ने यह सिफारिश की कि इन बहुमूल्य आनुवंशिक भण्डारों का संग्रह भारत और विश्व के विभिन्न भागों से आपातिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसल पौधों के बीजों का राष्ट्रीय संग्रह करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझा गया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से अनुरोध किया गया कि वह इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करें। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए भारत में क्षेत्रीय आधार पर फसल पौधों के आनुवंशिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए। भाग लेने वालों ने इस क्षेत्र में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा किये गए कार्य की प्रशंसा की और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि दोनों देशों को विभिन्न फसल पौधों के बीजों के आदान-प्रदान के लिए एक पद्धति तैयार करनी चाहिए और उसे भविष्य में जारी रखा जाना चाहिए।

(3) भाग लेने वालों ने नोट किया कि रूस का ट्रांस-काकेशियन प्रदेश ऐसा है जहाँ गेहूं जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण फसल के पौधों का संग्रह मौजूद है। यह शिफारिश की गई कि दोनों देशों के आनुवंशिक वैज्ञानिकों के एक संयुक्त दल को बहुमूल्य पौध-सामग्री सम्पदा के संग्रह के लिए जांच-पड़ताल करनी चाहिए।

(4) यह सुझाव दिया कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्नातकोत्तर विद्यार्थियों, आनुवंशिक वैज्ञानिकों तथा पौध उगाने वाले दोनों देशों के बीच निरन्तर आदान-प्रदान होना

चाहिए और दोनों देशों में भारत-रूस की संयुक्त विचार-गोष्ठियां आयोजित की जानी चाहिए।

(5) वैज्ञानिकों ने विभिन्न दाल फसलों के लिए निर्धारित प्रयोगात्मक, मुटाजैनेसिस तथा नाइट्रोजन के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए सहमति प्रकट की। उन्होंने गुणक्रान्ति सम्बन्धी अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों में की गई पर्याप्त प्रगति को नोट किया और महसूस किया कि यह प्रगति आने वाले वर्षों में फसल सुधार कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

(घ) विशिष्ट सिफारिशों सहित विचार-गोष्ठी सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट अभी सरकार से प्राप्त होनी है।

केरल में सामूहिक फार्मों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

*489. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने ग्यारह जिलों में से प्रत्येक में एक सामूहिक फार्म स्थापित करने के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने राज्य में सामूहिक फार्म स्थापित करने के लिए केन्द्र से पंचवर्षीय योजना से बाहर कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Training Centres for small Farmers

*492. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to open more Training Centres to give assistance and co-operation in various fields to small farmers ; and

(b) if so, the main features thereof and the number and locations of training centres in each State in respect of which approval has been accorded so far or is proposed to be accorded by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Under the Centrally sponsored scheme of Farmers Training and Education, 100 Farmers Training Centres have been established in the selected High-Yielding Variety Districts throughout the country. These Centres are providing training to all categories of farmers including small ones in the latest agricultural technology. It is proposed to set-up additional 100 Centres during the 5th Five Year Plan.

(b) The salient features of the scheme are to provide training through institutional and non-institutional courses in various subject-matter areas and to demonstrate latest technology of farming through National Demonstrations. Besides Farmers Discussion Groups have been formed which serve as a continuing extension vehicle through which farmers keep in touch with the latest findings and developments relating to agriculture.

The State-wise list of centres already operating is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. L. T. 4058/72]. The allocation of future 100 Centres will be done as soon as the 5th Plan proposals are finalised.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के नाम अनुसूची में शनैः शनैः हटाने के लिए कालबद्ध कार्यक्रम

*495. **श्री बी० मायावन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामों को अनुसूची से शनैः शनैः हटाने के लिए किसी क्रमबद्ध कालबाधित कार्यक्रम पर विचार कर रही है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या ढेबर आयोग ने ऐसा कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की थी ताकि अनुसूचित जातियों को इस समय मिल रही विशेष रियायतों तथा अवसरों के बारे में कोई भ्रम न रहे; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस कार्य पर सरकार ने अब तक कुल कितना व्यय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना

*498. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम

प्रादेशिक भाषा रखा गया है और विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में तैयार कर ली गई हैं; और

(ख) क्या अधिकांश विश्वविद्यालयों में अब भी शिक्षा का और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रख दिए गए हैं—

(i) विवरण, जिसमें उन विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं, जो भारतीय भाषाओं को, उनके नामों के सामने दिए गए पाठ्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अनुमति देते हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4059/72]

(ii) विवरण, जिसमें उन विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए ,हैं जो भारतीय भाषाओं को उनके नामों के सामने दिए गए पाठ्यक्रमों में परीक्षा के माध्यम के रूप में अनुमति देते हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4059/72]

(iii) विवरण, जिसमें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई "क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों तथा साहित्य के निर्माण" नामक योजना के अधीन प्रकाशित तथा छप रहीं विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की विषयवार संख्या दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4059/72]

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का मानकीकरण

*499. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के मानकीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) (1) होम्योपैथिक सलाहकार समिति द्वारा सुझाये गए तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा समर्थित एक चार-वर्षीय समान डिप्लोमा कोर्स को भारत सरकार ने मंजूर कर दिया है। इसे क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(2) होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने के बारे में एक विधेयक संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है। इस

विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद के गठन की व्यवस्था होगी। यह परिषद देश भर में होम्योपैथिक शिक्षा का एक जैसा मानक लागू करेगी और इस बात को सुनिश्चित करेगी कि केवल मान्य अर्हतावाला व्यक्ति ही होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता है।

(3) सरकार का विचार एक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने का है। इसके उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के सर्वोत्तम मानकों को निर्धारित और निरूपित करना है। स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान करने के मामले में यह संस्थान एक परीक्षक निकाय के रूप में काम करेगा। इस योजना के पांचवी पंच वर्षीय योजना अवधि में चलाये जाने की आशा है।

दिल्ली में सहकारी समितियों की ओर बकाया राशि

*500. **श्री मानसिंह भौरा :**
श्री रामभगत पसवान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फिफ्टी लैक्स कोऑपरेटिव एरियर्स टू बी कलैक्टेड एज रैवैन्यू" (सहकारी समितियों की ओर 50 लाख रुपये बकाया) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपरोक्त राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) वसूली कार्य में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे विशेष अभियान, अनुनयी उपाय और बकायादारों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना।

मध्य प्रदेश में मुरैना स्थित एक सहकारी चीनी कारखाने में चीनी का उत्पादन

4650. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में मुरैना स्थित उस सहकारी चीनी कारखाने में अभी तक चीनी का उत्पादन नहीं हुआ जिस पर तीन वर्ष पहले 275 लाख रुपये खर्च किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) मैसर्स मुरैना मंडल सहकारी शक्कर कारखाना, केलरास, जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) को सहकारी चीनी कारखाना जिसकी गन्ना पेरने की दैनिक क्षमता 1250 मी० टन हो, की स्थापना के लिए 27-1-1967 को एक लाइसेंस दिया गया था। संयंत्र 15-1-72 ने पेराई-मौसम के दौरान सर्व प्रथम 26-2-1972 को उत्पादन शुरू किया था और परीक्षण के तौर पर पेराई की थी। परीक्षण के तौर पर की गई पेराई के दौरान कारखाने ने रुक-रुक कर 10-3-72 तक 34 घंटे काम किया और 27 मी० टन चीनी तैयार की।

चालू पेराई मौसम अर्थात् 1972-73 में 14 दिसम्बर, 1972 को कारखाने को पेराई का कार्य शुरू करना था। उन्हें इस मौसम में गन्ने की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए 3000 मी० टन से 5000 मी० टन तक चीनी का उत्पादन होने की आशा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई दिल्ली स्थित आर० के० पुरम में क्वार्टरों को आगे किराये पर दिया जाना

4651. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री नई दिल्ली स्थित आर० के० पुरम में क्वार्टरों को आगे किराये पर दिए जाने के बारे में 31 जुलाई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह जानकारी किन सूत्रों अथवा एजेंसो से प्राप्त हुई कि नई दिल्ली स्थित आर० के० पुरम के सेक्टर VII में क्वार्टरों को आगे किराये पर नहीं दिया गया है तथा सम्पदा निदेशक को टेलीफोन लगाये जाने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है;

(ख) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि नई दिल्ली स्थित आर० के० पुरम के सेक्टर VI के कुछ फ्लैटों में टेलीफोन लगाए गए हैं जो उद्योग-धन्धों के अधिकारियों के अधिकार में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) यह नहीं कहा गया था कि रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली के सेक्टर VII में क्वार्टरों की उप-किरायेदारी नहीं थी। तथापि, यह बताया गया था कि सामान्य पूल वास के अनधिकृत दखलकार किसी गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा सेक्टर VII में टेलीफोन लगवाने का कोई मामला सम्पदा निदेशालय के नोटिस में नहीं आया। सम्पदा निदेशालय को ऐसे टेलीफोन लगवाने के किसी मामले का ज्ञान नहीं था क्योंकि पहले कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) तथा (ग) एक गैर-सरकारी व्यक्ति को क्वार्टर उप-किरायेदारी पर देने का एक मामला हाल ही में सम्पदा निदेशालय के नोटिस में आया है, जहां उस गैर-सरकारी व्यक्ति के नाम टेलीफोन भी लगा हुआ है। इस मामले की जांच आरम्भ कर दी गई है तथा सरकारी वास के अनधिकृत रूप से उप किराये पर दिए जाने पर कार्यवाही की निर्धारित पद्धति के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।

29 जुलाई, 1972 के ब्लिट्ज में "एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज (हैदराबाद) – होटबैड आफ सैक्स एण्ड करप्शन (प्रशासनिक स्टाफ कालेज (हैदराबाद) यौन और भ्रष्टाचार का अड्डा)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

4652. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 1972 के ब्लिट्ज में "प्रशासनिक स्टाफ कालेज (हैदराबाद) यौन और भ्रष्टाचार का अड्डा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार को दृष्टि में रखते हुए इस संस्थान के कार्यों की जांच करवाई गई है; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन भारतीय प्रशासनीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद, एक रजिस्टर्ड स्वायत्तशासी संस्था है और सोसायटी की आम सभा द्वारा नियुक्त, शासी मंडल, कालेज के मामलों को सुचारु रूप से चलाने और उसके अभिशासन के लिए जिम्मेदार है ।

शासी मंडल ने "ब्लिट्ज" में प्रकाशित समाचार की ध्यानपूर्वक जांच की है, और इस पक्के निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरोप एकदम निराधार हैं ।

टेलीफोन तथा टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा अधिकृत आवास-स्थान

4653. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन तथा टेलीग्राफ इंजीनियरिंग विभाग के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के पूल में आवास उपलब्ध का और डाक-तार निदेशालय में उनके तबादले पर उनको सामान्य पूल आवास में उसी क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्रों में उसी टाइप का आवास दिया गया था ;

(ख) इसमें से उनकी संख्या कितनी है जिनके पास पहली मंजिल (ग्राऊंड फ्लोर) का मकान और सामान्य पूल में पहली मंजिल (ग्राऊंड फ्लोर) का मकान दिया गया ;

(ग) नई दिल्ली में डी-11 टाइप आवास के लिए सामान्य पूल की प्रतीक्षा सूची के अन्य व्यक्तियों से इन्हें प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या ऐसा आवंटन सामान्य पूल में आवास के आवंटन को नियमित करने वाले नियमों के अनुसार ही किया गया था ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) सामान्य पूल से 10 ऐसे अधिकारियों को उनके टाइप से अगले निचले टाइप के वास आवंटित इस कारण किए गये हैं कि उन्हें अपने दखल के विभागीय पूल के वास को खाली करना पड़ा। इनमें से 3 अधिकारियों को उन स्थानों में वास दिया गया जहां उन्होंने विभागीय पूल का वास खाली किया तथा 7 को विभिन्न क्षेत्रों में वास दिया गया।

(ख) 10 अधिकारियों में से 4 विभागीय पूल में नीचे की मंजिल में रह रहे थे तथा उन्हें सामान्य पूल में निचली मंजिल में वास दिया गया।

(ग) तथा (घ) : वर्तमान पद्धति के अनुसार, जब विभागीय पूल के वास के दखल में एक अधिकारी को उसके सामान्य पूल वास के पात्र कार्यालय में बदली होने पर उसे खाली करना अपेक्षित होता है, तो उसे तदर्थ आधार पर सामान्य पूल से 'उससे निचली टाइप' का वास दिया जाता है ताकि वह विभागीय पूल वास को खाली कर सके तथा उसे कठिनाई न हो। ये आवंटन इसी पद्धति के अनुसार किये गये थे तथा आवंटन के मामले में ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई थी।

दिल्ली दुग्ध योजना के संपूर्ण दिवस कार्य करने वाले दुग्ध स्टालों के मैनेजरों के विरुद्ध विचाराधीन पड़े सतर्कता सम्बन्धी मामले

4654. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा चलाये जा रहे संपूर्ण दिवस कार्य करने वाले दुग्ध स्टालों के कतिपय मैनेजरों के विरुद्ध दिल्ली दुग्ध योजना की सम्पत्ति के गुम होने तथा अन्य बातों से सम्बन्धित सतर्कता सम्बन्धी कुछ मामले विचाराधीन पड़े हैं ; यदि हां, तो ऐसे मैनेजरों की संख्या कितनी है तथा इन मामलों पर कार्रवाई किस अवस्था पर है ;

(ख) क्या इन विचाराधीन मामलों पर निर्णय आने से पूर्व ही कुछ मैनेजरों के मामलों पर उन्हें ऊंचे ग्रेड पर पदोन्नति करने के लिए विचार किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे मामलों को नियमित करने के लिए निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ऐसी पदोन्नतियां की जा सकती हैं ; और

(घ) इन मैनेजरों के मामले में निर्धारित प्रक्रिया को न अपनाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली द्वारा भूमि का विकास

4655. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री डेरा इस्माइल खां सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा भूमि के विकास के बारे में 13 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनरीक्षित लक्ष्य तिथि जब तक समिति को भूमि का विकास करना है निर्धारित न करने के क्या कारण हैं हालांकि पहिले इसे 13 मार्च, 1970 तक अर्थात् अढ़ाई वर्ष पूर्व भूमि का विकास करना था ;

(ख) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि समिति द्वारा भूमि का शीघ्रता से विकास किया जाये जिससे अंशधारियों को अनावश्यक कठिनाई तथा मानसिक पीड़ा से बचाया जा सके ; और

(ग) 30 नवम्बर, 1972 तक समिति द्वारा भूमि के विकास में कितनी प्रगति हुई थी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) क्योंकि ले-आऊट प्लान, सर्विसेज़ प्लान डिमार्केशन-कम-सेट-बैंक प्लान तथा निर्माण की गतिविधियों को आरम्भ करने की स्वीकृति देना समिति के नियन्त्रण से बाहर है, अतः समिति द्वारा विकास कार्य पूर्ण करने के लिये कोई निश्चित अन्तिम तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ख) तथापि, विकास कार्य पर त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट समिति से मांगी जा रही है और जहां व्यवहार्य हो विकास कार्य की प्रगति में आने वाली किसी भी कठिनाई को हल करने के लिये यथोचित सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि की त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार समिति ने निम्नलिखित प्रगति की है :—

लेवलिंग तथा ड्रेसिंग	—	85 प्र० श०
सड़कें	—	65 प्र० श०
बरसाती पानी की नालियां	—	35 प्र० श०
जल सप्लाई	—	50 प्र० श०
सड़कों की बिजली	—	5 प्र० श०
सीवर	—	35 प्र० श०

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दिल्ली में मकान कर निर्धारित करने के बारे में नये अनुदेश

4656. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली नगर पालिका बनाम दीवान दौलत राम कपूर तथा नई दिल्ली के अन्य लोगों के मामले में 16 नवम्बर, 1972 को अपने निर्णय में दुबारा स्पष्ट रूप से बताया है कि दिल्ली में भवनों पर लगाया जाने वाला मकान कर किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन स्टैण्डर्ड किराये से ज्यादा नहीं होना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्णय के सन्दर्भ में भविष्य में मकान कर, दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम 1957 के अधीन किराये के आधार पर निर्धारित करने के लिए नई दिल्ली नगर-पालिका तथा दिल्ली नगर निगम को कोई नये अनुदेश दिये हैं;

(ग) क्या दो स्थानीय निकाय नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम उच्च न्यायालय द्वारा भूतकाल में इसी प्रकार के निर्णय दिये जाने के बावजूद भी अपने क्षेत्राधिकार में स्टैण्डर्ड किरायों पर मकान कर निर्धारित न करके पिछले ज्ञात मार्किट किरायों के आधार पर कर निर्धारित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उससे मकान-मालिकों को किस प्रकार की राहत मिलेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में रिहायशी मकानों का कार्यालय प्रयोजनों हेतु दुरुपयोग

4657. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध, जो रिहायशी मकानों का कार्यालय प्रयोजन हेतु दुरुपयोग कर रहे हैं, मुकदमें चलाने की कार्यवाही तेज कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में व्यापारिक क्षेत्रों की कमी को देखते हुए सरकार का विचार इस मामले में नम्र रवैया अपनाने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण नई विकसित कालोनियों में वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास कर रहा है जहां कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं । अतः उल्लंघनों पर नरम रवैया अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निवासी संघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर निर्णय

4658. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 21 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवासी संघ द्वारा कच्चे पानी के शुल्क में कमी करने के बारे में दिये गये अभ्यावेदन पर अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें इस बात का पता है कि बाबर रोड, नई दिल्ली तथा जोर बाग और गोल्फ लिंक जैसे कुछ अन्य स्थानों पर बागबानी की सुविधाओं के लिए केवल लगभग 100 वर्ग फीट भूमि है जबकि कच्चे पानी के निम्नतम शुल्क पांच रुपया प्रति मास है जो यदि उसके लिए साफ पानी भी उपयोग किया जाए तो उसके शुल्क से भी अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : बागबानी के छोटे-छोटे क्षेत्रों, अर्थात् 0,01 से 0.10 एकड़, तथा 0,11 से 0.25 एकड़ के टुकड़ों के लिए कच्चे पानी की सप्लाई की दरों को घटाकर क्रमशः 5 रुपये से 3.50 रुपये, तथा 7 रुपये से 6 रुपये प्रतिमास करने का अब निर्णय किया गया है। घटी हुई दरें 1 मई 1973 से लागू होंगी।

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय के लिये रिहायशी क्षेत्रों का कथित दुरुपयोग करने के मामलों को विनियमित करना तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन पर मुकदमे चलाना

4659. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली कुछ शुल्क लेकर उन सभी मामलों को विनियमित कर रहा है जिनमें कार्यालय के लिए रिहायशी क्षेत्रों का कथित दुरुपयोग किया गया है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 29 (क) के अन्तर्गत दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्र के ऐसे पट्टेधारियों तथा कब्जाधारियों दोनों के ही विरुद्ध कथित दुरुपयोग के लिए मुकदमे दायर कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस वैषम्य के क्या कारण हैं जबकि पट्टेधारियों को भूमि अनुदान अधिनियम के अन्तर्गत दी गई है ; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) पट्टे की शर्तों के अधीन उचित प्रभार लेकर भूमि तथा विकास अधिकारी रिहायशी क्षेत्रों के कार्यालय के प्रयोजन के लिए उपयोग करने को केवल अस्थायी रूप में नियमित करता है। भूमि के उपयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के सांविधिक उपबन्धों के अधीन मुकदमा चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत सभी दुरुपयोग आ जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली भू प्रबन्ध जांच समिति का प्रतिवेदन

4660. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली भू प्रबन्ध जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या इसे सभापटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि तथा इमारतों के मालिकों तथा प्रयोक्ताओं पर मुकदमे शुरू किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भूमि तथा विकास कार्यालय के कार्य का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई है तथा इसके अध्ययन में दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करता है, शामिल नहीं है। दिल्ली की बृहत-योजना के उपबन्धों के उल्लंघन के मामलों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है।

परामर्शदात्री समिति और बोर्डों के सदस्य

4661. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे परामर्शदात्री समिति और बोर्डों का ब्यौरा क्या है जिनमें 1 दिसम्बर, 1972 को लोक सभा और राज्य सभा का प्रत्येक सदस्य कार्य कर रहा था ; और

(ख) विभिन्न समिति और बोर्डों में संसद सदस्यों को नियुक्त करने का मापदण्ड क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) विभिन्न मन्त्रालय/विभागों के लिए 21 सलाहकार समितियों पर संसद् सदस्य कार्य कर रहे हैं (एक विवरण जिसमें 1 दिसम्बर, 1972 की स्थिति दिखाई गई है संलग्न है) । इन समितियों पर लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों का नामांकन, यथासम्भव, उनके द्वारा दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है ।

जहाँ तक अन्य सरकारी समितियों/बोर्डों का सम्बन्ध है, इनका गठन विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है । जहां तक इन समितियों/बोर्डों पर संसद् सदस्यों के नामांकन का सम्बन्ध है, अनुसरण की जाने वाली सामान्य कसौटी निम्न प्रकार हैं :—

(1) 'सदस्य परिचय-पुस्तिका,' सूचक-कार्डों तथा सलाहकार समितियों पर सदस्यों द्वारा नामांकन के लिए दिये गये विकल्पों को निश्चय कर सरकारी समितियों, आदि पर नियुक्तियां सदस्यों के रुझान, अभिरुचि, पूर्व अनुभव आदि के आधार पर की जाती हैं।

(2) सदस्यों को यथासम्भव व्यापक अवसर प्रदान करने के लिए उन सदस्यों के नामों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका चयन अथवा नामांकन संसदीय या सरकारी समितियों के लिए पहले ले ही नहीं कर लिया गया है ।

(3) वित्तीय समितियों पर कार्य कर रहे सदस्यों का नामांकन सामान्यतः अन्य समितियों पर नहीं किया जाता है ।

विवरण

1 दिसम्बर, 1972 को 21 परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रमांक	**मन्त्रालय/विभाग**
1.	रक्षा
2.	शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति
3.	वैदेशिक कार्य
4.	वित्त
5.	कृषि
6.	विदेश व्यापार
7.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण एवं आवास

क्रमांक मंत्रालय/विभाग

8. गृह कार्य
9. औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा टेकनोलोजी
10. सूचना तथा प्रसारण
11. सिंचाई तथा बिजली
12. श्रम तथा पुनर्वास
13. पेट्रोलियम तथा रसायन
14. योजना
15. रेलवे
16. नौवहन तथा परिवहन
17. इस्पात तथा खान
18. पर्यटन तथा नागर विमानन
19. परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष
20. संचार
21. कम्पनी कार्य

मैसूर में धान का व्यापार

4662. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मैसूर राज्य धान और ज्वार का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लेगा; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या गत वर्ष आरम्भ की गई वसूली प्रणाली लागू की जायेगी ; और

(ग) मैसूर राज्य में धान की प्रति क्विंटल दर क्या है और वसूली धान का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने 1973-74 से थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिए आवश्यक संगठनात्मक ढांचे को अभी अन्तिम रूप देना है। इसके अलावा, राज्य सरकार राज्य के कुछेक जिलों में चल रही सूखे की स्थिति पर तत्काल कार्यवाही कर रही है ।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार ने 1972-73 फसल वर्ष के लिए 1.42 लाख मी० टन धान का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार द्वारा चालू खरीफ मौसम के लिए विभिन्न किस्मों की धान के

निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(रु० प्रति क्विंटल)

बढ़िया	59.00
दरमियाना बढ़िया	56.00
मध्यम	53.00
मोटी	52.00

1972-73 में कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर चावल और गेहूँ की सप्लाई

4663. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1972-73 में देश में जनता के कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर चावल और गेहूँ सप्लाई करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) फिलहाल केन्द्रीय स्टाक से राज्य सरकारों को उनकी सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए लाभकारी लागत वसूल किए बिना निर्धारित मूल्यों पर गेहूँ, चावल और मोटे अनाज सप्लाई किए जा रहे हैं।

वर्ष 1971-72 में कार्य दिवसों की संख्या, चीनी की वसूली की प्रतिशतता और गन्ने के लिए दिया गया मूल्य

4664. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के पिराई मौसम के लिए प्रत्येक राज्य में, कारखाने-वार, कार्य दिवसों की संख्या कितनी है, चीनी वसूली की औसतन प्रतिशतता कितनी है और प्रति क्विंटल कितना मूल्य दिया गया है ; और

(ख) 1971-72 में अधिष्ठापित पिराई क्षमता कितनी थी और वास्तव में कितने गन्ने की पिराई हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) 1971-72 मौसम के दौरान कारखाने वार कार्यावधि के आंकड़े, उपलब्धि की औसत प्रतिशतता, पेरे गए गन्ने, प्रति दिन स्थापित पेराई क्षमता और गन्ने का दिया गया मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4060/72]

काली सूची में दर्ज ठेकेदारों की सूची

4665. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सरकार ने वर्ष 1970-72 में कितने ठेकेदारों के नाम काली सूची में दर्ज किए और प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) ऐसे ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिनके मामलों का पुनर्विलोकन करके उनके नाम वर्ष 1971-72 के दौरान काली सूची से हटा दिये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) निविदा-पत्रों में प्रक्षेप के कारण एक ठेकेदार से काम करवाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कोई नहीं है ।

दिल्ली में आरक्षित पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के अध्यापदों को स्थायी करना

4666. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1968 को दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित स्थायी, नियमित तथा अस्थायी पदों पर, अलग-अलग कितने स्नातकोत्तर अध्यापक, विषयवार कार्य कर रहे थे ; और

(ख) उपरोक्त विभाग में वर्ष 1962 से कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के स्नातकोत्तर अध्यापकों को उनके लिए आरक्षित स्थायी पदों पर स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान में कृषि प्रबन्ध पाठ्यक्रम

4667. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान में विशेषकर स्नातक कृषि

इंजीनियरों तथा अन्य कृषि स्नातकों के लिए कृषि प्रबन्ध में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की मुख्य बातें तथा प्रशिक्षणार्थियों को चयन करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ग) क्या कल्याण स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान तथा व्यापार प्रबन्ध तथा प्रशासन में पाठ्यक्रम चलाने वाले ऐसे अन्य संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, कृषि प्रबन्ध में एक वर्ष का कार्यक्रम प्रदान करता है। दाखिले के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित अर्हताओं में से एक होनी चाहिए :

1. कृषि/पशु विज्ञान में एम० एस-सी०
2. कृषि अर्थशास्त्र/कृषि सांख्यिकी में एम० एस-सी०
3. अर्थशास्त्र में एम० ए० तथा साथ में कृषि अर्थशास्त्र में विशिष्टता
4. ग्रामीण समाज शास्त्र/कृषि विस्तार/समाज शास्त्र में एम० ए० तथा साथ में ग्रामीण समाज शास्त्र में विशिष्टता
5. बी० ई०/बी० टैक०/कृषि इंजीनियरी में बी० एस-सी०, एम० एस-सी० एम० ई०
6. डेरी उद्योग/डेरी उद्योग में एम० एस०-सी०
7. कृषि तथा सम्बन्ध विषयों में अन्य समकक्ष अर्हताएं।

कृषि में प्रबन्ध पाठ्यक्रम के कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी गई है :—

पहला सत्र	दूसरा सत्र	तीसरा सत्र
कृषि वित्त-1	कृषि व्यवसाय पद्धतियां	कृषि विकास नीतियां
कृषि प्रौद्योगिकी	प्रबन्ध लेखा-2	कृषि वित्त-2
प्रबन्ध लेखा-1	प्रबन्ध अर्थशास्त्र (क)	प्रक्रिया अनुसंधान
विपणन	प्रबन्ध अर्थशास्त्र (ख)	संगठनात्मक व्यवहार-2
प्रवन्ध के लिए गणित-1	प्रबन्ध के लिए गणित-2	ग्रामीण विपणन
संगठनात्मक व्यवहार-1	अनुसंधान पद्धति	अनुसंधान परियोजना

जो उम्मीदवार प्रयोज्यता मूल्यांकन के आधार पर सफल हैं, उन्हें लिखित योग्यता परीक्षा के लिए, सामूहिक चर्चाओं में भाग लेने तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इस कार्यक्रम में दाखिले के लिए किसी उम्मीदवार के चयन का अंतिम निर्णय इस गणना के आधार पर किया जाता है : (1) प्रयोज्यता मूल्यांकन, (2) योग्यता परीक्षण, (3) सामूहिक चर्चा, और (4) व्यक्तिगत साक्षात्कार।

(ग) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता कोई ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करता। उपलब्ध सूचना के अनुसार व्यापार प्रबन्ध तथा प्रशासन के पाठ्यक्रम वाले अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय भी ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करते।

कृषि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट अधिकारी और रोजगार तथा मार्गदर्शक ब्यूरो

4668. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकों/स्नातकोत्तरों को रोजगार दिलाने के लिए काम दिलाऊ अधिकारी और रोजगार तथा मार्गदर्शक ब्यूरो हैं;

(ख) क्या जी० वी० पन्त यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टक्नोलौजी में कोई रोजगार ब्यूरो नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। केवल कुछ ही कृषि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी कल्याण विभाग हैं जो विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के विषय में कार्य करते हैं।

(ख) तथा (ग) जी० बी० पंत यूनीवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टक्नोलौजी में कोई रोजगार ब्यूरो नहीं है। यूनीवर्सिटी में एक विद्यार्थी कल्याण विभाग है जो डीन विद्यार्थी कल्याण के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। यह विभाग रोजगार सेवाओं के सम्बन्ध में कार्य करता है और विश्वविद्यालय छोड़कर जाने वाले स्नातकों के लिए रोजगार तलाश करने के मामले में सहायता प्रदान करता है। यूनीवर्सिटी अपने स्नातकों के चले जाने के बाद भी उनसे सम्पर्क स्थापित रखती है। विद्यार्थियों को स्वतः रोजगार, मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण की भी सुविधाएं दी जाती हैं।

भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्रचार करने हेतु युवकों को शिक्षा देने के लिए संस्थान

4669. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्रचार करने के लिए सुशिक्षित युवकों को शिक्षा देने, और उनका मार्गदर्शन करने के लिए संस्थान मौजूद हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं और सरकार प्रतिवर्ष उन्हें कितना धन देती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) देश की लगभग सभी शिक्षा संस्थाओं में भारत की संस्कृति तथा सभ्यता पढ़ाई जा रही है। संगीत, नृत्य, नाटक, मूर्तिकला, पेंटिंग आदि जैसी निष्पादन और रूपकर (प्लास्टिक) कलाओं में अनेक संस्थाएं प्रशिक्षण देती हैं। भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्रचार करने के लिए सुशिक्षित युवकों को शिक्षा देने तथा उनका मार्गदर्शन करने के लिए देश में कोई संस्था नहीं है। ऐसी आशा की जाती है कि जिन व्यक्तियों ने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया है, वे उसके प्रचार में भी समर्थक हैं। फिर भी, सरकार ने, एक योजना शुरू की है, जिसके अधीन माध्यमिक स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों को भारतीय कला और संस्कृति के अनेक पहलुओं पर प्रश्नचर्चा पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इसके बदले, अध्यापक अपनी-अपनी संस्थाओं के विद्यार्थियों को भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से परिचय कराएंगे।

देश के विभिन्न भागों के माध्यमिक स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों के लिए अब तक दो प्रश्नचर्चा पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। तीसरे प्रश्नचर्चा पाठ्यक्रम का 19 दिसम्बर को उद्घाटन किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए पोषक आहार देने की सुविधाओं का विस्तार

4670. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए पोषक आहार देने की सुविधाओं का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस योजना का विस्तार किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) समाज कल्याण विभाग का विशेष पोषक आहार कार्यक्रम इस समय शहरी गंदी बस्तियों के अतिरिक्त आदिवासी तथा सूखाग्रस्त और अकालग्रस्त इलाकों में चलाया जा रहा है। वित्तीय साधनों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाने से पूर्व इस कार्यक्रम को समेकित करना होगा।

तमिलनाडु में गन्ने के मूल्यों का निर्धारित अवधि में भुगतान न किया जाना

4671. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में चीनी कारखानों की ओर से गन्ना उत्पादकों को गन्ने की सप्लाई

के बाद 14 दिनों के भीतर एक मुश्त 7.37 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से 1971-72 के सीज़न के लिए निम्नतम मूल्य अदा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कारखानों ने ऐसा नहीं किया है; और

(ग) उन दोषी कारखानों के नाम क्या हैं तथा उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

ठेकेदारों से वसूल किया गया जुर्माना

4672. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन ठेकेदारों की संख्या कितनी है जिनसे वर्ष 1970-72 में काम में खराबी अथवा विलम्ब के लिए जुर्माने वसूल किए गए हैं और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है तथा क्षेत्रीय एककों से एकत्रित करनी पड़ेगी। एकत्रित होते ही इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा

4673. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामी दयानन्द अस्पताल, शाहदरा दिल्ली में यमुना पार रहने वाले विशाल जनसमूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अंधा मुगल, दिल्ली में क्वार्टरों के विक्रय-विलेख के कार्य को पूरा करना

4674. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अंधा मुगल,

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को बेचे गए सभी क्वार्टरों का (निर्धन श्रेणी) विक्रय-विलेख का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है जिनके बारे में विक्रय-विलेख का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष विक्रय-विलेख का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :(क)दो अलाटियों के मामले में पट्टा-विलेख निष्पादित किये गए हैं ।

(ख) तथा (ग) 63 मामलों में अलाटियों ने किस्तों का पूरा भुगतान नहीं किया है । 141 मामलों में अलाटियों ने सभी किस्तों का भुगतान कर दिया है तथा उनके पट्टा-विलेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

विभिन्न निगमों में कृषि इंजीनियरों की संख्या

4675. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) भारतीय राज्य फार्म निगम (दो) केन्द्रीय भाण्डागार निगम (तीन) खाद्य निगम (चार) राष्ट्रीय बीज निगम और (पांच) पटसन निगम में कृषि इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त प्रत्येक निगम में कृषि इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने इंजीनियर हैं;

(ग) स्नातक कृषि इंजीनियरों को क्या प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(घ) इन इंजीनियरों को भर्ती करने का क्या तरीका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) विभिन्न निगमों में कार्य करने वाले कृषि इंजीनियरों की संख्या निम्न प्रकार है—

1. भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड	5
2. केन्द्रीय भाण्डागार निगम	कुछ नहीं
3. भारतीय खाद्य निगम	1
4. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	12
5. पटसन निगम	कुछ नहीं

इन निगमों में कार्य करने वाला कोई भी इंजीनियर अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का नहीं है ।

(ग) 1. **भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड**

स्नातक कृषि इंजीनियरों को मुख्य इंजीनियर, आपरेशनल मैनेजर (मैकेनिकल) तथा मैकेनिकल इंजीनियर के पदों पर क्रमशः 1600-2000 रुपये, 1000-1400 रुपये और 700-1200रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया है। ये वेतनमान काफी आकर्षक हैं और नीचे के ग्रेड में कार्य करने वाला व्यक्ति भी उच्च वेतनमानों तक पहुंच सकता है। निगम का कोई पृथक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, किन्तु इंजीनियरों को विचार गोष्ठियों और अल्पावधि के विशिष्ट पाठ्यक्रमों आदि में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**

निगम में कार्य करने वाले सहायक कृषि इंजीनियर कृषि इंजीनियर के पद पर और कृषि इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति के पात्र हैं। उन्हें कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, किन्तु अधीक्षक इंजीनियर और कृषि इंजीनियरों द्वारा उन्हें उनके काम से सम्बन्धित बातें समझा दी जाती हैं।

(घ) 1. **भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड**

ऐसे इंजीनियर सीधी भर्ती द्वारा छांटे जाते हैं।

2. **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**

कृषि इंजीनियरों के पद पर शत-प्रतिशत नियुक्ति निगम में कार्य करने वाले सहायक कृषि इंजीनियरों में से की जाती है और सहायक कृषि इंजीनियरों के पद पर शत-प्रतिशत नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती से की जाती है।

पंत नगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के स्तर में सुधार

4676. **श्री टी० सोहन लाल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के बी० टैक्नोलौजी डिग्री कृषि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में वर्ष 1970 और 1971 के दौरान प्रथम श्रेणी पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 56.7 और 86.4 प्रतिशत थी, जबकि पंतनगर स्थित जी० बी० पन्त यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलौजी में इनकी संख्या क्रमशः केवल 38.33 और 34.37 थी; और

(ख) पंतनगर के विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ताकि इस विश्वविद्यालय से पास होने वाले विद्यार्थियों को अन्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विद्यार्थियों की तुलना में पीछे न रहना पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) उक्त विश्वविद्यालय से सूचना एकत्रित की जा रही है। यह प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Buses for Delhi during Fourth Five Year Plan

4677. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the number of buses earmarked for Delhi during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether the targets fixed for the proposed buses have since been completed ; and

(c) the number of Government and private buses earmarked for the Delhi Transport Fleet under the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) to (c) The Fourth Five-Year Plan provides for the acquisition of 1,27 additional buses, including 679 for replacement of old and unserviceable buses, for the Delhi Transport Undertaking/Corporation. Out of this 581 buses have already been procured and another 442 for which orders have been placed, are expected to be added by the end of the Plan period (267 during 1972-73 and 175 during 1973-74). This will leave a balance of 104 (against the target of 1127, mentioned above) and the question of their purchase may be considered by the DTC during 1973-74. The Corporation has also been hiring 200 private buses per day, on an average, during the Plan period, to supplement its fleet, so that the requirements of the travelling public may be met to the maximum extent possible.

Profits and Loss of D.M.S.

4678. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state the profit and loss of Delhi Milk Scheme during the year 1969-70 and 1971-72, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : The Delhi Milk Scheme made a profit of Rs. 73.34 lakhs during 1969-70. The audited accounts for the year 1971-72 are not yet available.

Enquiry into Distribution of milk Tokens by Delhi Milk Scheme

4679. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct an enquiry into distribution of milk tokens by Delhi Milk Scheme ;

(b) whether the tokens for milk are not distributed on the basis of the list, but in an arbitrary manner ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No.

(b) Milk token are normally issued by Delhi Milk Scheme in order of priority according to waiting lists maintained for various categories. However, out-of-turn allotment is made by Chairman, Delhi Milk Scheme in deserving cases to registered applicants in special categories including those on medical grounds, separated defence families, war widows etc.

(c) The Government do not wish to feter the discretionary powers of the Chairman to make out of turn allotment in really deserving cases. The milk supply position is however expected to easen appreciably during the next financial year after the completion of the current expansion programme of the existing dairy Plant and even more after the establishment of the new Recombining (mother) dairy.

टी-25 ट्रैक्टरों का आयात

4680. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में कितने टी-25 ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति दी गई; और

(ख) कितने पूर्ण निर्मित तथा अपूर्ण निर्मित ट्रैक्टरों का आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वर्ष 1970-71 में टी-25 किस्म के 4,850 ट्रैक्टरों का आयात करने की अनुमति दी गई थी। इनमें से 3,000 पूर्ण निर्मित थे और 1,850 एस० के० डी० स्थिति में थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित ट्रैक्टर प्राप्त हुए हैं—

1970—271 (पूर्ण निर्मित)

1971—2729 (पूर्ण निर्मित)

1972—650 (एस० के० डी०)

(अक्तूबर के अन्त तक)

विद्युत नलकूपों को बिजली देने के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर खरीदने हेतु पंजाब को केन्द्रीय ऋण

4681. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रबी की फसल के लिए नलकूपों को बिजली देने हेतु डीजल से चलने वाले विद्युत जनरेटरों को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋण की मांग की है ;

(ख) क्या इस मांग पर विचार किया गया है; यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों को भी ऐसे ऋण दिए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने बिजली की कमी हो जाने पर प्रयोग में लाने के लिए सहायक डीजल पम्प-सेटों के क्रय के लिए आपात्कालिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्र से 15 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी । इस मांग पर भारत सरकार ने 3 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है ।

(ग) मांग करने पर अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की सहायता दी जा रही है ।

प्रबन्धकीय प्रतिभा की कमी

4682. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धकीय प्रतिभा की देशपर्यन्त कमी है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए एक प्रबन्धक संस्थान (इन्स्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट) स्थापित करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) प्रशिक्षित प्रबन्धकों की संख्या में वर्तमान कमी का अनुमान नहीं लगाया गया है । किन्तु, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरों के संघ के आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान का अनुमान है कि देश को अगले दस वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 3,000 अतिरिक्त प्रबन्धकों की जरूरत होगी ।

(ख) बंगलौर और लखनऊ में एक-एक प्रबन्ध संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, लगभग 30 विश्वविद्यालय केन्द्रों में, प्रबन्ध पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं अथवा शुरू किए जा रहे हैं ।

Scheme to grant loans to Small Farmers for Purchasing Tractors, Installation of Tube-Wells and levelling of Land

4683. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to grant loans to the small farmers for purchasing tractors, installation of Tub-wells, levelling of land and fixing of fences for increasing agricultural production and whether Government have also made arrangements for surely, therefor ; and

(b) if so, the progress made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b) The Government do not have a separate scheme of loans to small farmers. Under the two

Central Sector schemes of Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agency (SFDA/MFAL), the agencies set up in the 87 selected project areas formulate programmes for the improvement of the economic conditions of the small and marginal farmers. The programmes drawn up by the agencies include improvement of land, minor irrigation investment, adoption of improved agriculture, horticulture, etc. Loans to the individual beneficiaries for these purposes are given by the normal institutional credit agencies, *i.e.* co-operatives and commercial banks. Since small farmers have uneconomic holdings and cannot afford costly investment, group activities like community irrigation are encouraged. Purchase of tractors by small farmers will not be economically viable. Custom hiring through established institutions is, therefore, encouraged by the agencies either by subsidising the hire changes for the small and marginal farmers or by subsidising the capital cost for setting up custom hire centres by selected cooperatives and panchayats. Subsidies are also given by the agencies towards capital investment for improvement of land, minor irrigation units, etc. so that the loan burden for the beneficiaries is reduced.

Under these two Central Sector schemes, the agencies have assisted the small and marginal farmers to install (i) 42,958 dugwells/tubewells, (ii) 11,913 pumpsets, and (iii) 5,788 other minor irrigation units. Term loans (*i.e.* medium and long term) from cooperatives and commercial banks amounting to Rs 2290.64 lakhs have also been sanctioned to the beneficiaries under these two Central Sector schemes till the end of October, 1972. These loans are for undertaking various types of investment including land improvement and minor irrigation units.

देश में नेत्र बैंकों की स्थापना

4684. **श्रीमती सुभद्रा जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेत्र बैंक स्थापित किये गये हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; उनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनके कार्यकरण की विधि क्या है;

(ख) नेत्र बैंक चलाने के लिये सरकार ने कितने कर्मचारियों और वित्तीय आवश्यकता की सिफारिश की है;

(ग) वास्तव में कितने नेत्र बैंक नेत्र दान के लिये प्रचार, उनके संरक्षण के लिये सक्रिय अनुसंधान और विशेषज्ञों तथा तकनीशनों के प्रशिक्षण में लगे हैं; और

(घ) सरकार तथा नेत्र बैंकों द्वारा नेत्र दान संवर्धन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० ए० के० किस्कु) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 42 नेत्र बैंक हैं जिनकी सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय म**

रखी गई । देखिए संख्या ए ल० टी० 4061/72] ये बैंक राज्य/संघ शासित सरकार अथवा निजी संगठन द्वारा चलाये जा रहे हैं। नेत्र बैंकों द्वारा जो कार्य नीति अपनाई गई है, वह उनकी सुविधाओं और स्टाफ की प्राप्यता के अनुसार अलग-अलग है। आठ से दस नेत्र बैंक अधिक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और वे आँख में पुतली लगाने के आपरेशन करते हैं और साथ ही वे प्रचार और अनुसंधान एवं नेत्र सर्जनों को प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। कुछ बैंक सामान्य संख्या में आपरेशन करते हैं परन्तु वे प्रचार, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य में सक्रिय नहीं हैं। शेष बैंक केवल कभी-कभी आंख में पुतली लगाने का ही काम करते हैं।

(ख) राज्य-नेत्र बैंक और जिला स्तर के नेत्र बैंक खोलने तथा इसके संचालन के लिए वित्तीय और स्टाफ की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं—

	स्टाफ की आवश्यकता	वित्तीय आवश्यकता
राज्य स्तर	अंशकालिक परामर्शदाता सहायक सर्जन, रजिस्ट्रार हाउस सर्जन प्रचार अधिकारी, प्रोजैक्शनिस्ट ड्राइवर तकनीशियन	आरम्भिक 1.5 लाख आवर्ती 0.3 लाख
जिला स्तर	अंशकालिक नेत्र सर्जन सहायक सर्जन या हाउस सर्जन तकनीशियन प्रोजैक्शनिस्ट, ड्राइवर	आरम्भिक 0.7 लाख आवर्ती 0.3 लाख

(ग) बताया जाता है कि बीस नेत्र बैंक तो और अधिक दान सामग्री जुटाने के लिए प्रचार कर रहे हैं तथा दो संरक्षण संबंधी सक्रिय अनुसंधान और विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों के प्रशिक्षण में लगे हुए हैं।

(घ) इस मामले की जांच की जा रही है।

पुतली बदलने सम्बन्धी अधिनियम

4685. **श्रीमती सुभद्रा जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने पुतली बदलने सम्बन्धी अधिनियम पारित किया है;

(ख) इस अधिनियम को पारित करने के लिए अन्य राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) अधिक नेत्र दान प्राप्त करने के विचार से अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) प्लास्टिक की पुतली का विकास करने के सम्बन्ध में और अनुसंधान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० ए० के० किस्कु) : (क) निम्नलिखित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने कोर्निया अधिरोपण अधिनियम पारित किया है —

(1) दिल्ली	(2) उत्तर प्रदेश
(3) मध्य प्रदेश	(4) पंजाब
(5) हरियाणा	(6) मैसूर
(7) महाराष्ट्र	(8) गुजरात
(9) केरल	(10) पश्चिम बंगाल
(11) आन्ध्र प्रदेश	

(ख) दूसरे राज्यों ने इस अधिनियम को पारित करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये हैं; अभी तक उसका कोई पता नहीं है ।

(ग) और (घ) एक माडल कोर्निया अधिरोपण अधिनियम भारत सरकार के विचाराधीन है । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने प्लास्टिक कोर्निया के सम्बन्ध में डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र रोग विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में अनुसंधान किया था । प्लास्टिक कार्निया के विभिन्न डिजाइनों का जानवरों पर प्रयोग किया गया है और डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र रोग विज्ञान केन्द्र में क्लिनिकी परीक्षण के लिए उनका चयन भी कर लिया गया है । अब तक जो क्लिनिकी परीक्षण हुए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और इस सम्बन्ध में आगे और कार्य होना अपेक्षित है ।

Reimbursement of forged Medical Bills

4686. **Shri B. R. Shukla** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Food and Drugs Department of Nagpur Zone recently discovered

that the Central Government officers have defrauded the Government to the tune of lakhs of rupees by getting reimbursement on forged medicine bills.

(b) if so, the categories of the officers in this regard ; and

(c) whether any action has been taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) The Food and Drugs Administration, Maharashtra State, Nagpur Circle, have detected some cases recently.

(b) The category of officers is not yet known ; however, the officers of the following departments are reported to be involved :

(1) Office of the Deputy Accountant General, Posts and Telegraph ;

(2) Indian Bureau of Mines ;

(3) Central Public Works Department ;

(4) Geological Survey of India ;

(5) Central Agmark Laboratory ; and

(6) CPHERI

(c) The matter is being investigated by the Food and Drug Administration, with the help of Special C.I.D. officers attached to the Food and Drug Administration, Maharashtra State, Nagpur Circle. Investigations are proceeding.

Exploitation and Unemployment among Tribals of M.P.

4687. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the major factor responsible for considerable exploitation and unemployment prevailing among the Tribals of Madhya Pradesh specially those belonging to Bastar region is lack of transport facilities in that region ; and

(b) if so, the action being taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Lack of communications has been one of the factors contributing to the exploitation of and unemployment among the Scheduled Tribes in Madhya Pradesh and elsewhere.

(b) The predominently tribal areas are being developed through Tribal Development Blocks. The Block funds can be utilized for the development of communications. There are 126 Blocks in Madhya Pradesh of which 28 are in the Baster District. As regards Bastar District, two special area projects have also been sanctioned. Each of these projects includes a provision of Rs. 0.50 crore for development of communications during the Fourth Plan.

महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना

4688. **श्री राम भगत पसवान :**
श्री सत्यचरण बेसरा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में दो और विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राज्य में दो नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति मांगी है । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

खाद्य तथा चीनी लाइसेंस आदेशों के अधीन मारे गये छापे

4689. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा चीनी लाइसेंस आदेश के अन्तर्गत देश में कुल कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) जब्त किए गए वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस आदेश के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों का चालान किया गया है; और

(घ) क्या देश में ऐसे छापे अभी भी मारे जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 20 राज्यों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों से जुलाई, 1972 से नवम्बर, 1972 तक की अवधि का प्राप्त अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) जी हां ।

विवरण

मारे गये छापों की संख्या	पकड़े माल का ब्यौरा		जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्य-वाही की गई	कैफियत
1	2	3		4
8915	(1) खाद्यान्न (पदार्थ सहित)	11,400 मीटरी टन और (12,919 बोरियां)	3838	स्तम्भ (3) में उल्लिखित संख्या में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

1	2	3	4
	(2) चीनी	326 मीटरी टन और (895 बोरियां)	जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई, है, उनकी संख्या, जिन व्यक्तियों की जमानत जब्त की गई है, उन की संख्या और वे व्यक्ति जिनके विरुद्ध अन्य कार्यवाही की गई हैं या की जा रही है, की संख्या शामिल है ।
	(3) शिशु आहार	विभिन्न आकार के 131 टिन और 19 पैकट	
	(4) खाने योग्य और वनस्पति तेल	106 मीटरी टन और 2250 लिटर	
	(5) वनस्पति तेल के पदार्थ	27 मीटरी टन और 4,659 टिन	

चिकित्सा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

4690. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के (संसदीय कार्य) उपमंत्री ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बंगलौर में एक वक्तव्य दिया था कि चिकित्सा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना पहले से ही स्वीकार कर ली है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि मंत्रालय में रिक्त पड़ा हिन्दी आफिसर का पद

5691. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय में गत दो महीनों से हिन्दी आफिसर का एक उच्च पद रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या कृषि मंत्रालय रिक्त पद को भरने से लिए गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गये कुछ नामों पर विचार नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) भर्ती की तारीख से 28 फरवरी, 1973 तक की अवधि के लिए 900-1250 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी का एक पद मंजूर किया गया था। भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने और उनके अनुसार नियमित रूप से नियुक्ति होने तक इस पद को पूर्णत: अल्पावधि आधार पर भरने का प्रस्ताव है। तदनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा संलग्न कार्यालयों को परिपत्र भेज कर इस रिक्त पद को भरने सम्बन्धी सूचना दी गई थी। गृह मंत्रालय ने भी वहां कार्य करने वाले कुछ अधिकारियों के आवेदन विचारार्थ भेजे थे। इस अल्पावधि नियुक्ति के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए आवेदनों के साथ-साथ इन अधिकारियों के आवेदनों पर भी विचार किया गया है। शिक्षा तथा समाज-कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के संवर्ग के एक अधिकारी का चयन कर लिया गया है और उन्होंने इस पद का कार्य-भार संभाल लिया है।

दिनांक 18 नवम्बर, 1972 के ब्लिट्ज में 'मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर—अमेरिकन स्नेकपिट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

4692. **श्री वयालार रवि :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1972 के 'ब्लिट्ज' में 'मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर-अमेरिकन स्नेकपिट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस लेख में की गई यह टिप्पणी सही नहीं है कि कृषि मंत्रालय केवल संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों से ही कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विमान खरीदना चाहता है। यह कहना भी सही नहीं है कि कृषि मंत्रालय देश में तैयार किये गये डिजाइन के ऐसे विमान के विकास और निर्माण के पक्ष में नहीं था। कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले विमान के आयात के प्रश्न पर इस समय पुनर्विचार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधन

4693. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूखाग्रस्त तथा अन्य कमी वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराने और शीघ्रता से समाप्त हो रहे भूमिगत जल संसाधनों के संरक्षण के लिए अत्यन्त अपर्याप्त प्रयास किये गए हैं; और

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जैसे जिलों का जहां स्थिति बहुत खतरनाक है, तत्काल क्षेत्र अध्ययन किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने सूखे से प्रभावित और अभावग्रस्त कई क्षेत्रों में भूमिगत जल की खोज का काम पहले ही आरम्भ कर दिया है । ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल के सर्वेक्षण और खोज के कार्यक्रमों को इस बोर्ड के कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए यथासंभव प्राथमिकता दी जा रही है ।

(ख) जिला चित्तूर को केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दक्षिणी राज्यों को अपर्याप्त उर्वरक सप्लाई किये जाने की शिकायत

4694. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों ने परिवहन सम्बन्धी बाधाओं सहित विभिन्न कारणों से उनकी मांग के अनुसार उर्वरक न मिलने की शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । दक्षिणी राज्यों से एक सामान्य शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्हें रबी मौसम में उनकी मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती । मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से सप्लाई में कमी रही :—

(i) उर्वरकों के देशीय उत्पादन में कमी होना ;

(ii) विश्व की मण्डियों से उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाइयां;

(iii) दक्षिण में रेल परिवहन की स्थिति पर मुल्की रूल आन्दोलन का प्रतिकूल प्रभाव ।

(ख) दक्षिण राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये उनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं : —

(1) खरीफ तथा रबी फसलों से पहले राज्य सरकारों और सम्बन्धित विनिर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दक्षिणी क्षेत्रीय सम्मेलनों में समन्वित सप्लाई योजनाएं

तैयार की गई । इसके बाद अत्यावश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनके अनुसार देश के निर्माताओं के लिए कानूनी तौर पर यह अनिवार्य कर दिया गया है कि क्षेत्रीय सम्मेलनों में प्रत्येक राज्य की जितना उर्वरक सप्लाई करने का उन्होंने वायदा किया है उसे वे अवश्य ही पूरा करें ।

(2) देशीय निर्माताओं द्वारा उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(3) आयातित उर्वरकों को अधिक मात्रा में खरीदने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(4) उर्वरकों का उपयोग करने वाले क्षेत्रों को शीघ्र माल भेजने के लिए रेल परिवहन को अनुपूरित करने के उद्देश्य से बन्दरगाहों से सड़क द्वारा माल ढोने की अनुमति भी दी जा रही है ।

(5) दक्षिणी राज्यों को निर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरकों की सप्लाई का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है और उर्वरकों की सप्लाई सम्बन्धी समस्याओं के विषय में विचार किया गया है ।

(6) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अधिक उत्पादनशील और निर्यातोन्मुखी प्राथमिकता की फसलों के लिए उपलब्ध उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था करें । मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये निदेश भी जारी कर दिए हैं कि वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्धारित मार्ग दर्शन के आधार पर उपलब्ध उर्वरकों को पूर्णतः उपयोग में लाने के लिये अन्य कदम उठायें ।

Foreign Scholarships to S. C. and S. T. Students from Rajasthan

4695. **Shri Pannalal Barupal** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been sent abroad from Rajasthan State for higher education since January, 1970 to October, 1972 ;

(b) the number of those among them who belong to other castes or classes ; and

(c) if no student has been sent, the specific reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) Under the scheme of Overseas Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students for studies abroad only to candidates from Rajasthan had applied for Scholarship during 1970-71 and 1971-72. They were not selected by the Selection Committee, as other candidates belonging to the Scheduled Castes and Tribes were found more suitable.

Damage due to droughts in Khandwa District in Madhya Pradesh

4696. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the damage caused to crops by the recent drought in Khandwa District (East Nimar) in the jurisdiction of Indore Commissionery in Madhya Pradesh ;

(h) the other areas in Indore Commissionery which have been affected by the recent drought ; and

(c) the amount of grant sanctioned to the Government of Madhya Pradesh for various districts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

(c) Central assistance is given to the State Government, and not to the districts, according to the prescribed procedure. It has been decided to depute a team to the state.

Under the Emergency Production Programme, special Minor irrigation schemes of Rs. 5.53 crores have been approved of which an amount of Rs. 2.380 crores has been released to the State Government. Besides an amount of Rs. 5.00 crores has also been released as short-term loan for agricultural inputs.

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा

4697. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में छात्रों ने राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की अनेक बसों का अपहरण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों तथा बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या पूर्वोपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि यात्रियों, दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन अमले और बसों के बचाव और सुरक्षा, राजधानी में कानून और व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं, अतः सम्बन्धित प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया गया है जिन्होंने मामले में यथासम्भव सहायता करने का आश्वासन दिया है ।

पोषक आहार सप्लाई करने की योजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सहायता

4693. **श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 नवम्बर, 1972 को महाराष्ट्र राज्य के कमी वाले क्षेत्रों को राहत देने सम्बन्धी समिति की प्रधान मंत्री के साथ हुई बैठक में मजदूरों और उनके परिवारों को 'सुखादी' नामक पोषक आहार सप्लाई करने की योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह योजना विचाराधीन है ।

दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइसचान्सलर तथा रजिस्ट्रार के कार्यालयों को लूटा जाना

4699. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 नवम्बर, 1972 को मुख्य कार्यकारी पार्षद के कार्यालय पर उपद्रव करने के बाद दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सलर, प्रोवाइस चान्सलर तथा रजिस्ट्रार के कार्यालयों को लूटा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उन छात्रों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) 14 नवम्बर, 1972 को छात्रों का एक दल दिल्ली पुलिस तथा कुलपति के विरुद्ध नारे लगाता हुआ कुलपति के कार्यालय पर आया । उन्हें बताया गया कि वे मुख्य द्वार तोड़कर तथा प्रवेश द्वार पर तैनात चौकीदार को जबरदस्ती उनके कार्यालयों में घुस गए तथा इन कार्यालयों और विश्वविद्यालय के अन्य कार्यालयों को लूट लिया । उन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले, फर्नीचर तोड़ डाला, कुछ संस्थानों तथा उपस्करों को क्षति पहुंचाई, कुछ वस्तुएं उठा कर ले गए । इस मामले की जांच करने के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति के निष्कर्ष के फलस्वरूप, चार छात्रों को दो वर्षों की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया । इसके अलावा, एक भूतपूर्व छात्र को भी विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में दो वर्ष की अवधि तक बैठने से वंजित कर दिया गया ।

रोशन आरा रोड के पुलिस स्टेशन में धारा 147/148/149/42/452 के अधीन एक मामला रजिस्टर किया गया तथा 28-11-1972 को चालान किया गया था ।

Alterations and Additions in Prime Minister's Residence

4700. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state whether alterations and additions are being made in the present Prime Minister's house with a view to make it a permanent Prime Minister's House ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : No, Sir.

अपंग व्यक्तियों को दस्तकारी का प्रशिक्षण

4701. **श्री सी० के० जफर शरीफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पृथक 'रिसीविंग' गृहों की स्थापना की है जहां अपंग व्यक्तियों को विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ताकि वे शेष जीवन के लिए आत्मनिर्भर बन जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) शिल्पकला में विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं स्थापित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। फिर भी भारत सरकार ने देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र तथा हैदराबाद में बधिरों के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। ये दोनों केन्द्र इंजीनियरिंग तथा गैर-इंजीनियरिंग शिल्प में प्रशिक्षण देते हैं। ओरथोपीडिकल्ली विकलांग तथा अविकसित मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के लिए अनुसंधान करने तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का भारत सरकार का विचार है।

अनुसंधान करने वाले इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण हेतु, बंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स को सुविधाएं

4702. **श्री सी० के० जफर शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स को सभी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सुविधाएं दी हैं ताकि यह संस्थान अनुसंधान करने वाले इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने में अधिक-प्रभावी भूमिका अदा कर सके;

(ख) क्या यह संस्थान मशीनरीकरण और 'कण्ट्रोल सिस्टम' में प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होने के लिए सोवियत संघ के सहयोग से उद्योग के लिए अनुसंधान और डिजाइन परियोजनाएं भी आरम्भ करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, वैज्ञानिकीय इंजीनियरी, रासायनिक इंजीनियरी, सिविल और द्रवचालित इंजीनियरी, विद्युत संचार इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, उच्च वोल्टेज इंजीनियरी, औद्योगिक प्रबंध, अन्तर्दहन इंजीनियरी, यांत्रिकी इंजीनियरी, धातु विज्ञान, संचालन, प्रयुक्त गणित, भौतिक शास्त्र, सूक्ष्मजीवविज्ञान, औषध-प्रभाव विज्ञान, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक और भौतिक रसायन, जीव रसायन और अणु-जीव-भौतिकी में वैज्ञानिकों और अनुसंधान इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।

दिसम्बर, 1966 के भारत-रूस साख करार के अन्तर्गत, संस्थान में स्वचालन में उच्चतर प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें संगणकों, नियंत्रण पद्धतियों और प्रयुक्त इलेक्ट्रानिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्र निम्नलिखित कार्यक्रमों में संलग्न है :—

(1) दो वर्षीय यांत्रिकी इंजीनियरी पाठ्यक्रम, साथ में संगणक विज्ञान और नियंत्रण पद्धनियों में विशिष्टता के लिए सुविधाएं।

(2) उद्योग में कार्य कर रहे इंजीनियरों के लिए लघुकालीन व्यापक पाठ्यक्रम।

(3) अनुप्रयोग उन्मुख विकासीय परियोजनाएं।

मोटर साइकल तथा स्कूटर चालकों को हैलमेट पहनने के अनुदेश देना

4703. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी मोटर साइकल और स्कूटर चालकों के लिए हैलमेट पहनना अनिवार्य कर देने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने का है ताकि सड़क दुर्घटनाएँ न हों ; और

(ख) क्या कुछ राज्य भी अपने राज्यों में हैलमेट के उपयोग के पक्ष में हैं और यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) मोटर साइकल तथा स्कूटर सवारों और पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए क्रेश टोपों के प्रयोग को आवश्यक बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों के विचार पहले माँगे गए थे। उन में से केवल कुछ (आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और चण्डीगढ़) क्रेश टोपों के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने के सम्बन्ध में व्यवस्था हेतु विधान बनाने के पक्ष में थे। जब कि दूसरों ने प्रचार द्वारा इन टोपों के उपयोग को प्रचलित बनाना बेहतर समझा था। अतएव फिलहाल विधान बनाने का फैसला नहीं किया गया।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि स्कूटर और मोटर साइकलों के चालकों और उनकी पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए सुरक्षा टोपों के इस्तेमाल को दुर्घटना-ग्रस्त होने के समय ऐसे उपकरण पहनने वालों को बीमा मुआवजे की अधिक दर देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ; और इस प्रकार धीरे-धीरे उनके प्रयोग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। अध्ययन दल की सभी सिफारिशों पर राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों के विचार आमन्त्रित किये गए हैं। राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों के विचार प्राप्त होने पर ही इस प्रश्न की और जाँच-पड़ताल की जाएगी कि क्या मोटर साइकल और स्कूटर सवारों के लिए क्रेश टोपों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाए या इसे अन्यथा प्रोत्साहित किया जाए।

न्यू फ्रेंड्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली को भूमि का आवंटन

4705. **श्री वरके जार्ज :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री न्यू फ्रेंड्स कोपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली को भूमि के आवंटन के बारे में 28 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3587 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त समिति के उन सदस्यों के नाम और पते क्या हैं जिनको प्लाट आवंटित किये गये हैं और प्रत्येक सदस्य ने प्लाट के आवंटन के लिए कुल कितनी धनराशि दी है ;

(ख) उन सदस्यों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने न्यायालयों से रोक आदेश ले रखे हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय या सरकार ने कोई नई प्रबन्ध समिति नियुक्त की है ; और यदि हां, तो नई समिति के पद-धारियों के नाम और पते क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): (क) उन सदस्यों की संख्या 202 है, जिनको प्रत्येक को लगभग 300 वर्ग गज वाले प्लाट आवंटित किए गए तथा उनकी संख्या 885 है, जिनको लगभग 500 वर्गगज के प्लाट आवंटित किये गए तथा कुल संख्या 1087 है। उपरोक्त दोनों वर्गों के प्रत्येक प्लाट के लिये लगभग 11,000/रुपये तथा 17,000/रुपये की राशि ली गई है।

(ख) उन सदस्यों के नाम, जिन्होंने न्यायालय से रोकादेश प्राप्त किये हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) एक नई प्रबन्ध समिति उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त की गई थी। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के अनुदेशों पर समिति के भूतपूर्व सचिव तथा भूतपूर्व अध्यक्ष को भी नई प्रबंध समिति में शामिल किया गया था। समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष की मृत्यु के बाद, श्री एस०

सी० छाबड़ा को, उनके स्थान पर नई प्रबन्ध समिति में शामिल किया गया है। पद-धारियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1.	डा० जगजीत सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री बी० एम० रल्लन	सचिव
3.	लेफ्ट० जनरल सी० सी० कपिला	सदस्य
4.	श्री जे० पी० बजाज	सदस्य
5.	श्री जी० आर० बाह्मनी	सदस्य
6.	श्री एन० के० कोठारी	सदस्य
7.	श्री बी० एन० सेठ	सदस्य
8.	श्री एस० सी० छाबड़ा	सदस्य
9.	श्री बाल मुकन्द विग	सदस्य

विवरण

I दिल्ली उच्च न्यायालय से रोकादेश, 1972 के सी० डब्ल्यू० नं० 143 में सी० एम० सं० 276/72.

1. श्री हेमराज आनन्द
2. श्री सेवा राम कपूर
3. श्री सतीन्दर पाल
4. श्री ओम प्रकाश चड्डा
5. श्रीमती परमेश्वरी देवी
6. श्री सुभाष सेठी
7. श्री वेद कपूर
8. श्रीमती कमला घेई
9. श्री मकसूदन लाल जग्गी
10. श्री दीवान चन्द
11. श्री हरिकृष्ण जग्गी
12. श्री कृष्ण लाल भसीन

II उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी दिल्ली के न्यायालय से रोकादेश।

1. श्री जतीन्दर देव सिंह
2. श्रीमती परमेश्वरी देवी

3. श्री सीताराम स्वामी

4. श्री रोशन लाल सेठी

III वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय से रोकादेश ।

1. श्री सुदर्शन कुमार सबलोक

IV उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, कपूरथला के न्यायालय से रोकादेश ।

1. श्रीमती कृष्णावती

V उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, गुड़गांव से रोकादेश ।

1. श्री सुभाष चन्द्र सुपुत्र श्री चन्दस शाह भसीन ।

प्राथमिकता के आधार पर डेरी उत्पादों का लाना ले जाना

4706. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मक्खन जैसी शीघ्र खराब होने वाली तथा आवश्यक वस्तु सहित दुग्ध उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर लाने ले जाने के लिए कोई योजना बनाई है या इसकी आवश्यकता की जांच की है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि आधुनिक संयंत्रों में तैयार बढ़िया मक्खन की समय-समय पर कमी हो जाती है जिससे उसके विक्रय मूल्य बढ़ जाते हैं और मिलावट भी होने लगती है ; और

(ग) मिलावट रोकने और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) सरकार ने डेरी उत्पादों के संचालन के लिये कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है। डेरी उत्पादों का संचलन सामान्य विपणन मार्गों अर्थात् रेल और सड़क यातायात के द्वारा किया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा हर छः महीनों के पश्चात् एक वरीयता परिवहन सूची जारी की जाती है जिसमें समाज की आवश्यकतानुसार विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये वैगनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में दी गई वरीयता का उल्लेख कर दिया जाता है। वरीयता, सम्बन्धित वस्तु के महत्व के अनुसार दी जाती है। वरीयता परिवहन सूची में प्राथमिकता दी जाने वाली वस्तुओं को 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई' नामक 5 मदों में वर्गीकृत किया गया है और इनके परिवहन में इसी क्रम में प्राथमिकता दी जाती है।

शीघ्र खराब होने वाली वस्तुयें सामान्यतः मद 'डी' में उल्लिखित प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार कर ली जाती हैं और उनको भेज दिया जाता है। रेलवे भी इन वस्तुओं के संचलन

में विशेष सावधानी रखती है । भारतीय डेरी निगम द्वारा विभिन्न दुग्ध संयंत्रों को, बन्दरगाहों से दिये जाने वाले स्किम मिल्क पाउडर और बटर आयल के लिये, कृषि मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार मद 'सी' को प्राथमिकता दी जाती है । मक्खन सामान्यतया पार्सलों या 'छोटे-छोटे पैकटों' में भेजा जाता है । इस प्रकार इसे रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई वरीयता परिवहन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है । रेल परिवहन द्वारा मक्खन भेजने के सम्बन्ध में कोई भी कठिनाई सरकार की सूचना में नहीं लायी गयी है ।

उपरोक्त प्राथमिकताओं के अलावा, रेलवे द्वारा दूध के परिवहन के लिये विद्युतरुद्ध वैगनों और रेल टेंकरों को प्राथमिकता भी दी जाती है । दूध प्रतिदिन आनन्द से बम्बई, धूलिया से बम्बई, विजयवाड़ा से हैदराबाद और मेहसाना से दिल्ली के मध्य लाया ले जाया जाता है । आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत, रेल टैंकरों द्वारा दूध के लाने ले जाने के कार्य को भी तेज किया जायेगा ।

(ख) आधुनिक संयंत्रों में उत्पादित, मक्खन की अत्यधिक कमी का कोई भी मामला सरकार की सूचना में नहीं लाया गया है । कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में, अपरिहार्य कारणों से रेल और सड़क परिवहन अव्यवस्था के फलस्वरूप कमी देखने में आई है ।

फिलहाल, सरकारी, सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्किम मिल्क पाउडर की लाईसेंस्ड उत्पादन क्षमता 28,000 टन है । ये इतनी ही मात्रा में घी और मक्खन बनाने के लिये चिकनाई का उत्पादन करेंगे । इस संस्थापित क्षमता में 14,000 टन की अतिरिक्त वृद्धि की जा रही है । इस विस्तार कार्यक्रम से और 14,000 टन घी और मक्खन का अतिरिक्त उत्पादन होगा । इसके अतिरिक्त, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 राज्यों में बहुत से फीडर बैलेंसिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे । ये बैलेसिंग स्टेशन, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे महा-नगरों की तरफ दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ दुग्ध चूर्ण, मक्खन, घी आदि का भी उत्पादन करेंगे ।

(ग) सम्बन्धित राज्यों द्वारा खाद्य मिलावट अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों द्वारा खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोका जाता है ।

विदेशों में भेजे गए सांस्कृतिक शिष्टमंडल

4707. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः मास में सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध सुधारने हेतु कोई सांस्कृतिक शिष्टमंडल विदेशों में भेजे गए ; और

(ख) यदि हां, तो उन शिष्टमंडलों में शामिल किए गए व्यक्तियों के नाम तथा योग्यताएँ क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 4062/72]

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को पृथक करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से अभ्यावेदन

4708. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से पृथक करने के विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का स्वरूप क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । इसमें यह कहा गया था कि भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के भूमिगत जल विंग का कृषि मन्त्रालय के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में विलय करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय से बेरोजगारी में वृद्धि होगी । ऐसी आशंका निराधार है । इस विलय के फलस्वरूप पदों में कमी नहीं की गई है और कोई छटनी भी नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय भूमिगत जल निदेशालय जो पहले भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के अधीन कार्य कर रहा था, अब वहीं केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के अधीन काम करता रहेगा ।

पश्चिम बंगाल में काजू का उत्पादन तथा उसके लिए बाजार

4709. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कटाई क्षेत्र में काजू के उत्पादन का विकास करने, इसकी वसूली करने तथा उसके लिए बाजार की व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई योजना भेजी है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) काजू उत्पादन के विकास के लिए राज्य में 1969-70 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक प्रदर्शन योजना चालू है । इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से विकसित पैकेज प्रणालियां प्रदर्शित की जा रही हैं । इनमें खाद देना, मिट्टी की तैयारी, वनस्पति रक्षण, आदि शामिल हैं । कटाई क्षेत्र में काजू उत्पादन, इसकी अधिप्राप्ति और विपणन के लिए राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है ।

(ख) राज्य सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1971-72 में भारत के वाणिज्यिक जहाजों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

4710. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में भारत के वाणिज्यिक जहाजों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय जहाजों की सकल आय के 50%को बचत सहित निवल विदेशी मुद्रा आय मानी जा सकती है । वर्ष 1970-71 के दौरान समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय जहाजों की सकल आय लगभग 168 करोड़ रु० थी, जिसका 50%अर्थात् 84 करोड़ रुपये बचत सहित विदेशी मुद्रा आय मानी जा सकती है । वर्ष 1971-72 की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है ।

सिंहों के परिरक्षण के लिए उपाय

4711. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिंहों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है ;

(ख) क्या यह बात हमारे देश में हो रही है या अन्य देशों में भी ऐसा हो रहा है ; और

(ग) क्या 'सिंह' (लायन) के स्थान पर बाघ (टाईगर) को राष्ट्रीय पशु मानने का अर्थ यह होगा कि केवल 177 सिंह जो बचे हैं उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया जायेगा और क्या उन्हें राष्ट्रीय पशु मानकर संरक्षण प्रदान किया जाएगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी इस प्रकार है :

सन् 1936, 1950, 1955, 1963 तथा 1968 में की गई संगणनाओं के अनुसार शेरों की संख्या क्रमशः 236, 200, 290, 285 तथा 177 थी । वर्ष 1968 की नवीनतम संगणना प्रत्यक्ष गिनती पर आधारित थी, जबकि इससे पहले की संगणना पशु-पदचिह्नों के आधार पर की गई थी । अतः इन आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती । वर्ष 1968 की संगणना के बाद कोई विशेष कमी नहीं पाई गई है ।

(ख) अफ्रीकी देशों में पिछली संख्याओं के संदर्भ में शेरों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ग) शेरों को पूर्ण संरक्षण मिलता रहेगा ।

गुजरात सरकार द्वारा सिंहों के संरक्षण की योजना और इसके लिए केन्द्रीय सहयोग

4712. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने सिंहों की रक्षा पर एक करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम केन्द्रीय मन्त्रालय के सहयोग से पूरा होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने सिंहों के लिए गीर आश्रय-स्थल की 45.07 लाख रुपये की परियोजना तैयार की है। फिलहाल यह योजना राज्य सरकार के अधीन है।

खाद्यान्नों के रक्षित भंडार

4713. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के रक्षित भंडारों में खाद्यान्नों की कुल कितनी मात्रा है और सरकार का विचार चालू वर्ष में उसमें से कितनी मात्रा देने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास 1-11-72 को बफर स्टाक समेत 41 लाख मी० टन खाद्यान्नों का कुल प्रत्यक्ष स्टाक था जिसमें पाइप लाइन स्टाक शामिल नहीं है। वर्ष 1972 के दौरान सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से दी गई खाद्यान्नों की मात्रा 105 लाख मी० टन के आस-पास होने की सम्भावना है।

Arrangements for supply of Milk by D.M. S. at D-1/A Block Janakpuri

4714. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to **state :**

(a) whether the Delhi Milk Scheme Authorities have received a representation from the residents of D-1/A, Block, Janakpuri for the supply of milk in their blocks, because the Milk scheme is supplying milk to the residents of C-Block of Janakpuri ; and

(b) if so, whether the authorities of the Delhi Milk Scheme propose to make some temporary arrangements so that the residents of the said block may get pure milk at cheap rates till the milk depot is constructed there ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) If required, Delhi Milk Scheme can arrange supply of milk to token holders in D-1/A Block from the existing booth in C-5 Block on home delivery basis. It is not feasible to make any other temporary arrangement.

Booklet on Delhi Master Plan by D.D.A.

4715. Shri Narendra Singh Bisht: Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether Delhi Development Authority propose to bring out a small booklet on Delhi Master Plan for selling it to the public containing information about the names of the areas where the public should buy plots so that the innocent people should be protected from the colonizers and bogus co-operative societies who sell unauthorised land to them ; and

(b) if not, the reasons therefor when the Delhi Development Authority itself advises the public through newspapers for not buying land in unauthorised areas ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit): (a) No, Sir.

(b) The Delhi Development Authority has already published a book on Master Plan for Delhi which also contains a set of plans. The book is for sale. The general warning now issued by the Delhi Development Authority is meant mainly for areas outside the urbanizable limit in which unauthorised colonies are springing up rapidly as the sale or purchase of land even outside the urban limits of Delhi is against the provisions of Delhi Land Reform Act 1954 and Delhi Municipal Corporation Act 1957 and the Master Plan.

Construction of Houses on Plots purchased from D.D.A.

4716. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees who have been given loans by Government during the last two financial years for the construction of houses on plots purchased from the Delhi Development Authority and for purchasing built houses from Delhi Development Authority ;

(b) the number of Central Government employees, out of them, who have been allotted Government quarters also ;

(c) whether such Central Government employees have shifted to their houses built or purchased with Government loans and have surrendered Government quarters or have let out their houses purchased or built with Government loans on high rents ; and

(d) if the Central Government employees make profit by renting the houses purchased or built with Government loans, whether Government propose to take any action against them and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) to (d) No separa e information is maintained regarding the construction of houses on plots purchased from the DDA and purchase of flats from DDA by Central Government employees. However, during the period 1st April, 1956 to 30th November, 1971 the number of Central Government employees in Delhi who had taken loan from Government for constructing houses thereon or purchase of flats and were also in occupation of Government accommodation is 847.

Since the Government employees take loan for the above purposes and are required to repay the same with interest there is no question of taking any action against them for renting the premises.

जीवन-स्तर सुधारने के लिए उपाय

4717. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन-स्तर सुधारने की समस्या जनसंख्या में वृद्धि की दर घटाने से हल हो सकती है ;

(ख) 1969 से 1972 तक कितने प्रतिशत जनसंख्या ने परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया है ; और

(ग) जनसंख्या में वृद्धि की दर में कितने प्रतिशत कमी हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) देश में रहन-सहन के स्तरों को ऊँचा उठाने की समस्या जनसंख्या की वृद्धि दर कम करके तथा अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों द्वारा हल की जा सकती है।

(ख) 1969-72 के दौरान 15-44 वर्ष की प्रजनन आयु के 8.7 प्रतिशत दम्पतियों ने परिवार नियोजन अपना लिया है ।

(ग) अनुमान है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गए कार्य के फलस्वरूप राष्ट्रीय जन्म दर 1961 में प्रति हजार की जनसंख्या पर 41·7 के स्तर से घटकर 1971-72 में प्रति हजार की जनसंख्या पर 37.1 रह गई है। यह भारत के महापंजीकार की नमूना पंजीयन योजना द्वारा दी गई 1971 की प्रति हजार की जनसंख्या पर 37.2 की अनुमानित जन्म दर के अनुरूप है। 1961-71 की दशाब्दी के दौरान वार्षिक रेखागणितीय वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत थी। 1971 में नमूना पंजीयन के आंकड़ों पर आधारित स्वभाविक वृद्धि दर अनुमानत: 2.2 प्रतिशत रही है। यदि जन्म दर में कमी न हुई होती तो 1971 में स्वभाविक वृद्धि की दर करीब 2.7 प्रतिशत होती। इस तरह 1961-71 के दौरान वृद्धि की दर में अनुमानत: 18.5 प्रतिशत की कमी हुई है।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या

4718. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी के मूल कारण क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : बेरोजगारी के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि अन्य कारणों के साथ-साथ उसके निम्नलिखित कारण भी हैं :—

(1) रोजगार के उपलब्ध अवसरों से मैट्रिक और स्नातकों का अधिक संख्या में उत्तीर्ण होना ;

(2) कुछ शिक्षित व्यक्ति (उदाहरणतः विवाहित महिलाएं) रोजगार नहीं चाहते हैं ;

(3) अनेक मामलों में शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नौकरियों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे उसके स्तर और परिलब्धियों को कम समझते हैं अथवा कुछ कठिनाइयों और असुविधाओं के कारण (उदाहरणतः शहरी शिक्षित लड़कियां गांवों में नौकरियां उपलब्ध होने पर भी प्रायः वहां जाना नहीं चाहतीं) ।

(4) बेरोजगारों को रोजगार की सूचना प्रायः तत्काल नहीं मिलती ।

भारतीय कृषि-अनुसन्धान संस्थान में बने-बनाये लोन का विकास

4719. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बने-बनाये लॉन का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो नर्सरियों और जनता को बने-बनाये लॉन के बीज कब तक उपलब्ध किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सस्य-विज्ञान प्रभाग में एक ऐसी प्रणाली को विकसित करने के सम्बन्ध में अनुसंधान किया गया है जिसके द्वारा भूमि तथा प्लास्टिक की चादर पर घास की पट्टी उगाई जा सकती है और इसे लपेट कर इधर-उधर ले जाया जा सकता है ।

(ख) इस उद्यान में प्रयुक्त हुई घास की किस्म (ज्वैसिया जापोनिका) से दिल्ली जैसी जलवायु में बीज उत्पन्न नहीं होता । यह किस्म प्रायः जड़ों की कलमों द्वारा फैलती है । 15 मार्च, 1973 के बाद इस प्रकार की थोड़ी-सी कलमें सस्य-विज्ञान प्रभाग के घास-विज्ञान अनुभाग में उपलब्ध हो जायेंगी ।

Vasectomy Operation

4720. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether persons of twenty years or below twenty years were operated for vasectomy during the years 1970-72 ;

(b) the state-wise number thereof ; and

(c) the action taken by Government against the persons who committed these irregularities ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) to (c) Under the family planning programme vasectomy service is provided to couples with two or more children. Studies of mass vasectomy camps organised during 1970-72 have shown that no person below the age of 20 was vasectomised. Only three complaints—two from Tamil Nadu and one from Uttar Pradesh had been received till the end of November, 1972 in the Central Department of Family Planning alleging vasectomy having been done on persons below 20 years of age. On investigation the allegation in two of these complaints could not be established. In the third case information has not been received from the State Government.

Research on effect of Fertilizer on various crops

4721. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the research regarding fertilizers has benefited only food crops ;

(b) whether the plantation crops like banana, pineapple and coconut have not benefited by it ;

(c) whether the Indian Council of Agriculture Research had called a Conference in this regard in which it was stated that the research carried out in cold regions cannot be applied to the tropical countries as it is and research should be carried out for them separately ; and

(d) if so, the action taken by the Government so far and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) All crops including banana, pineapple and coconut will be benefited by timely and proper application of balanced fertilizers.

(c) No such conference was convened by the Indian Council of Agricultural Research in which such a topic was discussed.

(d) The question does not arise.

Polygamy a setback in Family Planning Programme

4722. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the increasing population of the country is a big hurdle in the development of the nation ;

(b) whether polygamy is causing a great-set-back to the family planning programme ; and

(c) if so, whether Government propose to chalk out a plan under which all the classes in the country would be compelled to go in for monogamy ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Prof. A.K. Kisku) : (a) Unrestricted growth of population is considered to be a clog on the improvement of living standards.

(b) No.

(c) Does not arise.

Legislation for uniform enforcement of Family Planning Programme

4723. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact some legislation for uniform enforcement of Family Planning Programme ; and

(b) if so, the time by which this work would be completed and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) No.

(b) Does not arise This programme is already uniformly available, on voluntary basis, to all sections of population in the country and services under the programme are being availed of by members of all communities.

खड़गपुर स्थित भारतीय औद्योगिकी संस्थान में कृषि इंजीनियरिंग के एम० टैक्नोलोजी पाठ्यक्रम में दाखिला

4724. **श्री धनशाह प्रधान** :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंत नगर स्थित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में बी० टेक्नोलोजी की डिग्री धारी कितने विद्यार्थियों को खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को

एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एम० टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला है;

(ख) एम० टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय बी० टेक्नोलोजी (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग) में प्रत्येक विद्यार्थी ने कौन सी डिवीजन/ओ० जी० पी० ए० प्राप्त की है;

(ग) क्या सभी बी० टेक्नोलोजी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितनी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान आ-आई-टी कृषि इंजीनियरी खड़गपुर में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर से बी० एस० सी० (कृषि) प्राप्त छात्रों को यांत्रिक तकनीकी पाठ्यक्रम में दाखिला के बारे में सूचना निम्नलिखित है—

वर्ष	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	प्राप्त श्रेणी/ओ० जी० पी० ए०	पुरस्कृत छात्र वृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्तियों की संख्या
1970	4	(1) 4.373 (ओ० जी० पी० ए०)	सारे	250 रुपये प्रति मास
		(2) 4.489 (ओ० जी० पी० ए०)	वही	वही
		(3) 3.401 (ओ० जी० पी० ए०)	वही	वही
		(4) 3.565 (ओ० जी० पी० ए०)	वही	वही
1971	2	(1) 3.52 (ओ० जी० पी० ए०)	वही	वही
		(2) 4.040 (ओ० जी० पी० ए०)		
1972	5	(1) 3.501 (ओ० जी० पी० ए०)	वही	वही
		(2) 3.228 (ओ० जी० पी० ए०)		
		(3) 3.676 (ओ० जी० पी० ए०)		
		(4) 3.643 (ओ० जी० पी० ए०)		
		(5) 3.621 (ओ० जी० पी० ए०)		

Construction work on Central School at Kankar Bagh Colony, Patna

4725. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Shankar Dayal Singh :

Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the construction work on the Central School to be set up in Kankar

Bagh Colony in Patna has not yet started inspite of the approval given by Government in this regard, if so, the reasons for the delay ;

(b) whether Government have given its approval for opening another Central School in Polo Ground near Raj Bhawan or in Shastri Nagar or Rajvanshi Nagar in Patna; and

(c) if so, the progress made in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Steps have been taken to start the construction work of the Central School in Kankar Bagh Colony in Patna. The construction of the compound wall has already begun.

(b) and (c) It is proposed to open another Central School in Patna. Efforts are being made to secure the land in Polo Ground area from the State Government of Bihar and further action will be taken as soon as the land is made available by the State Government.

सड़कों से प्राप्त राजस्व को सड़कों के विकास पर खर्च किया जाना

4726. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात लदान से प्राप्त कुल 1407 करोड़ रुपयों में से सड़क परिवहन से 864 करोड़ रुपये वसूल हुए थे;

(ख) प्राप्त राजस्व की तुलना में सड़क विकास पर व्यय के अनुपात की प्रतिशतता 1960-61 में 65.8 प्रतिशत से घटकर 1968-69 में 35.5 रह गई है;

(ग) क्या सड़क राजस्व तथा व्यय दर को केन्द्र तथा राज्यों में बाँट देने से यह पता लगता है कि जबकि राज्य सड़कों से प्राप्त समूचे अथवा लगभग सारे राजस्व को सड़क विकास पर व्यय करते हैं केन्द्रीय सरकार सड़क विकास पर सड़कों से प्राप्त राजस्व का केवल 24 प्रतिशत ही व्यय करती है; और

(घ) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों से प्राप्त राजस्व की तुलना में सड़कों पर कितना धन व्यय करने का केन्द्रीय सरकार का कार्यक्रम है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) प्रश्न का भाग (क), परिचालन अनुसंधान दल, बड़ौदा द्वारा किये गए "भारत के निर्यात के स्वदेशी परिवहन के सर्वेक्षण" के परिणाम के बारे में सूचित करता है। उक्त अध्ययन, सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा समेकित व्यापार विवरणियों की दैनिक सूची के आधार पर अप्रैल-जून 1969 के दौरान निर्यात प्रेषणों के नमूना सर्वेक्षण पर आधारित था।

प्रश्न के भाग (ख) में दिये गए व्यय और राजस्व आंकड़े भी उक्त अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित हैं। परन्तु ये आंकड़े ठीक नहीं है, क्योंकि दिखाये गए व्यय में पार्श्व सड़क विशेष सड़कों आदि जैसी बड़ी-बड़ी सड़कों की मदें हिसाब में नहीं ली गई हैं। वस्तुतः 1968-69 में सड़कों पर किया गया कुल व्यय 35.5 प्रतिशत की बजाय सड़क परिवहन से प्राप्त कुल राजस्व का लगभग 47 प्रतिशत था।

1968-69 में सड़कों पर केन्द्रीय व्यय, केन्द्रीय सरकार को सड़क परिवहन से प्राप्त कुल राजस्व का लगभग 27 प्रतिशत था। राज्यों के संगत आंकड़े 86.90 प्रतिशत थे। पांचवीं पंच-वर्षीय योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इस समय योजना के अन्तर्गत सड़क-विकास पर व्यय के केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा उच्च शिक्षा पर आयोजित विचारगोष्ठी

4727. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने उच्च शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास पर पांच दिवसीय विचार गोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित की थी ;

(ख) क्या उक्त विचार गोष्ठी में सरकार को कुछ सुझाव दिये गये थे;

(ग) क्या इसी विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले सदस्यों में कालेजों में विद्यार्थियों को सीमित प्रवेश देने के बारे में मतैक्य था ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने 18 नवम्बर से 23 नवम्बर, 1972 तक, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के सहयोग से उच्च शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय विकास पर नई दिल्ली में एक छः दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया था।

(ख) से (घ) सरकार को विचार गोष्ठी का कार्य-विवरण प्राप्त नहीं हुआ है जिसे संस्थान द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

चांद चक्रों से होने वाली मानसिक अशान्ति

4728. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांद चक्र से मानसिक अशान्ति पैदा होती है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अमरीका में मियामी विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें मनुष्य के व्यवहार का चन्द्रमा की विभिन्न कलाओं से सम्बन्ध होने का प्रथम वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार हमारे अपने वैज्ञानिकों को इस सम्बन्ध में गहन अनुसंधान कार्य करने और निवारक उपायों का पता लगाने को कहेगी क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा भाग चांद चक्रों से प्रभावित होता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि चन्द्रमा चक्र से मानसिक अशान्ति पैदा होती है। वैसे, होम्योपैथिक चिकित्सकों के अनुसार चन्द्रमा की कलाओं के घटने-बढ़ने पर दिमाग की कुछेक हालतों में तनाव अथवा राहत पैदा होती है।

(ख) सरकार ने 1-10-1972 को 'हिन्दू' में और 13-11-1972 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी दो प्रेस रिपोर्टों को देखा है जिनमें यह कहा गया है कि अमरीका में मियामी विश्व-विद्यालय के डा० आर्नेल्ड लीबर और डा० कैरोलीन आर० शेरीन ने खोज की है कि जब चन्द्रमा नया अथवा पूरा होता है तब वह रुग्ण व्यक्तियों में भावात्मक अशांति पैदा कर देता है।

(ग) यदि ऐसे किसी अध्ययन की आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

National Nutrition Programme in Rajasthan

4729. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of Nutrition Centres opened in Rajasthan under the National Nutrition Programme and the names of the districts of Rajasthan where these centres have been located ;

(b) whether pulses, porridge, oil and eatables are not being provided in adequate quantity to the children in the various Nutrition Centres in Udaipur district of Rajasthan ; and

(c) if so, the action being taken by Government to do the needful in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Various Nutrition programmes are operating under the auspices of the Central Government in the State of Rajasthan as per details given in the statement enclosed.

(b) Care has been taken to ensure that adequate quantities of food are provided through the supplementary nutritional programmes with due regard to the nutritional requirements. Our enquiries indicate that the programme is working satisfactorily in the State of Rajasthan.

(c) It does not arise.

Statement

The nutrition programmes in operation in the State of Rajasthan are (i) Special Nutrition Programme ; (ii) Applied Nutrition Programme ; (iii) Composite Programme for Women and Pre-school children and (iv) School Feeding Programme.

2. There are 2,143 feeding centres under the Special Nutrition Programme in the 18 districts of Rajasthan in Ajmer, Alwar, Bikaner, Barmer, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sirohi, Ganganagar, Udaipur, Jaisalmer, Banswara, Chittorgarh, Dungarpur, Bundi, Pali, Sawai-Madhopur and Bhilwara.

3. Under the Applied Nutrition Programme, there are 646 centres in the districts of Jaipur, Ajmer, Udaipur, Bikaner, Jodhpur, Kota, Chittorgara, Dungarpur, Sirohi, Tonk, Bharatpur, Ganganagar, Bhilwara, Pali, Nagaur, Jhunjhunu, Sawai-Madhopur, Alwar, Jhalwar, Palera and Bikaner.

4. As regards the Composite Programme for Women and children, there are 60 centres in the 18 districts of Alwar, Bharatpur, Bhilwara, Bundi, Chittorgarh, Dungarpur, Ganganagar, Jaipur, Jhunjhunu, Jodhpur, Kota, Pali, Sawai-Madhopur, Udaipur, Sirohi. Tonk, Bikaner and Sikar.

5. The School Feeding Programme is implemented in 8,735 centres in the 16 districts of Ajmer, Banswara, Barmer, Bhilwara, Bikaner, Chittorgarh, Churu, Dungarpur, Jaipur, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur, Kota, Sawai-Madhopur, Sirohi and Udaipur.

नये प्रकाश स्तम्भों की स्थापना और जहाजरानी में सहायक सामग्री जुटाने के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा योजनाओं का अनुमोदन

4731. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाश स्तम्भों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति से पांचवीं योजना में भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर नये प्रकाश स्तम्भ लगाने और जहाजरानी में आधुनिक सहायता देने की 37 योजनाओं का अनुमोदन किया है, यदि हां, तो इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा; तथा उनकी रूपरेखा क्या है ?

(ख) क्या कुल राशि का चौथाई भाग जहाजरानी में सहायक आधुनिकतम इलैक्ट्रानिक यंत्र लगाने के लिए आवंटित किया गया है; और

(ग) क्या विभिन्न प्रकाश स्तम्भों तक कर्मचारी और सामान ले जाने के लिए 60 लाख रुपये के मूल्य का एक जहाज खरीदने का भी प्रावधान किया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां । समिति द्वारा अनुशंसित 37 योजनाओं की लागत 896 लाख रुपये आती

है । योजनाओं का संबंध मौटे तौर से मौजूदा दीपघरों की स्थापना एवं सुधार, नौचालन एवं संचार साधनों की स्थापना, कर्मचारी आवासगृह के निर्माण आदि से है ।

(ख) विद्युत सम्बन्धी नौचालन दिकसाधनों की स्थापना/प्रतिस्थापना की योजनाओं की अनुमानित लागत 305.00 लाख रुपये है ।

(ग) जी हां ।

जिला स्तर पर ट्रैक्टरों की मरम्मत करने और फालतू पुर्जों का भण्डार रखने की योजना

4733. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जिला स्तर पर ट्रैक्टरों आदि की बडी मरम्मत और फालतू पुर्जे रखने के लिये एक केन्द्रीय सेवा संगठन बना रही है; और

(ख) क्या हरित क्रान्ति को प्रोत्साहन देने हेतु ट्रैक्टरों की छोटी-मोटी मरम्मत और सर्विसिंग की सुविधा देने के लिये सब-डिवीजनवार/खंडवार ट्रैक्टर वर्कशाप स्थापित कराने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) यद्यपि देश में जिला स्तर पर टैक्टरों की बड़ी मरम्मत और फालतू पुर्जे रखने के लिये कोई केन्द्रीय योजना नहीं है, तथापि विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों द्वारा स्थापित कृषि मशीनरी भाड़ा केन्द्रों और वर्कशापों के माध्यम से अपेक्षित सुविधायें प्रदान की जाती हैं । इस समय विभिन्न निगमों के अधीन 148 मशीनरी भाड़ा केन्द्र और 103 वर्कशाप मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की केन्द्रीय योजना के अधीन बेरोजगार इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों और कृषि स्नातकों ने 246 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये हुए हैं और ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टरों और कृषि मशीनरी की छोटी-मोटी मरम्मत करने ती आवश्यक सेवायें भी प्रदान करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में ऐसी सुविधायें प्रदान करने के लिए कुछ कृषि उद्योग निगमों ने चलते-फिरते वर्कशाप भी स्थापित किये हुए हैं ।

गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए नगरों का चयन

4734. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री एम० एस० पुरती :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में 14 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए सम्मेलन में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री गन्दी बस्तियों के सुधार के

लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक नगर का चयन करने को सहमत हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक नगर पर राज्य वार कितना धन व्यय किया गया ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में 12 तथा 13 जुलाई, 1972 को हुए आवास नगर आयोजना तथा नगर विकास के राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की केन्द्रीय योजना को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य का कम से कम एक प्रमुख शहर इसके अन्तर्गत आ जाय। यह योजना जो फिलहाल 7 राज्यों तथा दिल्ली के संघ क्षेत्र के 11 शहरों पर लागू है, 9 अन्य राज्यों पर लागू की जा रही है, जिससे प्रत्येक का एक शहर इसमें आ जाएगा। उन शहरों के नाम जिन पर यह योजना आजकल लागू है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इनके लिए निधियों का नियतन और उन शहरों के नाम जहां इन्हें लागू किया जा रहा है, इस प्रकार हैं—

क्रमांक	शहर का नाम	नियतन की राशि करोड़ रुपयों में
	क—पहले शामिल किए गये शहर :	
1.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	3.5
2.	बम्बई (महाराष्ट्र)	2.5
3.	मद्रास (तमिलनाडु)	2.5
4.	दिल्ली (दिल्ली संघ क्षेत्र)	2.5
5.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	1.5
6.	अहमदाबाद (गुजरात)	1.5
7.	बंगलौर (मैसूर)	1.5
8.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	1.5
9.	पूना (महाराष्ट्र)	1.0
10.	नागपुर (महाराष्ट्र)	1.0
11.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	1.0
	(ख) शहर जो इसमें शामिल किये जाने हैं :	
1.	जयपुर (राजस्थान)	
2.	इन्दौर (मध्यप्रदेश)	
3.	पटना (बिहार)	
4.	कोचीन (केरल)	
5.	श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)	
6.	लुधियाना (पंजाब)	
7.	कटक (उड़ीसा)	
8.	गोहाटी (असम)	
9.	रोहतक (हरियाणा)	

भारतीय खाद्य निगम, भुवनेश्वर के कर्मचारियों की मांगें

4735. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों ने हाल ही के महीनों में प्रबन्धकों के विरुद्ध प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की विशिष्ट मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा के तट पर आश्रय क्षेत्र (शैल्टर बैल्ट) बनाना

4736. **श्री अर्जुन सेठी** :
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने समुद्री तूफान के प्रकोप को कम करके जीवन तथा सम्पत्ति की भयंकर हानि को रोकने हेतु उड़ीसा के तट के साथ-साथ एक आश्रय क्षेत्र बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के तट के साथ-साथ पेड़ों की एक सुरक्षात्मक पट्टी लगाने की एक योजना प्रस्तुत की है जिसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा। आशा है प्रस्तावित सुरक्षात्मक पट्टी से तूफानी हवाओं का दबाव कम होगा और इससे भीतरी प्रदेश में जीवन और सम्पत्ति को होने वाली हानि को रोका जा सकेगा;

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

खरीफ की फसल में खाद्यान्न उत्पादन में हुई कमी के कारण पैदा हुई समस्या को हल करने के लिए समिति

4737. **श्री अर्जुन सेठी** :
श्री के० बालदण्डायुतम :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष खरीफ की फसल में खाद्यान्न के उत्पादन में हुई कमी के कारण

पैदा हुई समस्या को हल करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके कृत्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) औपचारिक रूप से कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए कार्यक्रमों के समन्वय, मूल्यांकन तथा निरूपण करने के सम्बन्ध में अन्तर्मंत्रालय सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सफाई कर्मचारियों की नौकरियों में रखना

4738. **श्री अम्बेश** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सफाई कर्मचारियों की नौकरियों में आकर्षित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से पृथक करना

4739. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से पृथक कर दिया गया है ; और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का केन्द्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है और भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से कितने कर्मचारियों को वहां पर भेजा गया है ;

(ग) क्या इस नये निकाय द्वारा आँकड़े मुख्य रूप से कृषि के लिए एकत्र किए जायेंगे ; और

(घ) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के कृत्यों को भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से पृथक करने से समृद्ध किसानों तथा बागान-मालिकों को अधिक लाभ पहुंचने की सम्भावना है और धनी किसानों द्वारा इस निकाय के कृत्यों को अपने पक्ष में प्रयोग किये जाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड कभी भी भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग का भाग नहीं रहा, बल्कि यह हमेशा कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध रहा है। केवल भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग के भूमिगत जल विंग का ही अब केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में विलय किया गया है। ऐसा केवल इसलिए किया गया है चूंकि भूमिगत जल की खोज और विकास सम्बन्धी सभी पहलुओं से निपटने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जा सके।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड कृषि मंत्रालय का एक भाग है। भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग से केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने 377 कर्मचारी भेजे थे।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

निजी चिकित्सकों को सेवा निवृत्ति लाभ

4740. **श्री धर्मराव अफ़जलपुरकर** :
श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे देश के निजी चिकित्सकों को समुचित सेवा निवृत्ति लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सक संघ ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, यो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) अखिल भारतीय प्राईवेट चिकित्सकों ने अपने 'मांग दिवस' 1-9-72 को प्रधान मंत्री को जो ज्ञापन दिया था उस में एक मांग यह भी थी कि सरकार निजी चिकित्सकों को उनकी वृद्धावस्था तथा असमर्थावस्था में सेवानिवृत्ति लाभ योजना के अन्तर्गत सुविधाएँ प्रदान करे। यह व्यावहारिक प्रस्ताव तो नहीं है, फिर भी इस पर विचार किया जा रहा है ;

डाक्टरों की सेवाएं

4741. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा 1965-66 में परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत लगभग 50 चिकित्सा स्नातकों को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के रूप में

भर्ती किया गया था और उनकी दूरस्थ स्थानों में नियुक्ति की गयी थी तथा उन्हें 1971 में उनकी सेवाओं से निकाल दिया था और उनमें से अधिकतर अब भी बिना समुचित रोजगार के हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन डाक्टरों को रोजगार देने और उन्हें इनकी भूतपूर्व सेवाओं का लाभ देकर स्थायी बनाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) जी नहीं । 1966 में केन्द्रीय परिवार नियोजन दल में केवल 22 डाक्टरों ने सेवा ग्रहण की थी । 1966 में और बाद के वर्षों में 1969 तक भर्ती किये गये डाक्टरों में से दल के विघटन के समय तक केवल 20 डाक्टर कार्य कर रहे थे । उनमें से सभी को वैकल्पिक रोजगार दे दिया गया था ।

चूँकि कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद, जिन पर ये डाक्टर इस समय कार्य कर रहे हैं, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल हैं, अतः उनको नियमित रूप से नियुक्त होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को आवेदन पत्र देना होगा । इस प्रकार उनको अपने वर्तमान पदों पर स्थायी होने के लिए दल के अधीन पिछली तदर्थ सेवा का लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता ।

देश में अर्हता-प्राप्त डाक्टर

4742. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय राज्यवार कितने अर्हता-प्राप्त डाक्टर हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 के भाग 15 (2) के अन्तर्गत, इससे पहले कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना चिकित्सा व्यवसाय प्रारम्भ कर सके उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है । 31 मार्च, 1972 को जैसी स्थिति थी उसके अनुसार देश में विभिन्न राज्य चिकित्सा परिषदों में निबंधित चिकित्सकों की संख्या इस प्रकार है :—

1. आन्ध्र तथा हैदराबाद चिकित्सा परिषद्	10,004
2. जम्मू तथा कश्मीर चिकित्सा परिषद्	787
3. महाकोशल चिकित्सा परिषद्	3,601
4. गुजरात चिकित्सा परिषद्	7,242
5. चिकित्सा निबंधन की बिहार परिषद्	10,605
6. राजस्थान चिकित्सा परिषद्	3,422
7. भोपाल चिकित्सा परिषद्	1,341
8. उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद्	13,126
9. मैसूर चिकित्सा परिषद्	7,963
10. तमिलनाडु चिकित्सा परिषद्	19,096
11. पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद्	25,761

12. टी० सी० चिकित्सा परिषद्	5,984
13. चिकित्सा निबंधन की उड़ीसा परिषद्	4,349
14. महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद्	23,188
15. असम चिकित्सा परिषद्	4,846
16. पंजाब चिकित्सा परिषद्	12,630

स्कूल जाने योग्य बच्चों की आयु के सम्बन्ध में सिफारिश

4743. **श्री पम्पन गौडा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अन्धता निरोध समिति ने यह सिफारिश की है कि छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) "दृष्टिदोष का पूर्व अभिज्ञान" की परियोजना पर एक सर्वेक्षण आयोजन करने के बाद, जिसमें कुछ छात्रों की आंखों का निरीक्षण शामिल है, राष्ट्रीय अंधता निवारण सोसायटी ने अन्य बातों के साथ यह भी सिफारिश की है कि स्कूल जाने वाले सभी बच्चों की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। इससे पूर्व सोसाइटी ने नई दिल्ली में, 22 जनवरी, 1971 को "शिशुओं में अंधापन निवारण" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसके निष्कर्षों में से एक यह था कि 6 वर्ष आयु से पूर्व की प्राथमिक शिक्षा मौखिक शिक्षा के रूप में होनी चाहिए तथा पढ़ाई और लेखन कार्य बहुत कम हो, और पुस्तकों से पढ़ाई और लेखन कार्य की नियमित शिक्षा 6 वर्ष की आयु के बाद से शुरू की जानी चाहिए।

सोसाइटी की यह सिफारिश विचार के लिए राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई थी।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियमों के अनुसार बहुत-से राज्यों में प्राथमिक स्कूलों में दाखिले की न्यूनतम आयु 6 वर्ष है। कुछ राज्यों में स्वैच्छिक दाखिले के लिए आयु की पाबन्दी 5 वर्ष है। तथापि, यह स्वीकार किया जाता है कि इस आयु सीमा से पहले बच्चों को शिक्षा देते समय पढ़ाई और लिखाई में औपचारिक शिक्षा देने के लिए खेल सामग्री पर बल दिया जाना चाहिए।

'स्प्रिंग सोयाबीन' का विकास

4744. **श्री पम्पन गौडा :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 'स्प्रिंग सोयाबीन' किस्म का विकास किया है जोकि उत्तरी तथा मध्य भारत के कृषकों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस किस्म को बोया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में दो मौसमों में किये गये परीक्षणों से पता चला है कि सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं मौजूद होने पर गन्ने, आलू, तोरिया और शीतकालीन शाक-भाजियों की फसल काटने के बाद में बसन्तकालीन फसल (फरवरी-जून) उगाने के लिए क्लार्क-68 और स्डेलिसया नामक दो अमरीकी किस्में उपयुक्त हैं । ये किस्में जल्द पकने वाली हैं और बसन्त ऋतु में बुवाई होने पर 90-100 दिन में पक जाती हैं । इन दोनों किस्मों के बीज पीले हैं । प्रयोगात्मक प्लाटों से प्रति हैक्टार क्षेत्र में 30 से 35 क्विन्टल तक उपज प्राप्त हुई है । इस मौसम में यह फसल अनेक हानिकारक कीटों और रोगों से मुक्त रहती है । इन किस्मों की बड़े स्तर पर बुवाई करने के विषय में कोई प्रयोग नहीं किया गया है ।

काजू की खेती के अन्तर्गत भूमि

4745. **श्री पम्पन गौडा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काजू की खेती कुल कितनी भूमि पर होती है और उसका औसत वार्षिक उत्पादन क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अस्थायी अनुमानों के अनुसार वर्ष 1969-70 में काजू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र और उत्पादन इस प्रकार था :—

क्षेत्र	—	234.9	(हज़ार हैक्टरों में)
उत्पादन	—	196.6	(हज़ार मीटरिक टनों में)

कैन्सर के वास्तविक कारणों का पता लगाना

4746. **श्री पम्पन गौडा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर के वास्तविक कारणों का पता लगाया है ;

(ख) क्या और अनुसंधान की प्रतीक्षा किए बिना यदि रोग का पता लगाने और चिकित्सा करने सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया जाये तो कैंसर से मरने वालों में से एक तिहाई को बचाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संस्थानों के अनुसंधाता उन कारणों की खोज करने का काम कर रहे हैं जिनसे कैंसर की उत्पत्ति होती है अथवा जो प्रत्यक्ष रूप से उसकी उत्पत्ति में सहायक होते हैं। कैंसर पर महामारी विज्ञान संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति के फलस्वरूप न केवल दुर्दम्य अर्बुद के निदानार्थ ज्ञान में वृद्धि हुई है अपितु उन पर्यावारिक कारणों के महत्त्वपूर्ण योगदान का भी पता चला है जिनसे कुछेक अर्बुद उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। इन कारणों के अध्ययन से कुछ खास प्रकार के अर्बुदों के निवारणार्थ और अच्छे तरीके निकले हैं।

(ख) इतना तो आसानी से कहा जा सकता है कि यदि प्रारम्भिक निदान के लिए उपलब्ध वर्तमान ज्ञान का विशेषकर अनुसंधानसम्मत कोशिका-विज्ञान (पाप-स्मीअर) का व्यापक उपयोग किया जाए तो कैंसर से मरने वाले एक तिहाई व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। प्रारम्भिक अवस्था में कैंसर का पता लगाकर उसकी तुरन्त और उचित चिकित्सा करना सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिससे आज कैंसर का सफाया किया जा सकता है।

हमारे देश में होने वाले कैंसरों में 60 से 65 प्रतिशत कैंसर मुख और ग्रीवा के होते हैं। कोशिका की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा इन दोनों अंगों के पीड़ित भागों का पता लगाया जा सकता है। कैंसर पूर्व अथवा दुर्दम्यपूर्व क्षतों के विकास से यह भी पता लगाया जाता है कि कैंसर कब हुआ ? कोशिका विज्ञान सम्बन्धी जांच-पड़ताल से भी इन क्षतों का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि इन क्षतों का पता लगा लिया जाए और उसकी सही चिकित्सा की जाए तो ग्रीवा और मुख दोनों प्रकार के कैंसरों को 'निवार्य रोग' कहा जा सकता है।

(ग) भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की अध्यक्षता में कुछ वर्तमान संस्थानों तथा अस्पतालों की आवश्यकताओं और अतिरिक्त मांगों का मूल्यांकन करने के लिए एक कैंसर मूल्यांकन समिति गठित की थी ताकि उनका दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्रों में परिणत किया जाए। इस समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है। भारत सरकार कैंसर के अनुसंधान के लिए सहायक अनुदान भी दे रही है।

Alleged Corruption in Delhi University Departments

4747. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the President of the Delhi University Students' Union alleged in September, 1972 that corruption is rampant in the University Departments, as reported in the Hindustan Times dated the 19th September, 1972 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) According to the report appearing in the Hindustan Times dated September 19, 1972 the President, Delhi University Students' Union showed concern over the "corruption rampant in most University Departments".

(b) No specific case of corruption in University Departments has been reported to Government.

Cases of Venereal Diseases

4748. Shri M. C. Daga :
Shri Karni Singh :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there are 80,000 cases of venereal diseases in the country ; and if so, the reasons therefor and the active steps being taken by Government to check them ; and

(b) whether these diseases have spread to colleges also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) It is estimated that the number of persons suffering from venereal diseases in the country is about 20 million. The prevalence of the disease is due to over-crowing in big cities, increase in promiscuity and the change in social pattern.

The following steps have been taken to control V. D. in the country :

(1) During the II and III Plan periods, V. D. Control Programme was included as Centrally-aided scheme and 142 V. D. clinics were established with Central assistance in the different States/Union Territories.

(2) During the 4th Plan Period, the scheme has been included as a Centrally sponsored programme with 100% Central assistance. 50 additional V. D. clinics were aimed to be established during the 4th Plan. Out of these, 30 have so far been established.

(b) Definite information is not readily available.

नसबन्दी आपरेशन के बाद की परीक्षा

4749. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नसबन्दी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस आपरेशन के बाद की उचित परीक्षा के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे नसबन्दी

की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपरेशन के पश्चात् अपने वीर्य की जांच करा लें। बहुत-से अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक सूक्ष्मदर्शी यंत्र (माइक्रोस्कोप) उपलब्ध हैं।

दक्षिण दिल्ली में कनाट प्लेस के मुकाबले की मार्किट बनाना

4750. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दक्षिण दिल्ली में कनाट प्लेस से दुगने आकार की एक उसकी प्रतिस्पर्धी मार्किट बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका डिजाइन कैसा होगा तथा इस पर कितनी लागत आयेगी और इसका निर्माण कब तक करने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) दिल्ली की वृहत योजना में कालका जी में एक जिला पणन केन्द्र के निर्माण की व्यवस्था है जिसे आजकल "नेहरू प्लेस" कहा जा रहा है। जिला केन्द्र 40.5 हैक्टर क्षेत्र में है।

(ख) योजना में दुकानों-कार्यालयों के 98 बहुमंजिले ब्लाक, 3 सिनेमा स्थानों, होटलों के 2 स्थानों, खुली रंगशालाओं सहित सांस्कृतिक भवन समूहों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, आर्ट गैलरियों आदि की व्यवस्था है। वाहनों को ठहराने के लिए ठहराने के पर्याप्त स्थान की व्यवस्था का भी पूर्णरूप से ध्यान रखा गया है। इस भवन-समूह की भूमि के विकास की कुल लागत सम्बन्धी निर्माण परिव्यय 1.60 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो दिल्ली प्रशासन को अधिग्रहण तथा बाहरी सेवाओं की लागत को पूरा करने के लिए दी गयी 1.50 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है। लगभग 3 से 5 वर्षों की अवधि में इस केन्द्र के पूरा होने की आशा है।

Construction of Lateral Road between Darbhanga and Forbesganj

4751. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the construction of lateral road between Darbhanga and Forbesganj of Bihar and the time by which the work thereon is likely to be completed ;

(b) the location on the Kosi river where over-bridge on this road is proposed to be constructed and the time by which it is likely to be completed ; and

(c) whether road-cum-rail line is proposed to be constructed on this over-bridge ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The plans and estimates for the Darbhanga-Forbesganj portion of the Lateral Road in Bihar have not yet been received from the State Government.

The location for the proposed bridge over the river Kosi has been tentatively proposed near Mahadeo Math. Model experiments are, however, still being carried out for fixing the exact location of the bridge and for evolving a suitable design for the bridge and its protective works.

It is not possible at this stage to indicate as to when these works would be completed.

(c) No, Sir.

परम्परागत फसलों के लिए द्विमुखी योजना

4752. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परम्परागत फसलों के विकास के लिए एक नई द्विमुखी योजना के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

4753. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निराश्रित स्त्रियों और निराश्रित बच्चों के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) सरकार पांचवीं योजना के दौरान यथासम्भव शीघ्र इन्हें कार्यान्वित करने की आशा करती है।

पोषक आहार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा सहायता

4754. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिलहन से पोषक आहार बनाने के लिए

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने किस प्रकार की और कितनी सहायता की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से तिलहनों से अधिक पौष्टिक खाद्य वस्तुएं बनाने के लिए अब तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली में पीलिया रोग पीड़ितों की संख्या में तीव्र वृद्धि

4755. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री मधुकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पीलिया रोग पीड़ितों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या ठोस और तुरन्त कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) हैज़ा, जठरांत शोथ तथा यकृत-शोथ जैसे पेठ के रोगों से बचाव करने के लिए दिल्ली नगरनिगम ने विज्ञापनों द्वारा जनता को सुरक्षात्मक उपाय बरतने के लिए सूचित कर दिया है । जनता को समझा दिया गया है कि वे केवल नगर के नलों का ही पानी पियें और यदि वह उपलब्ध न हो तो पानी उबाल कर पियें । गन्दे और कटे हुए फलों तथा नंगे पड़े खाद्य पदार्थों की बिक्री की रोकथाम के लिए भी नगरनिगम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं । निगम ने यात्री निरोधी उपायों को भी तेज कर दिया है ।

गुजरात में नलकूपों की मांग

4756. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य द्वारा राज्य में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए जिला-वार कितने नलकूपों की मांग की गई है ;

(ख) क्या वहां कोई अध्ययन दल भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल की सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात राज्य द्वारा मांग की गयी नलकूपों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 के दौरान गुजरात राज्य का दौरा किया था । दल ने पेय जल सप्लाई करने के लिए आपातिक प्रबन्धों के लिए 50 लाख रुपयों की खर्च-सीमा की सिफारिश की थी जैसा कि टैंकों, बैलगाड़ियों द्वारा पानी की सप्लाई करना और मौजूदा नलकूपों को गहरा करना है । प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल के नये नलकूपों की खुदाई के लिए 40 लाख रुपये की सीमा की भी सिफारिश की गई थी ।

कृषि मंत्रालय के एक क्षेत्रीय अधिकारी ने राज्य का दौरा किया था और आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन 6 रिग खरीदने और विशेष लघु सिंचाई योजना के लिए 100 नलकूपों की खुदाई करने के लिए 175 लाख रुपये की सिफारिश की थी ।

विवरण

जिला		नलकूपों की संख्या
राजकोट	...	25
सुरेन्द्रनगर	...	25
जामनगर	...	15
जूनागढ़	...	20
भावनगर	...	20
अपरेली	...	15
कच्छ	...	30
अहमदाबाद	..	50
महसाना	...	30
बनासकंदा	...	75
साबरकंदा	...	45
जोड़		350

राष्ट्रीय पशु के सम्बन्ध में परिवर्तन

4757. **श्री बेकारिया :**
श्री समर गुह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने अब शेर के बजाय बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) शेर देश के एक छोटे से भाग में पाया जाता है, परन्तु बाघ काफी बड़े क्षेत्रों में पाया जाता है । इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत में बाघों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। इससे भारतीय बाघों और उनके परिरक्षण के प्रति विश्व भर में दिलचस्पी पैदा हुई है और इस पशु को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' नामक एक परियोजना शुरू की गयी है । अन्य देशों में भी बाघ की संख्या में कमी हुई है और विश्व में भारत ही उनका अन्तिम गढ़ है, इन समस्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय किया गया है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए व्यापक विधान

4758. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान आधार पर व्यापक विधान वनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो संसद द्वारा आवश्यक विधान कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पहले ही परिशोधित किया जा चुका है । गजेन्द्रगडकर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को परिशोधित करने का प्रस्ताव भी है। इस कार्य के 1973-74 के दौरान पूरा होने की सम्भावना है ।

देश में मेडिकल कालेजों की संख्या

4759. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध परिषद ने जिन मेडिकल कालेजों को मान्यता दे रखी है उनके नाम क्या हैं तथा वे देश में कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) उन कालेजों के नाम क्या हैं जो छात्रों से प्रति व्यक्ति शुल्क लेते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कालेजों की संख्या बढ़ाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जिन मेडिकल कालेजों की एम० बी० बी० एस० डिग्रियां, जो उनके विश्वविद्यालयों द्वारा दी

जाती हैं, चिकित्सा अर्हताओं के रूप में मान्य हैं और भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शामिल हैं, उन मेडिकल कालेजों के नाम और पते (राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार) संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4063/72]

(ख) इनमें से जो गैर-सरकारी मेडिकल कालेज विद्यार्थियों से प्रति व्यक्ति शुल्क लेते हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, बेलगांव (मैसूर)
2. रंगराया मेडिकल कालेज, कावीनाडा (आन्ध्र प्रदेश)
3. एम० जी० एम० मेडिकल कालेज, जमशेदपुर (बिहार)
4. डा० वी० एम० मेडिकल कालेज, शोलापुर (महाराष्ट्र)
5. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, पनीपाल (मैसूर)
6. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवनगिरी (मैसूर)
7. ककातिया मेडिकल कालेज, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)
8. मेडिकल कालेज, गुलबर्गा (मैसूर)

(ग) जी नहीं। भारत सरकार की निरन्तर यही नीति रही है कि ऐसे कालेजों की स्थापना को निरुत्साहित किया जाए। सभी राज्य सरकारों आदि को इस नीति से अवगत कर दिया गया है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों को अपने हाथ में लेने और भविष्य में ऐसे कालेजों के खुलने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आवश्यक कानून बनाने के बारे में विचार करें।

अप्रयुक्त पड़े चर्च भवन को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को सौंपना

4760. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के उपकुलपति ने वाइस-रीगल लाज, शिमला के अप्रयुक्त पड़े चर्च भवन को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को दे देने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हां।

(ख) सम्पत्ति इण्डियन चर्च ट्रस्टीज़ की है, जिन्होंने इसे भारत सरकार को उपहार के तौर पर देने की पेशकश की है। उपहार को स्वीकार करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही

हैं। सम्पत्ति को औपचारिक तौर पर उपहार में दिये जाने तथा सरकार के सुपुर्द किये जाने के बाद ही भवन को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के आदिवासी कृषकों के लिए सुधरी हुई किस्म के बीजों की सप्लाई में देरी

4761. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोदों कुटकी सांवा जैसे मोटा अनाज पैदा करने वाले आदिवासी कृषकों के लिए सुधरी हुई किस्म के बीज देने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) ऐसी सुधरी हुई किस्म के बीज कब उपलब्ध होंगे; और

(ग) आदिवासियों सम्बन्धी विस्तृत क्षेत्र तथा देश में ऐसी फसल के बड़े क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने कोदों, कुटकी आदि जैसे अप्रमुख मोटे अनाज के उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए कदम उठाये हैं। उन्होंने मांडला जिले के दिन्दोरी नामक स्थान पर एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है। इस केन्द्र में गत कुछ वर्षों के दौरान कोदों निवास, कुटकी दिन्दोरी नं० 1 तथा रागी सी-157 सी, सी-4840 और आई० ई०-776 की सुधरी हुई किस्मों का विकास किया गया है। कृषकों के मध्य प्रदर्शन करने और उनमें वितरण करने के लिए बीजों की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। 1972 के खरीफ में अधिक उत्पादनशील किस्मों के लगभग 40 क्विंटल बीज बांटे गये थे। आदिवासी क्षेत्रों में उगाये जाने वाले इन अप्रमुख मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों का विकास करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में रुई उगाना

4762. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रुई की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राजस्थान नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में रुई उगाने के लिये कोई विशेष प्रयत्न किये गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ख) इस कार्य के लिए केन्द्र द्वारा यदि कोई सहायता दी गई है, तो कितनी;

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई लक्ष्य रखा गया है, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राजस्थान नहर क्षेत्र में 50,000 हैक्टर भूमि में कपास की खेती का विकास करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए लगभग 70 लाख रुपये खर्च करने का विचार है।

ढोर बीमा

4763. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर निरन्तर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में ढोर बीमा का कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का है, यदि हां तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने अभी तक ढोर बीमा सम्बन्धी किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारियों की ओर से याचिकाएं

4764. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के उन कर्मचारियों की ओर से सेवा में बहाल करने हेतु अनुरोध करते हुए कोई याचिकाएं मिली हैं जिनकी सेवाएं इस वर्ष सी० एस० एस० के नियम 5 के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई हैं । यदि हां, तो उन पर सरकार का क्या निर्णय है; और

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ऐसा निर्णय दिया है कि अस्थायी कर्मचारियों की सेवा की समाप्ति से सम्बन्धित उक्त नियम और ऐसे ही अन्य नियमों के अन्तर्गत बिना किसी जांच के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न की जायें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और क्या उपरोक्त मामलों पर इस संदर्भ में पुनर्विचार किया गया है अथवा किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 25) के अन्तर्गत की गई है । इस संस्थान में, निदेशक के पद को छोड़कर अन्य सभी नियुक्तियां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली के विनियम 33 के उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं । चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली के अन्तर्गत और/अथवा नियुक्ति की शर्तों के अनुसार यह संस्थान विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने तथा सेवाओं को समाप्त करने के मामले में पूर्णरूपेण सक्षम है, अतः जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उनकी याचिकाएं इसी संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को ग्राह्य हैं न कि सरकार को ।

(ख) और (ग) सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये ऐसे किसी भी निर्णय की जानकारी नहीं है जिसमें अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति विषयक अस्थायी सेवा नियमावली अथवा ऐसी ही अन्य नियमावली के अन्तर्गत बिना जांच कराये कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने की मनाही की गई हो या उस पर पाबन्दी लगाई गई हो। वैसे उच्चतम न्यायालय ने, श्री गोपीनाथ के मामले में दिनांक 18 फरवरी, 1972 के अपने निर्णय में यह कहा था कि केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत किसी अस्थायी कर्मचारी को नोटिस की अवधि के वेतन तथा भत्तों का उसी समय भुगतान किये बिना उसकी सेवायें समाप्त करना अवैध है। इस निर्णय को दृष्टिगत करते हुए, जून 1972 में केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के परन्तुक को भूतलक्षी रूप से संशोधित कर दिया गया था।

सिंचाई सुविधायें प्राप्त तथा मानसून पर निर्भर भूमि

4765. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में खेती योग्य कितने हैक्टर भूमि में खेती के लिए सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हैं तथा कितनी भूमि मानसून पर निर्भर है और इन राज्यों में सिंचित खेती के योग्य भूमि अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में कितने प्रतिशत है;

(ख) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 की वार्षिक योजनाओं के सन्दर्भ में चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू में तथा अन्त में तदुपरान्त यह आंकड़े क्या होंगे; और

(ग) चालू वर्ष में इन राज्यों में प्रत्येक राज्य में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाएं देने सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1969-70 में राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा और समस्त भारत के सिंचित क्षेत्र, बोये गए क्षेत्र एवं बोये गए क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता के आंकड़े नीचे दिये गये हैं—

(000 हैक्टर)

राज्य	बोया गया निवल क्षेत्र	सिंचित निवल क्षेत्र	मानसून पर निर्भर क्षेत्र (स्तम्भ 2 तथा 3 में अन्तर)	निवल बोये गये क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
राजस्थान	13,095	2,059	11,036	15.7
बिहार	8,395	2,279	6,116	27.1
पश्चिम बंगाल*	5,569	1,478	4,091	26.5
उड़ीसा	6,094	1,027	5,067	16.9
अखिल भारत	139,122	30,340	108,732	21.8

* वर्ष 1964-65 से सम्बन्धित है। राज्य सरकार ने अनुवर्ती वर्षों के आंकड़े नहीं भेजे हैं।

(ख) चौथी योजना के प्रारम्भ में सिंचित क्षेत्र तथा वर्ष 1972-73 के अनुमानित लक्ष्य के आंकड़े नीचे दिये गए हैं। वर्ष 1973-74 के लक्ष्य अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये गए हैं।

राज्य	वर्ष 1968-69 में निवल सिंचित क्षेत्र (000 हैक्टर)	वर्ष 1972-73 का लक्ष्य (अतिरिक्त 000 हैक्टर)
1	2	3
राजस्थान	2,119	57
बिहार	2,174	412
पश्चिम बंगाल*	1,478	120
उड़ीसा	940	110
अखिल भारत	29,025	2,535

* वर्ष 1964-65 से सम्बन्धित है। राज्य सरकार ने अनुवर्ती वर्षों के आंकड़े नहीं भेजे हैं।

(ग) इन राज्यों में विशाल, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन योजनाओं में मुख्य रूप से सतही जल, संचयन तथा मोड़ योजनाएं उठाव सिंचाई योजनाएं और भूमिगत जल विकास कार्य सम्मिलित हैं। इन भूमिगत जल विकास कार्यों में कुओं के निर्माण तथा सुधार के लिए उन्हें बोर तथा गहरा करना और पुनः काम के उपयुक्त बनाने के साथ-साथ उथले एवं गहरे नलकूपों की स्थापना का कार्य भी सम्मिलित है। वर्ष 1972-73 के दौरान बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में विशाल, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं सहित सभी सिंचाई योजनाओं का परिव्यय क्रमशः 29.89 करोड़ रुपये, 10.11 करोड़ रुपए, 24.61 करोड़ रुपए तथा 10.06 करोड़ रुपए है। आगामी वर्ष (1973-74) के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्रचलित वित्तीय पद्धति के अनुसार राज्य प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता, सारी वार्षिक योजना के लिए एक मुश्त ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है। विकास सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन करना, मुख्य रूप से राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है।

सरकारी बंगलों पर कब्जा किए भूतपूर्व संसद सदस्य तथा मंत्री

4766. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मंत्रियों सहित उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उनका विवरण क्या है जो पद त्याग करने के बाद भी उनको आवंटित नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी बंगलों को कब्जे में किये हुए हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जोगेन्द्र सिंह, जिन्होंने 20-9-71 से त्याग-पत्र दे दिया था, उन्हें

बाजार दर पर लाइसेंस फीस की अदायगी करने पर 20-10-71 से एक वर्ष के लिए अपना बंगला रखने की अनुमति दी गई थी ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और राज्य पोषक आहार अनुभाग द्वारा पोषक आहार की कमी के कारण रक्ताभाव के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

4767. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और राज्य पोषक आहार अनुभाग द्वारा हाल ही में किये गए सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में कम से कम 60 प्रतिशत बच्चों में पोषक आहार की कमी के कारण रक्ताभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा हाल ही में किए गये सर्वेक्षण के अनुसार कम आय वाले वर्ग के 52 प्रतिशत स्कूल जाने से पूर्व आयु के बच्चे अरक्तता से ग्रस्त हैं ।

(ख) राष्ट्रीय पोषण संस्थान और मेडिकल कालेजों के बालचिकित्सा और सामाजिक तथा निरोधक आयुर्विज्ञान विभागों द्वारा छह केन्द्रों में एक सहयोगात्मक अध्ययन किया गया । यह सर्वेक्षण कम आय वाले वर्ग के स्कूल जाने से पूर्व आयु के बच्चों की पोषण सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया गया था । प्रत्येक केन्द्र में लगभग 3000 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया । बम्बई और कलकत्ता में नगरीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया । बिल्लौर में अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया और हैदराबाद, दिल्ली और पूना में ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया । परिणामतः सर्वेक्षण किये गए बच्चों में से 52 प्रतिशत में अरक्तता पाई गई ।

(ग) इस समस्या का हल करने के लिए पोषण सम्बन्धी अरक्तता की रोकथाम की एक योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अधीन बच्चों, गर्भवती और आयाओं को हर रोज फैरस सलफेट और फोलिक एसिड मिश्रित गोलियां दी जाती हैं । ये गोलियां ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में स्थित प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर, शिशु कल्याण और परिवार नियोजन क्लिनिकों, जिला अस्पतालों, प्रसूति गृहों द्वारा दी जाती हैं जहां जन समुदाय को परिवार नियोजन और प्रसूति शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं एक साथ उपलब्ध की जाती हैं । पांचवीं योजना की अवधि में और भी भारी प्रयत्न किया जाएगा ।

भारत में मलेरिया के रोगियों के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिवेदन

4768. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में भारत में सबसे अधिक मलेरिया के रोगी हैं जिनकी संख्या 1,091,561 है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस रोग के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में विभिन्न देशों के बारे में मलेरिया की घटनाओं की पूरी सूचना नहीं दी गई है। यह कहना सही नहीं है कि विश्व में सबसे अधिक मलेरिया के रोगी भारत में हैं।

(ग) देश में मलेरिया के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) चौथी योजना अवधि में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वचनबद्ध खर्च के अलावा संचालन खर्च को भारत सरकार वहन करती है। आक्रामक और समेकित चरणों के लिए राज्यों को जो सामग्री और उपस्कर दिये जाते हैं, उन का खर्च भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्यों में मुख्यालयों/क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारियों के खर्च की पूर्ति के लिए भी आंशिक सहायता दी जाती है।

(2) जो क्षेत्र मलेरिया के रख-रखाव चरण में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(3) एक भारतीय वैज्ञानिक की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने 1970 में इस कार्यक्रम का गहराई से मूल्यांकन किया था। उन्होंने इस कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर, जिसमें तकनीकी प्रशासन और संभार तंत्र आदि भी सम्मिलित हैं, व्यापक रूप से सिफारिश की। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

(4) अग्रिम रूप से कीटनाशक दवाइयां प्राप्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं ताकि इन्हें आक्रामक चरण वाले विभिन्न राज्यों को छिड़काव कार्य करने के लिए समय पर दिया जा सके।

(5) चौथी योजना अवधि में आक्रामक और समेकित चरणों वाले एककों की पुरानी एवं बेकार गाड़ियों के स्थान पर चरणवार धीरे-धीरे नई गाड़ियां दी जा रही हैं।

(6) जहां कहीं आवश्यक होता है, इन एककों में डी० डी० टी० के छिड़काव कार्य को तेज किया जा रहा है।

(7) जिन क्षेत्रों में वेक्टर मच्छर डी० डी० टी० के प्रति सहिष्णु हो गया है वहां बी० एच० सी० एवं मलाथिऔन जैसी मच्छरमार दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है।

(8) स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों को मच्छरमार दवाइयों के छिड़काव और इन दवाइयों के छिड़काव के उपरान्त दीवारों को मिट्टी से न पोतने के बारे में समझाया जा रहा है। जनजाति समुदायों के ग्राम नेताओं से भी सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

(9) जिन क्षेत्रों में मलेरिया का निरन्तर संचार होता जा रहा है, उनकी विशेष रूप से जांच की जा रही है।

(10) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी मलेरिया योजना को 1971-72 से शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देकर अनुमोदित पैटर्न पर एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया गया है।

1972-73 तक ए-स्टेफेन्सी की समस्या वाले 28 नगरों में लार्वा निरोधी-कार्य किये गये हैं और 1973-74 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 और अधिक नगरों को सम्मिलित करने का विचार है।

सालारजंग संग्रहालय में कुप्रबंध : भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा चोरी

4769. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, में कुप्रबंध, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा बड़े पैमाने में चोरी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस संग्रहालय को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सालारजंग संग्रहालय के एक कर्मचारी ने इसके एक भण्डार से 29-5-1972 को 44 लघु चित्रों के चोरी चले जाने की रिपोर्ट की थी, इनमें से बहुत-से चित्रों को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। इन चित्रों के तथाकथित गुम होने के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा

कुछ समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें और शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। सालारजंग संग्रहालय का कर्मचारी संघ भी तथाकथित चोरी और प्रशासन के कुछ मामलों पर प्रत्यावेदन भेजता रहा है।

(ग) जहां तक चित्रों की तथाकथित चोरी का सम्बन्ध है, सालारजंग संग्रहालय बोर्ड ने जाँच-पड़ताल का काम स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सौंप दिया है। पुलिस प्राधिकारियों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। सरकार ने भी इस मामले में जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा है। इस विभाग को जांच के परिणाम से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है।

अन्य मामले भी सालारजंग संग्रहालय के शासी मंडल के क्षेत्राधिकार में हैं, जो एक स्वायत्त निकाय है। आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं। मंडल संग्रहालय के योग्य प्रबन्ध के हेतु तथा इसके कर्मचारियों के सभी वर्गों की सेवा-शर्तों की देखभाल करने के लिए सभी अपेक्षित कार्यवाहियां करने के लिए सक्षम है।

पश्चिम दिल्ली में मुखर्जी पार्क कालोनी की कमियों को दूर करना

4770. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में मुखर्जी पार्क कालोनी के कालोनाइज़र ने कालोनी की सेवाओं सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक धनराशि दिल्ली नगर निगम में जमा करा दी है ;

(ख) यदि हां, तो कमियों को दूर करने के लिए पिछले कई सालों से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है ;

(ग) क्या इस कारण कालोनी के प्लाटधारियों को हानि हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो कालोनी की सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए कब तक कार्यवाही की जायेगी ; और

(ङ) क्या मुखर्जी पार्क निवासी कल्याण संस्था ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) जब तक दिल्ली नगर निगम के पास इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित राशि जमा करा कर इस कालोनी की सेवाएं उसे नहीं सौंपी जातीं, तब तक इन सेवाओं की देखरेख कालोनाईज़र द्वारा ही की जानी है।

(ङ) जी, हां। नगर निगम दिल्ली के विरुद्ध एक रिट याचिका न्यायालय में विचाराधीन है।

बस्तर में जनजाति कल्याण संगठन

4771. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बस्तर क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में जो जनजाति कल्याण संगठन है उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक संगठन के कृत्य क्या हैं तथा उनके द्वारा कौन-कौन-सी परियोजनाएं चालू की गई हैं ; और

(ग) प्रत्येक संगठन के सदस्य कौन-कौन हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली के स्कूलों में ड्राइंग अध्यापकों का वेतनमान

4772. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ग्रेड 3 के ड्राइंग अध्यापकों तथा इस ग्रेड के अन्य अध्यापकों को 220-430 रु० का वेतनमान दिया जा रहा है ;

(ख) क्या ये अध्यापक उसी कक्षा को उतने ही समय तक पढ़ा रहे हैं जिस प्रकार कि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक तथा अन्य विशेष अध्यापक जिसे विज्ञान अध्यापक और भाषा अध्यापक पढ़ाते हैं, जबकि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा अन्य विशेष अध्यापकों को 250-550 रु० का वेतनमान दिया जा रहा है ;

(ग) क्या उपरोक्त श्रेणी के अध्यापकों के प्रतिनिधि पिछले दो वर्षों से इस असमानता को दूर करने की मांग कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रेड III अध्यापक केवल कक्षा VIII तक पढ़ाते हैं जबकि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक तथा अन्य विज्ञान और भाषा अध्यापक कक्षा X तक पढ़ाते हैं। सभी का कार्य समय एक है।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी नए पदों का सृजन रु० 250-550 के वेतनमान में किया जा रहा है।

नई दिल्ली के लेडी हार्डिग कालेज और हास्पिटल तथा कलावती सरन अस्पतालों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4773. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग कालेज और हास्पिटल तथा कलावती सरन अस्पतालों के कर्मचारियों ने अपनी मजूरी में वृद्धि के लिए हाल ही में हड़ताल की है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी मांग की है कि इन अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए सरकार को उन्हें अपने हाथ में ले लेना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल के अध्यापन कार्य न करने वाले कर्मचारियों ने आर्थोप्टिशियन के पद की भर्ती के लिए आयोजित साक्षात्कार के विरोध में थोड़े समय के लिए अर्थात् 18 से 20 नवम्बर, 1972 तक हड़ताल की थी।

(ख) तथा (ग) जी हां। संस्था को केन्द्रीय सरकार या दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने हाथों में लेने या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की भांति इसके लिए एक स्वायत्त प्रबंधक मंडल स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विस्तार से विचार कर रही है।

समस्यामूलक भूमि वाले क्षेत्रों में नई कृषि तकनीक सम्बन्धी क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाएं

4774. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई कृषि तकनीक का किसानों के खेतों में परीक्षण करने, उनके अनुकूल बनाने और प्रदर्शन करने के लिए समस्यामूलक भूमि वाले क्षेत्रों, निरन्तर सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों, काली मिट्टी वाले क्षेत्रों और बागानी भूमि वाले क्षेत्रों में अपनी अनेक क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाएं एकात्मक रूप से या संयुक्त रूप से आरम्भ करने के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में कितनी प्रगति की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के तीव्र आमूल परिवर्तन के लिए मार्गदर्शी परियोजनाओं के परिचालित अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम अनुसंधान केन्द्रों/विभिन्न कृषि

विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीनस्थ संस्थानों के कैम्पसों के समीपवर्ती क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा । उनके साथ के जिलों में कृषि की तकनीकियों का प्रचार करने के प्रयत्न किए जाएंगे ।

इस समय देश में 19 विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन 22 कृषि संस्थाएं हैं । परिचालित अनुसंधान कार्यक्रम के क्षेत्र में 4-5 गांवों का समूह है और ऐसे कम-से कम 3 एकक प्रत्येक जिले में स्थापित किए जायेंगे । प्रदर्शन, अनुकूल परीक्षण, परिचालित अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण जैसे कार्य देश भर में कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों के अधिकृत क्षेत्रों में किए जाएंगे । समस्यामूलक भूमि वाले क्षेत्र, निरन्तर सूखा-ग्रस्त क्षेत्र, काली मिट्टी वाले क्षेत्र और उपवन क्षेत्र इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

(ख) इस कार्यक्रम को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का सुझाव है ।

Setting up of Community Schools

4775. Shri Shrikrishna Agrawal :
Shri Prabodh Chandra :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to set up Community Schools throughout the country ; and

(b) if so, the salient features thereof and the time likely to be taken in implementing it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) and (b) The Ministry of Education has under consideration a proposal to establish model Community Schools for primary education at the rate of one per block and a model Comprehensive Higher Secondary Schools at the rate of one per district. These schools are intended to be pace-setters and will have a modern curriculum and method of evaluation. They will also provide 'extension services' to the neighbouring schools. They will provide good education to talented children coming from the most under-privileged sections of the community. These model schools are to be provided with adequate hostel facilities and at least 25 per cent of their seats are to be reserved for children coming from the socially and economically deprived groups who would be paid suitable maintenance grants.

The Central Advisory Board of Education at its meeting held on 18-19 September, 1972 has approved the establishment of such schools. The scheme is under examination of Government. It is not possible to indicate when the scheme will be implemented.

Decisions taken at 17th Session of General Conference of UNESCO

4776. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state the reaction of Government of India on the main decisions taken at the 17th Session of General Conference of UNESCO ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : The main decisions adopted by the 17th Session of the UNESCO General Conference have been summarised in the statement appended to the reply to unstarred question No. 1953 answered on 27-11-1972. They appear to be generally conducive to the furtherance of UNESCO's objectives.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में सरकार और अनुसंधान साइड के कर्मचारी

4777. **श्री भारतसिंह चौहान** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में आरम्भ से ही दो प्रकार के अर्थात् सरकारी और अनुसंधान (गैर-सरकारी) साइड के कर्मचारी हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1969 से अब तक प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को प्रत्येक प्रकार के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या बतलाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाये ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् गठित करने वाले सरकारी संकल्पों के अनुसार यह परिषद् संस्थात्मक शाखा में सोसायटी के रूप में वर्ष 1929 में स्थापित की गई थी। संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत इसका पंजीकरण किया गया था। किन्तु कार्य शुरू करने के लिए परिषद् का सचिवालय सरकार के एक नियमित विभाग के रूप में और बाद में 15 जनवरी, 1939 से कृषि विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में गठित किया गया। कर्मचारी वर्ग में सरकारी कर्मचारी सम्मिलित किए गए और सचिवालय पर होने वाला खर्च केन्द्रीय राजस्व से पूरा किया जाता था। वर्ष 1940 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में अधिकांशत: भारत सरकार के कर्मचारी ही थे, यद्यपि लिपिक तथा हिसाब-किताब सम्बन्धी काम की देखभाल के लिए अनुसंधान योजनाओं के साथ-साथ अनुसंधान निधि से कुछ लिपिकों के पद अलग से सृजित किए गए थे। वर्ष 1947 के बाद परिषद् की बढ़ी हुई गतिविधियों और अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त करने में सरकार की असमर्थता के कारण परिषद् ने अपनी अनुसंधान निधि से धन लगाकर हर वर्ष अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए। इस तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ परिषद् द्वारा नियुक्त अनुसचिवीय कर्मचारी और कुछ वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में हो गए थे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पुनर्गठन की योजना के अंग के रूप में वर्ष 1965 में

भारत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि कृषि विभाग के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्था द्वारा नियंत्रित कार्यालय के रूप में बदल दिया जाये और इसका वित्तीय व्यय भी इस संस्था द्वारा ही वहन किया जाये। वर्ष 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में नियुक्त वैज्ञानिक, तकनीकी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए कहा गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय के वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारियों को कोई विकल्प देने के लिए नहीं कहा गया था। जहां तक अनुभाग अधिकारी, सहायक, आशुलिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा निम्न श्रेणी लिपिक जैसे अनुसचिवीय कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया कि कृषि विभाग तथा उसके संलग्न कार्यालयों के संवर्ग से सम्बद्ध उपरोक्त कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए कहा जाए, चूंकि ये कृषि विभाग के संवर्ग से सम्बद्ध और तत्सम्बन्धी केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के सदस्य हैं और इनका परस्पर स्थानान्तरण हो सकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में शर्त यह होगी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् उतने ही विकल्प देने वालों को स्वीकार करेगा जितने सरकारी पद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में हैं।

जिन कर्मचारियों ने उक्त सोसाइटी की सेवा के लिए विकल्प दिया है उन्हें 1/2/72 से सोसायटी की सेवा में नियुक्त कर दिया गया है। गैर-सरकारी कार्यालय में परिवर्तित किये जा रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सचिवालय में कार्य करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के रूप में ही कार्य करते रहेंगे।

(ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

	1.4.69		1.4.70		1.4.71		1.4.72	
	सरकारी शाखा	अनुसंधान शाखा	सरकारी शाखा	अनुसंधान शाखा	सरकारी शाखा	अनुसंधान शाखा	सरकारी शाखा	अनुसंधान शाखा
प्रथम श्रेणी	38	22	32	42	14	58	15	83
द्वितीय श्रेणी	32	60	30	65	11	36	8	79
" "	86	13	81	19	38	19	23	19
(अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी	85	400	128	447	28	618	11	656
चतुर्थ श्रेणी	95	146	93	146	92	126	4	190

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में डिप्टी चीफ आर्टिस्ट (एक्जीबिशन) के पद पर भर्ती

4778. **श्री भारतसिंह चौहान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में वरिष्ठ प्रथम श्रेणी के वेतनमान में डिप्टी चीफ आर्टिस्ट (एक्जीबिशन) के पद के लिए बिलकुल भी विज्ञापन नहीं दिया गया था और इस पद को भरने के लिए भर्ती सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) 700-1250 रुपये के वेतनमान में कलानिदेशक तथा मुख्य कलाकार के पद के मूल पदाधिकारी की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्य कार्यालय में 1100-1400 रुपये के वेतनमान में मुख्य कलाकार के पद पर नियुक्ति के पश्चात्, कार्य-हित की दृष्टि से नवम्बर, 1970 में निदेशक तथा मुख्य कलाकार के पद का पदनाम बदलकर उप-मुख्य कलाकार (प्रदर्शनी) कर दिया गया था। इसका वेतनमान भी 700-1250 ही रखा गया। साधारणतः इस स्तर के पद, विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन-पत्र मंगाकर उनमें से उम्मीदवारों का चयन करके भरे जाते हैं। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में पहले से मौजूद चयन नामिकाओं में से उम्मीदवार लेकर पद भरने की पद्धति का अनुसरण किया जाता रहा है। इसके लिए यह शर्त है कि दोनों पदों के वेतनमान और उनकी अर्हताएं अधिकांशतः समान अथवा एक-जैसी हों। उप-मुख्य कलाकार (प्रदर्शनी) का पद शीघ्र भरने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि इस पद के लिए विज्ञापन देने के बजाय इसे चयन समिति द्वारा 30 मई, 1970 को बनायी गई चयन-नामिका में से उम्मीदवार लेकर भर दिया जाये। यह समिति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्य कार्यालय में 1100-1400 रुपये के वेतनमान में मुख्य कलाकार के पद के उम्मीदवार के चयन के लिए गठित की गई थी। इन दोनों पदों की अर्हताएं लगभग समान थीं और चयन समिति ने अपने कार्यवृत्त में यह कहा था कि उन्होंने जिन तीन उम्मीदवारों की सिफारिश की थी, वे सभी वास्तव में अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट गुणों वाले हैं।

अधिकारियों की उपेक्षा के कारण भारत द्वारा 35 मिलियन अधिक डालर

4779. **श्री एम० कतामुतु** :
श्री मधुकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों की उपेक्षा के कारण भारत को अमरीका से गेहूं के आयात के लिए 35 मिलियन अधिक डालर देने पड़ेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गेहूँ के आयात के मामले में अधिकारियों की कोई उपेक्षा नहीं रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Indian Equipment or Drug to Know About Stages of Pregnancy

4780. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a scientist doctor of India has invented a new equipment or drug to know about the stages of pregnancy ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) No. However, the research carried out under the aegies of the Indian Council of Medical Research indicated that reagents could be prepared to determine very early pregnancy much before it could be diagnosed clinically. The reagents are under the scrutiny of Indian Council of Medical Research.

दिल्ली में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

4781. **श्री प्रबोधचन्द्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को दिल्ली प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता किस आधार पर दी जाती है;

(ख) ऐसी वित्तीय सहायता किस प्रयोजन के लिए दी जाती है;

(ग) क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि जो राशि खर्च की गई है वह उसी प्रयोजन के लिए की गई है जिसके लिए मंजूर की गई थी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को नृत्य, नाटक, संगीत, संस्कृति, खेलें तथा शिक्षा के क्षेत्रों में कार्यकलापों के विकास एवं समृद्ध बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायक अनुदान देने के लिए दिल्ली प्रशासन ने स्वैच्छिक संगठनों को निम्न-लिखित तीन वर्गों में बाँटा है :—

(1) स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठन	घाटे का 50%
(2) शैक्षिक संगठन	स्वीकृत व्यय का 60%

(3) खेल संगठन — घाटे की राशि अथवा प्रत्येक प्रकार के खेल के लिए निर्धारित राशि, इनमें से जो भी व्यय हो।

इन अनुदानों की उपयोगिता की संवीक्षा निम्नलिखित पद्धति के अनुसार की जाती है—

(1) अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था को अपने लेखों का परीक्षित विवरण तथा उत्तरवर्ती वर्ष के जून के अंत तक सनदी लेखापाल से अधिप्रमाणित किया गया उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) इन संस्थाओं के लेखों की जांच/निरीक्षण निरीक्षक स्थानीय निधि लेखे द्वारा की जाती है, जिससे प्रशासन को इस बात से आश्वस्त किया जा सके तथा रिपोर्ट की जा सके कि संस्था को दिए गए अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए स्वीकृत किया गया था।

(घ) विस्तृत विवरण अनुबंध 1 पर संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4064/72**]

कैंसर सम्बन्धी अनुसंधान पर खर्च की गई राशि

4782. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रतिवर्ष कैंसर से कितने व्यक्ति मरे ;

(ख) इस क्षेत्र में सरकारी स्तर पर अनुसंधान कर रहे अस्पतालों और संस्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) पिछले वर्षों से इसके अनुसंधान पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अधिक उपज देने वाले किस्मों से कम उपज होने सम्बन्धी अध्ययन

4783. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने भारत समेत सुदूरपूर्व देशों में अधिक उपज वाली किस्मों से कम उपज होने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या कम उपज होने के कारणों की जांच करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रकाशन में, सुदूरपूर्व देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, अधिक उपज देने वाली किस्मों से कम उपज होने के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी, यह उल्लेख अवश्य है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का उत्पादन पर या तो सीमित प्रभाव पड़ा है अथवा उनका प्रभाव नहीं के बराबर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) जहां तक भारत का सम्बन्ध है, स्थिति बड़ी अच्छी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारत में गेहूं के दुगने उत्पादन को कई व्यक्तियों द्वारा कृषि क्षेत्र की अभूतपूर्व उपलब्धि बताया गया है। इस समय चावल की उपलब्ध नई किस्मों से भविष्य में चावल के उत्पादन में निरन्तर और तेजी सतत रूप से वृद्धि होने की सम्भावना है।

कुछ खाद्यान्न ऐसे हैं, जिन पर कृमियों और रोगों का शीघ्रता से असर हो जाता है और उपभोक्ता उनको लेना पसन्द नहीं करते। सरकार कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और वनस्पति रक्षण उपायों की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रही है।

अनाज की सप्लाई के लिए राज्यों का अनुरोध

4784. **श्री के० बालदंडायुतम :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनाज की तुरन्त सप्लाई के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितना अनाज मांगा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्य सरकारों आदि से खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए पूर्ववत मासिक मांगें प्राप्त हो रही हैं। चालू महीने के लिए लगभग कुल 15 लाख मी० टन के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं। खाद्यान्नों की राज्यवार मांगों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4065/72]

देश में मानसिक रोगों के अस्पताल की स्थापना

4785. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार मानसिक रोगों के अस्पतालों की संख्या कितनी है और उनको वार्षिक अनुदान के रूप में कितनी राशि दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला स्तर पर और अधिक मानसिक रोगों के अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) देश के मानसिक अस्पतालों की एक सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 4066/72]। चिकित्सा व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, अतः रांची स्थित मानसिक रोगों के अस्पताल को छोड़कर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के रूप में चलाया जाता है, अन्य सभी मानसिक अस्पताल राज्यों द्वारा चलाए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए मानसिक अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता।

(ख) और (ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार को विदित है, निकट भविष्य में किसी भी राज्य सरकार द्वारा और अधिक मानसिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है। वैसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला या शिक्षण अस्पतालों में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के रूप में 54 मनश्चिकित्सा क्लिनिकों को खोलने का प्रस्ताव है। चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रत्येक क्लिनिक के लिए प्रतिवर्ष 5000 रुपये अनावर्ती व्यय के लिए तथा 30,000 रुपये आवर्ती व्यय के लिए देती है। अभी तक केन्द्रीय सरकार ने 27 क्लीनिकों की स्वीकृति दी है। चालू वित्तीय वर्ष में 6 अन्य क्लिनिकों को खोलने का विचार है तथा 1973-74 में बाकी के 21 क्लिनिक खोलने का विचार है।

बीज टैक्नोलाजी में शोध

4786. **श्री सी० के० जाफरशरीफ :**
श्री मार्तण्ड सिंह

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज टैक्नोलोजी में शोधक आवश्यकता और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) बीज टैक्नोलोजी के क्षेत्र में अनुसन्धान करने और बीज टैक्नोलोजी के सम्बन्ध में

प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नयी दिल्ली में एक सुगठित बीज टैक्नोलोजी प्रभाग पहले से ही कार्य कर रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रभाग को प्रभावशाली बनाने के विषय में भी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के अनुसार बीज टैक्नोलोजी और राष्ट्रीय स्तरों पर तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के विषय में अनुसन्धान को तेज करने का विचार है। बीज टैक्नोलोजी के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, जिनके लिए देश में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, कुछ कर्मचारियों को विदेश में प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव है।

नेहरू संग्रहालय तथा पुस्तकालय में प्रतिनियुक्त व्यक्ति

4787. **श्री सरजू पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू संस्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में सरकारी सेवा से कितने व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर आए हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को इस बीच नियमित पद दे दिए गए हैं और संग्रहालय में स्थायी बना दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के 1 अप्रैल, 1966 को पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित होने से लेकर उसमें विभिन्न सरकारी विभागों से 22 व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर आये। उनमें से 5 संग्रहालय और पुस्तकालय में अभी भी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) छः

इब्राहीमपत्तनम, आंध्र प्रदेश में सहकारी चीनी कारखाने की स्थापना

4788. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के इब्राहीमपत्तनम में सहकारी क्षेत्र में चीनी का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इब्राहीमपत्तनम, तालुक, विजयवाड़ा, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश में 1250 मी० टन दैनिक गन्ना पेरने की क्षमता का सहकारी चीनी कारखाना स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र देने की सिफारिश की है।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

कांडला पत्तन के विस्तार हेतु प्रस्ताव

4789. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री आर० वी० बड़े :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख, यह माना गया है कि मांगी गई सूचना, पांचवीं योजना अवधि के दौरान काण्डला पत्तन के विस्तार के लिए है। पांचवीं योजना के लिए काण्डला पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण योजनाएं निम्न प्रकार से हैं।

चतुर्थ योजना की आगे लेजाई गई परियोजनाएं

(1) चार घाटों के मौजूदा माल गोदामों के अनुसार पांचवें घाट के पीछे खुले चट्टा लगे क्षेत्र बनाने के लिए प्लेटफार्म का निर्माण।

(2) ढुलाई बिंचों और टेबल प्रबन्धों सहित पूर्ण रूप से संसर्पिकाओं का निर्माण।

(3) अतिरिक्त निकर्षक और एक टग की अधिप्राप्ति।

नई परियोजनाएं

(4) पत्तन कर्मचारियों के लिए 200 अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण।

(5) छठे घाट का निर्माण।

(6) बीच जलमार्ग में अतिरिक्त पूंजी निकर्षण।

(7) आई० एफ० एफ० सी० ओ० उर्वरक संयंत्र के लिये कच्चे माल की धरा-उठाई के लिए जेटी का निर्माण।

(8) यांत्रिक नमक धरा-उठाई संयंत्र।

(9) 4 संख्यासतह अनुवात क्रेन।

उपर्युक्त सूची में दी गई नई योजनाएं, पत्तन न्यास के पांचवीं योजना कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विचाराधीन हैं।

कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए उपयुक्त पदों पर यांत्रिकी अभियंताओं (मैकेनिकल इंजीनियर्स) की नियुक्ति पर बल

4790. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि** मंत्री चौथी योजना के अन्त तक बेरोजगार कृषि

स्नातकों की संख्या के बारे में 27 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर इस बात का बल देने का है कि वे ऐसे पदों पर यांत्रिक अभियन्ताओं को नियुक्त न करें जिनके लिए कृषि इंजीनियरिंग स्नातक ही पूर्णतः उपयुक्त हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों को एक परिपत्र पहले ही जारी कर दिया गया है। इसमें उनसे यह कहा गया है कि कृषि संबंधी योजनाओं में इंजीनियरी पदों पर भर्ती करते समय सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्नातकों के बजाय कृषि इंजीनियरिंग के स्नातकों को तरजीह दी जाये। यह परिपत्र निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को नहीं भेजा गया था।

सूखे के कारण गन्ने के मूल्य में वृद्धि की मांग

4791. **श्री मुख्तियारसिंह मलिक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान सूखे की स्थिति के कारण केन्द्रीय सरकार से यह मांग की गई है कि समूचे देश में गन्ने का मूल्य 12 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाये : और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, गन्ना उत्पादक सूखे की स्थिति सहित विभिन्न कारणों से सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य की माँग करते हैं।

(ख) क्योंकि चीनी फैक्ट्रियां पहले ही सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य दे रही हैं इसलिए अधिसूचित न्यूनतम मूल्य में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह मूल्य केवल एक सांकेतिक मूल्य है।

दामोदर मंडोवी के कर्मचारियों (क्रयूमैन) की सुरक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता

4792. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव** :
श्री बरके जार्ज :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दिनांक 10 सितम्बर, 1972 के 'मदरलैंड' के उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि 29 जुलाई, 1972 को कराची के बन्दरगाह के निकट डूबे दामोदर मंगोवी के कर्मचारियों (क्रयूमैन) की सुरक्षा के प्रति सरकार उदासीन थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी हाँ। परन्तु रिपोर्ट में उल्लिखित आरोप सही नहीं है। लापता कर्मीदल की तलाश करने के लिए स्विस राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ मामला उठाया गया था। पाकिस्तान सरकार ने हमें सूचित किया कि व्यापक खोज के बावजूद पाकिस्तान की नौ और वायु सेना किसी भी जीवित व्यक्ति को ढूढ़ निकालने में असमर्थ रही थी।

Agricultural Universities

4793. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the, State-wise, break-up of Agricultural Universities in the country at present;

(b) whether Government propose to open more agricultural universities in the country;

(c) if so, the number along with the locations thereof; and

(d) the State-wise number of agricultural graduates who passed this degree examination more than two years ago but have not been provided with employment so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) to (c) The State-wise break of the Agricultural Universities in India is given below :—

S.No.	Name of the University	State
1.	Assam Agricultural University, Jorhat	Assam
2.	Andhra Pradesh Agricultural University, Hyderabad	Andhra Pradesh
3.	G. B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar	Uttar Pradesh
4.	Gujarat Agricultural University, Ahmedabad	Gujarat
5.	Haryana Agricultural University, Hissar	Haryana
6.	Himachal Pradesh University (Agril. Complex) Simla	Himachal Pradesh
7.	Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur	Madhya Pradesh
8.	Kerala Agricultural University, Mannuthy, Trichur	Kerala
9.	Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli	Maharashtra
10.	Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri	Maharashtra
11.	Marathawada Krishi Vidyapeeth, Parbhani	Maharashtra

S.No.	Name of the University	State
12.	Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar	Orissa
13.	Punjab Agricultural University, Ludhiana	Punjab
14.	Punjabrao Krishi Vidyapeeth, Akpla	Maharashtra
15.	Rajendra Agricultural University, Patna	Bihar
16.	Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore	Tamil Nadu
17.	University of Agricultural Sciences, Bangalore	Mysore
18.	University of Kalyani, Kalyani	West Bengal
19.	University of Udaipur, Udaipur	Rajasthan

All the States have at least one Agricultural University each except Manipur, Nagaland, Tripura & Meghalaya. Establishment of an Agricultural University in Jammu & Kashmir is under the consideration of the State Government. The establishment of an Agricultural University is the prerogative of the State Government. The Centre only helps by providing technical and financial assistance.

(d) The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the House as soon as received.

New Drugs Prepared in Ayurvedic Research Institute, Kottayam

4794. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the new drugs prepared in the Ayurvedic Research Institute, Kottayam, during the last three years after conducting researches;

(b) the diseases in which these drugs are found to be effective;

(c) the number of Research Scholars working in the said Research Institute; and

(d) the annual expenditure being incurred on the said Institute ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (d) There is no Ayurvedic Research Institute functioning under the Government of India at Kottayam. However, the information is being obtained from the Government of Kerala and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Foodgrains and Sugar sent to Bangladesh

4795. **Dr. Laxminarayan Pandeya** :

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of sugar sent to Bangladesh during 1972; and

(b) whether the foodgrains (including sugar) were sent as aid to them or were sold to them and the value of exported commodities in Indian Currency ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) 3908 tonnes sugar has so far been despatched to Bangladesh during 1972.

(b) 6.5 lakh tonnes wheat I has been supplied as a grant whereas 50 thousandt onnes have been supplied against payment by UNROD and 1.0 lakh tonnes against payment by the Government of Bangladesh. Entire quantities of rice, sugar and pulses have been supplied as a grant. The total value of these commodities works out to Rs. 93.86 crores approximately.

Appointment for the Various Committees Under Ministry of Health

4796. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the names of the persons appointed in the various Committees under his Ministry on honorary basis ; and

(b) their qualifications and the annual amount of allowances being given to each of them on various accounts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) and (b) A statement is placed on the table of the Sabha giving the names of the Committees functioning in the Ministry of Health and Family Planning on which members other then Government officials are serving, names of such members and the amount admissible to them (other than travelling allowance and daily allowances, which are paid according to Government rules). [**Placed in Library. See No. L. T. 4067/72**]. Such members are appointed on these Committees keeping in view their suitability for the functions entrusted to the respective Committees.

विभिन्न राज्यों में हरिजनों के कल्याण के लिए धनराशि का आवंटन

4797. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में राज्य-वार 1969 से अब तक वर्ष वार हरिजनों के कल्याण के लिए कितनी धनराशि रखी गई ; और

(ख) अधिकांश राज्यों में कल्याण योजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 1969 से हरिजनों के कल्याण के लिए वर्षवार और राज्यवार आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) इन वर्षों के दौरान खर्च आवंटनों से बढ़ गया है ।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चतुर्थ योजना के पहले चार वर्षों में विभिन्न राज्यों में हरिजनों के कल्याण के लिए धन का आवंटन दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(रुपये लाख की राशियों में)

राज्य का नाम / क्रम संख्या	किया गया आवंटन 1969-70	1970-71	1971-72	1972-73
1 आंध्र प्रदेश	16.75	26.85	60.55	93.83
2. असम	25.50	31.64	32.99	36.75
3. बिहार	36.25	39.49	58.15	73.50
4. गुजरात	22.25	43.84	82.33	111.25
5. हरियाणा	22.50	34.41	73.05	87.15
6. हिमाचल प्रदेश	2.95	7.47	12.32	26.11
7. जम्मू और काश्मीर	1.25	6.55	8.43	12.30
8. केरल	19.00	21.60	36.02	50.56
9. मध्य प्रदेश	39.25	68.59	108.50	165.30
10. महाराष्ट्र	45.00	57.80	92.08	116.30
11. मनीपुर	उपलब्ध नहीं	1.20	1.80	3.20
12. मेघालय	—	—	0.01	0.27
13. मैसूर	40 06	50.07	81.96	113.21
14. नागालैंड		कोई अनुसूचित जाति नहीं		
15. उड़ीसा	11.93	20.00	25.00	37.05
16. पंजाब	30.00	34.96	51.50	64.45
17. राजस्थान	113.88	54.08	61.75	58.68
18. तमिलनाडु	86.20	145.16	200.00	225.16
19. त्रिपुरा	0.20	2.98	4.55	8.30
20. उत्तर प्रदेश	62.19	87.00	171.45	261.85
21. पश्चिम बंगाल	51.60	64.05	61.64	69.54
जोड़	626 76	797.74	1224.10	1614.76

केरल को गेहूं और चावल की सप्लाई

4798. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के लिए गेहूं और चावल के भंडार की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह चावल और गेहूं की तत्काल सप्लाई करे ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केरल को खाद्यान्न भेजने में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। केरल में अधिप्राप्ति और रेल तथा समुद्र मार्ग से केन्द्रीय स्टाक भेज कर खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

केरल में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की प्रगति

4799. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष में केरल राज्य में जिलावार ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : वर्ष 1971-72 में केरल राज्य में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत जिलावार जो व्यय किया गया है तथा जो रोजगार पैदा हुआ है, वह निम्न प्रकार है :—

जिला	किया गया व्यय 000 रुपये	पैदा किया गया रोजगार 000 श्रमदिन
1	2	3
1. त्रिवेन्द्रम	1935.55	472.88
2. क्विलोन	1957.30	441.81
3. एलैप्पी	2055.92	462.51
4. कोट्टायम	1524.13	423.89
5. एर्नाकुलम	1842.85	451.32
6. त्रिचूर	1480.13	343.91
7. पालघाट	1609.24	376.53
8. मलाप्पुरम्	1837.20	400.00
9. कोजिकांड	1786.86	333.11
10. कैनन्नूर	1636.12	398.05
योग	17665.30+	4104.01

+इसमें कर्मचारियों पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।

केरल में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सरकार का कार्यक्रम

4800. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई सुनियोजित कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और चालू वर्ष में इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना के दौरान केरल में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शुरू की गई परियोजनाओं तथा चालू वर्ष में उनमें से प्रत्येक के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

योजनाओं का नाम	1972-73 **के लिए परिव्यय** (रुपये लाख की राशियों में)
1. छात्रवृत्तियां तथा वजीफे	0.40
2. आवासीय स्कूल खोलना	3.00
3. बोर्डिंग अनुदान	0.10
4. कल्याण होस्टल	0.80
5 छोटे-छोटे स्थानों पर रहने वाले आदिवासियों का कल्याण	3.00
6. कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए अनुदान	0.40
7. अत्यन्त पिछड़े आदिवासियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण	0.25
8. जल प्रदाय (कुएं)	1.00
9. आयुर्वेदिक औषधालय	0.38
10. दाई का प्रशिक्षण	0.36
11. उपनिवेशीकरण	2.00
12. मकानों का निर्माण	1.50
13. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	1.80
14. लड़कियों के छात्रावास	0.50
15. आदिम जाति विकास खण्ड	2.00
16. सहकारिता	0.75
17. अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.60
जोड़	18.84

केरल में विदेशों से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थायें

4801. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कुछ ऐसी शैक्षिक संस्थाएं हैं जिनको विदेशों से वित्तीय सहायता लेने की अनुमति है और यदि हां, तो वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) 1970-71 के दौरान शैक्षिक संस्थाओं को पृथक-पृथक कितनी विदेशी सहायता मिली है; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई सरकारी शिकायत है कि इस प्रकार ली जाने वाली सहायता का उसी प्रयोजन हेतु प्रयोग हो जिस प्रयोजन हेतु यह ली गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) केरल में कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। इस समय ऐसे कोई नियम नहीं हैं, जिनसे उन्हें इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित हो। केरल में शिक्षा तथा अन्य अक्षयपूर्त संस्थाओं को उपलब्ध 10,000 रुपये के बराबर तथा इससे अधिक विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों का हवाला संलग्न विवरण में दिया हुआ है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4068/72]। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे उद्देश्य के लिए 10,000 रुपये से कम दी गई विदेशी मुद्रा में भेजी गई धनराशि के आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखता है।

सरकार के पास औपचारिक रूप से शिक्षा संहिता में प्रदान की गई धन राशि के अतिरिक्त इस प्रकार की अलग धनराशि को समुचित रूप से उपयोग करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है।

Soil Conservation Scheme During Fifth Plan

4802. **Dr. Gobind Das Richharia** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring land capable of conservation under the soil conservation scheme to save it from erosion during the Fifth Five Year Plan ; and

(b) if so, the State-wise targets fixed in regard to the acreage of land proposed to be brought under the Scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) An area of about 10.00 million hectares is proposed to be treated with various soil conservation measures during the Fifth Five Year Plan.

(b) State-wise targets have not yet been finalised.

बिहार में पाँचवीं योजना के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम

4803. **श्री शंकरदयाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में परिवार नियोजन के मुख्य कार्यक्रम क्या हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार चालू वर्ष में बिहार में परिवार नियोजन अभियान में हुई प्रगति से संतुष्ट है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्मक्रम का प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम के साथ विलय करने, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा सेवाओं और सप्लाई का विस्तार करने और उनमें सुधार करने का प्रस्ताव है ताकि इस कार्यक्रम को अपनाने वालों की संख्या में वृद्धि हो ।

बिहार के लिए इस कार्यक्रम का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अभियान की प्रगति अब तक संतोषजनक है । तथापि बिहार अब तक उन राज्यों में माना जाता रहा है, जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति धीमी रही है ।

दिल्ली स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान

4804. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों के प्रयोगशाला सहायकों द्वारा अक्तूबर, 1972 में अपने वेतनमानों को प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के समान लाने के लिए मंत्री महोदय को दिए गए अभ्यावेदनों पर कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है ।

शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए धन

4805. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972-73 में शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु तथा

प्राथमिक शिक्षा हेतु राज्यों के लिए कुछ राशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार कितना नियतन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कराने, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, न्यूनतम संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्य-पुस्तकों तथा लेखन सामग्री के निशुल्क संवितरण के हेतु, अपराह्न भोजन, कक्षाओं के निर्माण और कार्य-अनुभव कार्यक्रमों को चालू करने की योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष के कार्यक्रमों के सिलसिले में 1972-73 वर्ष में राज्यों/संघ-शासित प्रदेशों को उपलब्ध की जाने वाली संभावित सहायता की राशि—

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि (हजारों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,400
2.	असम	6,000
3.	बिहार	28,000
4.	गुजरात	3,000
5.	हरियाणा	1,000
6.	हिमाचल प्रदेश	540
7.	जम्मू व काश्मीर	180
8.	केरल	5,760
9.	मध्य प्रदेश	21,600
10.	महाराष्ट्र	680
11.	मनीपुर	120
12.	मेघालय	1,200
13.	मैसूर	4,500
14.	नागालैंड	120
15.	उड़ीसा	9,000

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राशि (हजारों में)
16.	पंजाब	1,800
17.	राजस्थान	15,600
18.	तमिलनाडु	5,400
19.	त्रिपुरा	420
20.	उत्तर प्रदेश	36,600
21.	पश्चिम बंगाल	24,000
22.	अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	120
23.	अरुणाचल प्रदेश	240
24.	चंडीगढ़	120
25.	दादरा और नागर हवेली	120
26.	दिल्ली	2,460
27.	गोवा, दमन और दीव	60
28.	लकादीव	120
29.	मिजोराम	120
30.	पांडिचेरी	120
	कुल जोड़	18,00,00

खरीफ फसल की कमी को पूरा करने और उसके उपयोग के लिये राज्यों को मंजूर की गई अतिरिक्त राशि

4806. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खरीफ फसल की कमी को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी अतिरिक्त राशि मंजूर की है;

(ख) प्रत्येक राज्य की कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या सरकार इस राशि के उपयोग किये जाने के मामले में निगरानी कर रही है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों का कुल कितना अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) इस वर्ष असामयिक वर्षा के कारण खरीफ के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अब तक लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए कुल 147.29 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि राज्यों को वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना के परिव्यय में पहले से निर्धारित राशि के अतिरिक्त है। राज्य सरकारों को 147.29 करोड़ रुपये में से 57.07 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों आदि जैसे आदानों के क्रय तथा वितरण के लिए राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋणों के रूप में कुल 80.60 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत/दिये गये ऋणों का प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। (**अनुबन्ध-1**)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4069/72]

(क) जी हां। भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई साप्ताहिक प्रगति रिपार्टों तथा मन्त्रालय के क्षेत्र अधिकारियों की रिपोर्टों के माध्यम से स्वीकृत धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखती है।

(ख) इस वर्ष खरीफ के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों ने जो आपात उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं उनका उद्देश्य रबी/ग्रीष्म मौसम के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 150 लाख मीटरी टन तक बढ़ाना है। 150 लाख मीटरी टन का राज्यवार ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है (**अनुबन्ध-11**) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4069/72]। वास्तविक अतिरिक्त उत्पादन मौसम, उर्वरक, आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धि सहित कई बातों पर निर्भर करेगा।

राज्यों को ट्रैक्टर आवंटित करने का मापदंड

4807. **श्री के० मालन्ना**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों को आयातित ट्रैक्टर आवंटित करने के लिए सरकार ने क्या मापदंड अपनाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : विभिन्न राज्यों को आयातित ट्रैक्टरों का आवंटन उनकी आवश्यकताओं/मांग के आधार पर किया जाता है।

मिथिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता

4808. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया स्थापित मिथिला विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षिक वर्ष के शुरू से बिहार के दरभंगा में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय को सहायता देने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मिथिला विश्वविद्यालय को सहायता देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) बिहार सरकार ने, मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 11 मई, 1972 को एक अध्यादेश जारी किया और 5 अगस्त, 1972 से इसको लागू किया ।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन सहायता देने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा

4809. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और निर्धन वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित कराने के विचार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) अधिकतर राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा निःशुल्क है । विभिन्न स्तर पर अन्य सुविधाएं जैसे छात्रवृत्ति की मंजूरी, दोपहर का भोजन, किताबों के लिए सहायता, फीस की माफी आदि भी दी जाती हैं । पांचवीं योजना में इन शैक्षिक योजनाओं को जारी रखने का विचार है ।

बिहार के गन्ना उत्पादकों का प्रतिनिधि-मंडल

4810. **भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों की सप्लाई किये जाने वाले गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए बिहार गन्ना उत्पादक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों की रूपरेखा क्या है; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एसोसिएशन यह चाहती थी कि राज्य की चीनी मिलों को कहा जाए कि वे उनको सप्लाई किए गन्न का भुगतान 12 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करें ।

(ग) बिहार के मुख्य मंत्री ने इस मामले में पहले ही हस्तक्षेप कर दिया है ।

श्यामलाल धर्मार्थ न्यास (दिल्ली) द्वारा ठेकेदार को दिया गया अधिक भुगतान

4811. **श्री मधुकर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्यामलाल धर्मार्थ न्यास (दिल्ली) द्वारा उस ठेकेदार को, जिसने कालेज की इमारत बनाई थी, अधिक भुगतान किया गया; यदि हां, तो वह राशि कितनी है; और

(ख) अधिक राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) फरवरी-मार्च 1969 में महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व द्वारा की गई विशेष लेखा परीक्षा के अनुसार कालेज भवन और विज्ञान ब्लाक के निर्माण के लिए श्यामलाल धर्मार्थ न्यास द्वारा ठेकेदार को मार्च, 1968 तक 2,46,606 रुपए अधिक भुगतान किए गए थे।

(ख) ठेकेदार ने न्यास को पहले ही 1,50,000 रुपये वापस कर दिए हैं। तकनीकी लेखा परीक्षा में दिखाई गई कुछ असंगतियों का निर्णय होने पर शेष अधिक भुगतान यथासमय समायोजित किया जाएगा।

अध्यापक संघ दिल्ली की मांगें

4812. **श्री मधुकर :**
श्री नरेन्द्रसिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक संघ दिल्ली का एक प्रतिनिधि मण्डल 21 नवम्बर, 1972 को उनसे मिला था और उनको एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली स्कूल अध्यापक संघ का प्रतिनिधि मंडल दिनांक 21 नवम्बर, के ज्ञापन में निहित मांगों की चर्चा करने के लिए शिक्षा मन्त्री से 8-12-1972 को मिला था। उक्त ज्ञापन पहले ही पेश किया जा चुका था।

(ख) से (घ) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4070/72**]

Intensive Cotton Cultivation Programme in M. P.

4813. **Shri G. C. Dixit :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the proposals for two units in regard to the intensive cotton cultivation

programme in the Districts of Khandwa and Khargaon of Madhya Pradesh have been received; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) Under the Scheme for Intensive Cotton District Programme a unit of 20,000 hectares under rainfed cotton was sanction in 1971-72 for Khargaon District of Madhya Pradesh. State Government this year forwarded proposals for continuing scheme in Khargaon District as well as sanction of another unit in Khandawa District. The continuation of scheme in Khargaon District during 1972-73 has been sanctioned. As Khandawa District is not covered under the model scheme, sanction for the same could not be issued.

Setting up of Department of Business and Industrial Management in Engineering College of Madhya Pradesh

4814. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a special Department of Business and Industrial Management in one of the Engineering Colleges in Madhya Pradesh; and

(b) if so, when ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) No such proposal is under consideration. A Department of Business Administration has already been set up under the Indore University.

(b) Does not arise.

पन्ना और सतना जिले के संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

4815. **श्री नरेन्द्रसिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1970-71 और 1971-72 में मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिलों के कितने संगठनों और व्यक्तियों को सरकार तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) उक्त जिले के संगठनों को वित्तीय वर्ष 1972-73 में लगभग कितनी सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी०यादव) (क) तथा (ख)

I. समाज कल्याण विभाग

वर्ष 1970-71और 1971-72 में मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना जिलों में निम्नलिखित

संगठनों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी :—

संगठन का नाम	दी गई धन-राशि		कारण
	1970-71	1971-72	
	(रुपयों में)		
परिवार तथा बाल कल्याण परियोजना, अजयगढ़ ब्लाक, पन्ना जिला।	36,000	46,000	परिवार तथा बाल कल्याण
		—	
ललिता शास्त्री महिला मंडल, यूचेहर, सतना।		1,000	बालवाड़ी

वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान, पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लाक में परिवार तथा बाल कल्याण परियोजना को लगभग 46,000 रुपये देने का प्रस्ताव है। राज्य बोर्ड ने ललिता शास्त्री महिला मंडल, यूचेहर सतना को 1500/- रुपये का एक अनुदान देने का सुझाव दिया है।

पिछड़े वर्गों के कल्याण से सम्बन्धित केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के अधीन अनुदान राज्य सरकार को दिये जाते हैं। जिलावार बटवारा उपलब्ध नहीं है।

II शिक्षा विभाग

पन्ना और सतना जिलों में स्थित कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 51,485.62 रुपये और 84,715.11 रुपये के दिये गये अनुदान निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	संस्था का नाम	1970-71	1971-72
1.	दहया भाई चुन्डेसमा विधि कालेज, पन्ना	2,500.00	—
2.	छत्रशाल कालेज, पन्ना	17,249.70	1,250.00
3.	आर्टस कालेज, अमरपटन	8,375.00	8,075.00
4.	विधि कालेज, सतना	3,750.00	8,375.00
5.	वाणिज्य महाविद्यालय, सतना	12,125.00	5,125.00
6.	गवर्नमेंट कालेज, सतना	110.92	60,015.11
7.	कमला नेहरू कन्या डिग्री कालेज, सतना।	7,375.00	1,875.11
		जोड़ 51,485.62	84,715.11

(ii) 1971-72 के दौरान सतना में अभ्यानन्द संस्कृत विद्यालय को केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा 2,500.00 रुपये का एक अनुदान दिया गया है।

(iii) जहां तक 1972-73 के अनुदान का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए यह बताना कठिन होगा कि इस स्तर पर अनुदान की कितनी धनराशि कालेजों को दी जाये क्योंकि यह व्यय की प्रगति पर निर्भर होता है। जहां तक अभ्यानन्द संस्कृत विद्यालय का संबंध है,

पहले अनुदानों के उपयोग की जांच करने पर ही 1972-73 के दौरान 1971-72 के समान ही एक धन-राशि स्वीकृत की जायेगी ।

जनजाति अनुसन्धान केन्द्र का कालीकट से वाइनाड मत्तनथोडी में स्थानांतरित किया जाना

4816. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जनजाति अनुसंधान केंद्र को कालीकट से वाइनाड के मत्तनथोडी में स्थानांतरित किये जाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव, : (क) तथा (ख) जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

कृषि विमानन के लिए विमान चालकों की अर्हताओं में परिवर्तन

4817. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को बेरोजगार विमान चालकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि कृषि विमानन में विमान चालकों के लिए निर्धारित वर्तमान अर्हताओं में परिवर्तन किया जाये;

(ख) कृषि विमान चालकों के लिए निर्धारित वर्तमान अर्हताएँ क्या हैं; और

(ग) बेरोजगार विमान चालकों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार को भेजे गये एक ज्ञापन में बेरोजगार वाणिज्यिक विमान-चालक संघ ने लिखा है कि वाणिज्यिक विमान चालकों की बेरोजगारी का एक कारण यह है कि कृषि-विमानन क्षेत्र में चालक के लिए कम-से-कम 500 घण्टे की कमाण्ड उड़ान का अनुभव निर्धारित किया गया है । सिविल विमानन के महानिदेशक द्वारा स्वीकृत वाणिज्यिक चालक लाइसेंस या वाणिज्यिक हेलीकाप्टर-चालक का लाइसेंस रखने वाला कोई भी चालक कृषि-विमानन उद्योग में काम कर सकता है । 'फिकस्ड विंग' विमान के वाणिज्यिक चालक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 250 घण्टे की उड़ान का अनुभव होना आवश्यक है, और हेलीकाप्टर के मामले में 'फिकस्ड विंग' विमान की उड़ान के अनुभव के अतिरिक्त हेलीकाप्टर पर 100 घण्टे का परिवर्तन पाठ्यक्रम आवश्यक है । यदि किसी चालक को 'फिकस्ड विंग' विमान पर 500 घण्टे की उड़ान का अनुभव हो तो उसके लिए 300 घण्टे का परिवर्तन पाठ्यक्रम आवश्यक है । कृषि विमान चालक की एकमात्र अर्हता यह है कि उसके पास वाणिज्यिक चालक का लाइसेंस अवश्य होना है । फिर भी, वाणिज्यिक चालक लाइसेंसधारियों को

रोजगार के अवसर प्रदान करने और उन्हें कृषि-विमान चालकों का कार्य सिखाने के लिए 'फिकस्ड विंग' विमान और हेलीकाप्टर पर वाणिज्यिक लाइसेंस धारियों को बृहत परिवर्तन प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

पी० एल०-480 निधि के अन्तर्गत प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकें

4818. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में पी० एल०-480 के अन्तर्गत प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना, संयुक्त भारतीय-अमरीकी कार्यक्रम के तत्वावधान में, भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अमरीकी विश्वविद्यालय तथा कालेज स्तर की पाठ्य-पुस्तकों के भारतीय पुनर्मुद्रण की 1972 की पुस्तक-सूची में दी गई है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले ही उपलब्ध हैं।

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वाइनाड ब्लाक का सम्मिलित किया जाना

4819. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में वाइनाड ब्लाक को सम्मिलित किए जाने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए खण्डों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केरल की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि केरल में वाइनाड नाम का कोई खण्ड नहीं है। तथापि, वाइनाड क्षेत्र के तीन सामुदायिक विकास खण्डों को व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम का विस्तार सोपानवार ढंग से किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियां देने पर व्यय की गई राशि

4820. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा नवम्बर, 1972 के अन्त तक वर्ष 1972-73 में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ देने पर कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) उक्त प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्रों को कुल राशियों से अनुरक्षण शुल्क के रूप में कितनी राशि दी गई तथा ट्यूशन फीस शिक्षा संस्थानों के परीक्षा और अन्य शुल्कों के रूप में कितनी राशि काटी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जानकारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) छात्रवृत्ति की धनराशि में निर्वाह खर्च, वापस न की जाने वाली सारी अनिवार्य फीस और अध्ययन पर्यटनों तथा थिसिस की टाइपिंग/प्रिंटिंग पर अनुमोदित खर्च सम्मिलित है । ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस, निर्वाह खर्च आदि के सम्बन्ध में धन-राशि का अलग बंटवारा उपलब्ध नहीं है ।

Organisation in Gajno (Bikaner) Panchayat Area Under Social Welfare Board

4821. **Shri Panna Lal Barupal :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether there is any organisation in the Gajno (Bikaner) Panchayat Samiti area under the Social Welfare Board and if so, the number of Gram Sevikas and other employees working therein ;

(b) the number of Centres functioning in that area and their location ?

(c) the number of women who were given education and provided vocational training ; and

(d) the total expenditure incurred on this organisation so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Kolayat Welfare Extension Project (C. D.) is functioning from October, 1959, with its headquarters at Gajner. The following staff is employed by the project :

Mukhyasevika	...	1
Gramsevikas	...	6
Other field staff	...	5
Office staff	...	4

(b) Six Centres are functioning at the following places :

(i) Gajner	(ii) Jhajgu	(iii) Bajaju
(iv) Diytara	(v) Kolasar	(vi) Gadialia

(c)

Training in crafts	...	101 women
Social Education	...	90 women

(d) Rs. 3,79,080,35 (up to 30th September '72).

बिहार में बिना वेतन के कार्य कर रहे डाक्टर

4822. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में लगभग 1200 डाक्टर बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं और लगभग 200 ब्लाक अस्पतालों में गत आठ वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के वर्ष-वार अनुदान का पूरा उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गन्दी बस्ती सफाई के लिए केन्द्रीय सहायता

4823. **श्री वी० के० दासचौधरी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में गन्दी बस्तियों की सफाई के बारे में राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में क्या विस्तृत प्रगति हुई है और उक्त अवधि में कितने धन का उपयोग किया गया ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना चौथी पंचवर्षीय योजना के राज्य क्षेत्र की एक योजना है । केन्द्रीय सरकार योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता सीधे तौर पर नहीं देती । तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को राज्य की प्लान की समस्त योजनाओं के लिए इकट्ठे दिए गए खण्ड ऋणों तथा खण्ड अनुदानों में से राज्य सरकार को इस योजना के लिए निधियों का उपयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है । राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के लिए 1969-70, 1970-71, 1971-72 वर्षों के दौरान खर्च किया गया व्यय (प्रत्याशित) क्रमश: 192.15 लाख रुपये, 335.32 लाख रुपये तथा 624.05 लाख रुपये था ।

गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार की केन्द्रीय योजना नाम की एक नई योजना अप्रैल, 1972 में आरम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत उन गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए शत-प्रतिशत अनुदान सहायता दी जा रही है जिनका कम से कम दस वर्षों के लिए सुधार नहीं किया जाना है । कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर, कानपुर, पूना,

नागपुर तथा लखनऊ के नगरों में गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार के लिए इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है जिसमें 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना है। तथा 1011.07 लाख रुपये की परियोजनाएं अभी तक स्वीकृत की गई हैं। इस योजना को जयपुर, इन्दौर, पटना, कोचीन, श्रीनगर, लुधियाना, कटक, गोहाटी तथा रोहतक के नगरों में लागू करने का भी निर्णय किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में करनूल जिले की वेधमचेरला गुफाओं में पुरातत्त्वावशेष

4824. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में करनूल जिले की वेधमचेरला गुफाओं में हाल ही में अत्यधिक पुरातत्त्वीय महत्त्व के पाषाणयुगीन औजार पाये गए हैं;

(ख) क्या अन्वेषण कार्य आगे चलाया जा रहा है; और

(ग) क्या पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इन अवशेषों का कोई महत्त्व है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) करनूल जिले की वेधमचेरला गुफाओं में दक्कन कालेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पूना द्वारा करवाए गए खुदाई-कार्य के दौरान हड्डी और पाषाण के कुछ औज़ार पाये गए थे जो भूतपूर्व प्लीस्टोसीन प्राणिजात से सम्बन्धित हैं।

(ख) जी, हां। इस कार्य को और तीन-चार वर्षों के लिए जारी रखने का विचार है।

(ग) करनूल क्षेत्र के जीवविशेष प्रचुर गुफा स्थलों में प्लीस्टोसीन मनुष्य के अस्थिपंजर अवशेषों के प्राप्त होने की सम्भावना है जो भारत में अभी तक नहीं मिले हैं।

आन्ध्र प्रदेश में बीज फार्म

4825. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य फार्म निगम ने एक बीज फार्म आरम्भ करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में भूमि का अधिग्रहण कर लिया है; और

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) ज्ञात हुआ है कि अध्यक्ष, भारतीय राज्य फार्म निगम ने आन्ध्र प्रदेश में भूमि अधिग्रहीत कर ली है। किन्तु केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रायालासीमा, आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुतगति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना

4826. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के रायालासीमा जिले के लिए 1972-73

में ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विशिष्ट योजनाएं केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, यो योजना की जिलेवार अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम को किस एजेन्सी द्वारा क्रियान्वित कराया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 में आन्ध्र प्रदेश के रायालासीमा के जिलों में जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है उनकी अनुमानित लागत दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ग) प्रत्येक जिले का कलक्टर ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्यान्वयन का सर्वकार्यभारी है । जिलों के अनेक विभागाध्यक्ष निर्माण कार्यों के संतोषजनक निष्पादन और कलक्टर तथा जिला परिषद् को हर महीने प्रगति सूचित करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

वर्ष 1972-73 में आन्ध्र प्रदेश के रायालासीमा के जिलों में जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है उनकी अनुमानित लागत दर्शाने वाला विवरण ।

जिला	योजनाओं का स्वरूप	योजनाओं की लागत
		(लाख रु० में)
अनन्तपुर :		
	1. सड़कें	21.50
	2. प्रारम्भिक स्कूल भवन	2.90
	योग	24.40
चित्तूर :		
	1. लघु सिंचाई	0.35
	2. कृषि उत्पादन	1.70
	3. स्कूल के कमरों का निर्माण	2.28
	योग	4.33
कड़प्पा :		
	1. कक्षा के कमरों का निर्माण	1.33
	2. लघु सिंचाई	1.85
	3. सड़कें	2.00
	योग	5.18

जिला	योजनाओं का स्वरूप	योजनाओं की लागत (लाख रु० में)
करनूल :		
	1. लघु सिंचाई	0.95
	2. जल संरक्षण	0.10
	3. बाढ़ बैंक निर्माण कार्य	0.60
	4. कुएं	0.18
	5. सड़कें	27.98
	योग	29.81 +

+1971-72 के बकाया निर्माण कार्यों को मिलाकर ।

आन्ध्र प्रदेश में रायालासीमा में दुग्ध चूर्ण कारखाने की स्थापना के लिए अनुमान

4827. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कुछ सदस्यों ने आन्ध्र प्रदेश के रायालासीमा जिले में एक दुग्ध चूर्ण कारखाने की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में उस क्षेत्र का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या अनुमान है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से रायालासीमा क्षेत्र के जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र में एक दुग्ध चूर्ण कारखाना स्थापित करने की दृष्टि से दूध की क्षमता और मार्ग का अध्ययन करने का अनुरोध किया था । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के तीन तकनीकी अधिकारियों के एक दल ने रायालासीमा में चार जिलों का सर्वेक्षण किया था । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने राज्य सरकार को इस प्रस्ताव की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । ऐसी स्थिति में इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Grants to Bharat Sewak Samaj and Sadhu Samaj

4828. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) the grants given by his Ministry to the 'Bharat Sewak Samaj' and the 'Sadhu Samaj' during the last three years, separately ;

(b) the amount of the grant demanded by the said Samajs from Government during the financial year 1971-72 ; and

(c) the amount of grants given to them during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Nil.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

संस्थाओं को मान्यता के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम

4829. **श्री अन्नासाहिब गोटखिंडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए विनियम बनाए हैं जो पहली सितम्बर, 1972 से लागू हो गए हैं;

(ख) क्या कालेजों की प्रबन्धक समितियों ने सम्बद्ध विनियम के पैरा (3) के उपबन्धों के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त पैरा (3) के उपबन्धों के कारण प्रबन्ध समितियों और कालेजों के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न होगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार है कि सम्बद्ध निकायों से अपने विचार व्यक्त करने को कहा जाए, स्थिति पर पुनर्विचार किया जाए तथा विनियमों में उचित संशोधन किया जाए ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खण्ड 2 (च) के अधीन बनाए गए विनियमों को परिशोधित कर दिया है । परिशोधित विनियमों को 1 सितम्बर, 1971 से लागू किया गया है ।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय ने पर्याप्त संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं, जिनमें मौजूदा संस्थाओं से सम्बन्धित विनियमों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का संकेत है । आयोग ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति की है ।

भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार

4830. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संस्कृति विभाग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार करने के लिए सरकार का विचार कुछ तबला, सितार, सारंगी और बांसुरी वादकों को विदेश भेजने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सांस्कृतिक क्रिया-कलाप तथा सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों में भेजी जाने वाली प्रदर्शन मण्डलियों में तबला, सितार, सारंगी तथा बांसुरी वादकों को या तो एकल कलाकारों अथवा संगतकारों की हैसियत से शामिल किया जाता है । आशा की जाती है कि यह पद्धति भविष्य में जारी रहेगी । तबला, सितार, सारंगी तथा बांसुरी वादकों सहित देश

के विख्यात संगीतज्ञों को उपयुक्त अवसर दिए जाएंगे ताकि भारत की कलात्मक तसवीर कारगर ढंग से पेश की जा सके ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Consolidation of Agricultural Land

4831. **Dr. Govind Dass Richharia** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government feel that the consolidation of Land is necessary for increasing agricultural production ; and

(b) if so, whether any target date has been fixed by the Government for completing the work of consolidation of land in the various States and the acreage of cultivable land which has since been consolidated to each State ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) Consolidation of holdings would be helpful for increasing agricultural production.

(b) In Utter Pradash it is expected that consolidation will be over by 1979-80. In Punjab the work is expected to be completed by February, 1973. In Haryana the work is nearing completion. Some States have informed that no target date has been fixed for completion of consolidation work. In the Union Territory of Chandigarh the work is complete and of Delhi it is likely to take some more time. The progress of consolidation of holdings as obtains now is given in the statement attached. [**Placed in Library. See No. L. T. 4071/72**]

In view of the importance of consolidation in the 4th Five Year Plan a provision of Rs. 28.76 Crores has been made by the States to consolidate an area of 9.4 lakh hectares.

निम्न आय ग्रुप के व्यक्तियों को आवंटन के लिए पांचवीं योजना में बनाये जाने वाले फ्लैट

4832. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाँचवीं योजना में 250 रुपया प्रतिमास से कम आय वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले कुल कितने मकान बनाए जायेंगे ;

(ख) इस योजना के द्वारा कितने परिवारों को लाभ होगा; और

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है कि दिल्ली में रहने वाले सभी परिवारों को अमुक समय तक दिल्ली में मकान मिल जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आवास के परिव्यय तथा लक्ष्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) दिल्ली के लिए पांचवीं योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले ऐसे किसी लक्ष्य की सूचना देना संभव नहीं है ।

बिहार के पिछड़े हुए जिलों के लिए अस्पताल की व्यवस्था

4833. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी जिलों में एक-एक अस्पताल बनाए जाने पर सरकार विचार कर रही है जिनकी पूरी लागत केन्द्रीय सरकार वहन करेगी; और

(ख) यदि नहीं तो पिछड़े हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना राज्य का विषय है और भारत सरकार अस्पतालों को खोलने अथवा चलाने के लिए राज्यों को साधारणतः कोई अनुदान नहीं देती है। बिहार सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं मिला है जिसका उल्लेख प्रश्न में किया गया है । वैसे, अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार खास-खास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले ग्रामीण अस्पतालों में परिणत करने, उनमें आयुर्विज्ञान, शल्य-चिकित्सा, प्रसूति, स्त्री रोग, संवेदनाहरण में विशेष रूप से प्रशिक्षित डाक्टरों को लगाने और प्रयोगशाला तथा एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध कराने के एक पृथक कार्यक्रम को 1973-74 के बीच शत-प्रतिशत सहायता देकर केन्द्रीय पुरोनिधानित कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है । आशा है कि इस योजना के अन्तर्गत बिहार के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए कुछ जिले आ जाएंगे ।

पांचवीं योजना के दौरान बिहार स्थित शिक्षा संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता

4834. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार के सरकारी तथा गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को कुल कितनी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जायेगी; और

(ख) क्या बिहार में निरक्षरता समाप्त करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार हो रही है। अतः इस स्तर पर बिहार को दी जाने वाली कुल सहायता की मात्रा को बताना संभव नहीं है ।

(ख) निरक्षरता उन्मूलन के लिए सरकार का वर्तमान निर्णय पांचवीं योजना में एक व्यापक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का है । इस कार्यक्रम में बिहार भी शामिल है ।

उचित दर की दुकान में कदाचार

4835. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1972 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित "फेयर प्राइस डिपो होल्डर हैल्ड" (उचित दर की दुकान के मालिक का पकड़ा जाना) समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने दूसरे राज्यों में भी यह पता करने के लिए सर्वेक्षण कराया है कि क्या वहां उचित मूल्यों के मामले में कदाचार व्याप्त है; यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों की कितनी-कितनी दुकानों पर ऐसे मामलों का पता चला है, इसे रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों के सरकारी वितरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। सरकारी वितरण प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे जनसंख्या की गणना शीघ्र शुरू कर ऐसे लोगों का पता लगायें जिन्हें वास्तव में खाद्यान्नों के लिए कार्डों की आवश्यकता है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदारों द्वारा किये जा रहे कदाचार सामान्यत: इस प्रकार के हैं—जाली कार्डों का रखना, ऊंचे मूल्यों पर खाद्यान्न बेचना, लेखों/रिकार्डों में अनियमितताएं, स्टाक की अधिकता या कमी, मूल्य-सूची न रखना, आदि। राज्य सरकारें निरीक्षण और प्रवर्तन स्टाफ द्वारा उचित मूल्य की दुकानों की विस्तृत जांच कर ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर रही हैं।

दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नवीं कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को 'पी० जी० टी०' ग्रेड की मंजूरी

4836. **श्री हरीसिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शिक्षा संहिता में ऐसी व्यवस्था है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं को, बशर्ते कि नवीं कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या बारह हो, पढ़ाने वाले स्नातकोत्तर अध्यापकों को 'पी० जी० टी०' वेतनमान दिए जायें;

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के शैक्षिक सत्रों में इन शर्तों को पूरा करने वाले कितने अध्यापक हैं जिन्हें उचित वेतनमान नहीं दिए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार उन्हें उचित वेतनमान देने पर विचार कर रही है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पी० जी० टी० पदों को केवल ग्यारहवीं कक्षा को पढ़ाने के लिए स्वीकृत किया जाता

है, यद्यपि ऐसे अध्यापक नवीं और दसवीं कक्षाओं को भी पढ़ा सकते हैं। पी० जी० टी० पदों को स्वीकृत करते समय, ग्यारहवीं कक्षा में कम-से-कम बारह छात्रों के होने की शर्त को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को पी० जी० टी० ग्रेड की स्वीकृति

4837. **श्री हरीसिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की 9वीं, 10वीं तथा 11वीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को पी० जी० टी० ग्रेड की स्वीकृति के लिए इस शर्त पर ध्यान दिया जाता है कि ग्यारहवीं कक्षा में कम-से-कम बारह छात्र होने चाहिए।

(ख) 1971-72 के गत शैक्षिक सत्र के दौरान ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त आवश्यकता पूरी करते हुए भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ग्रेड स्वीकृत नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार उन्हें उस क्षेत्र के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ग्रेड देने पर विचार कर रही है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। ग्यारहवीं कक्षा में कम-से-कम बारह छात्रों के होने की शर्त को ध्यान में रखा जाता है और पी० जी० टी० ग्रेड के पदों को केवल ग्यारहवीं कक्षा पढ़ाने के लिए स्वीकृत किया जाता है, यद्यपि ऐसे अध्यापक नवीं और दसवीं कक्षाओं को भी पढ़ा सकते हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गांधी शताब्दी समारोह समिति का अनुसंधान कार्यक्रम

4838. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शताब्दी समारोह की आर्थिक अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने गांधीवादी सिद्धान्तों के अनुसार शोध कार्य प्रवर्तित किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) गांधी शताब्दी समारोह की राष्ट्रीय समिति ने, जो कि 30-4-71 को विघटित कर दी गई थी, इस उद्देश्य के लिए कोई समिति गठित नहीं की।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समाज कल्याण संस्थाओं तथा संगठनों को अनुदान

4839. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाज कल्याण संस्थाओं तथा संगठनों के नाम क्या हैं जिनको 1969, 1970 और 1971 में 20 लाख तथा 50 लाख से अधिक के पूरे अनुदान (राजसहायता/छूट) का भुगतान किया गया था; और

(ख) क्या उक्त राशि का उचित उपयोग किया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) नीचे निर्दिष्ट वर्षों के दौरान 20 लाख रुपये और 50 लाख रुपये से अधिक अनुदान पाने वाले निम्नलिखित संगठन हैं :

संगठन का नाम	वर्ष	धनराशि
1. 20 लाख रुपये से अधिक		
भारतीय बाल कल्याण परिषद	71-72	22, 60, 230.00 रु०
2. 50 लाख रुपये से अधिक	1969-70	2, 49, 17, 301.00 रु०
केन्द्रीय समाज कल्याण	1970-71	3, 00, 88, 480.00 रु०
बोर्ड (कम्पनी)	1971-72	3, 38, 76, 322.00 रु० (बालवाड़ियों के द्वारा स्कूल पूर्व बच्चों के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम के लिए 49,02, 592.00 रुपये सम्मिलित)

अनुदान केवल पहले अनुदानों के उचित उपयोग की जांच के बाद ही दिए जाते हैं । यह जाँच सामान्य रूप से आडिट किए गए लेखा विवरण पत्रों के परिशीलन और कार्य क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण करने पर ही की जाती है ।

बाल संसद में कार्य निष्पादन पर फैसला

4840. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल संसदों में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र की योग्यता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए, कि जज छात्रों के कार्य निष्पादन पर अंक देने के लिए समान कसौटी अपनाएं, यदि कोई प्रक्रिया अपनाई गई है तो वह क्या है; और

(ख) क्या छात्रों के कार्यों पर फैसला होने के लिए दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के बारे में विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों तथा अभिभावकों में कोई असंतोष है; यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक संसद सदस्य अथवा भूतपूर्व संसद्-सदस्य, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन का एक अधिकारी तथा संसदीय कार्य विभाग के एक अधिकारी को मिलाकर तीन जजों की एक समिति बाल संसदों में भाग लेने वाली संस्थाओं और व्यक्तिगत छात्रों के अभिनय का निर्धारण करती है। स्कूलों के कुल मिलाकर अभिनयों का मूल्यांकन, अनुशासन और शिष्टाचार, संसदीय प्रक्रिया का पालन, प्रश्न तथा वाद-विवादों के लिए विषयों का चयन, दिए गए भाषणों की गुणता तथा सम्पूर्ण सामान्य निर्धारण को दृष्टि में रख कर किया जाता है। इन अभिनयों के मूल्यांकन में अपनाई जाने वाली कसौटी का निर्धारण संसदीय कार्य विभाग के एक उप-सचिव, शिक्षा निदेशालय के एक उपनिदेशक तथा एक क्षेत्रीय शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के दो अधिकारी और भाग लेने वाले प्रधान-अध्यापकों की एक उप-समिति द्वारा किया गया था।

(ख) संसदीय कार्य विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली से रिजरोड होकर दिल्ली कैंट तक दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलाना

4841. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से रिज रोड होकर दिल्ली कैंट तक प्राइवेट बसें चल रही हैं तथा दिल्ली परिवहन निगम ने इस मार्ग पर अपनी बस नहीं चलाई हैं; और

(ख) मंत्रालय इन मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने तथा उन पर दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) भूतपूर्व परिवहन उपक्रम ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में निजी परिचालकों द्वारा परिचालित 12 मार्ग, जिनमें एक दिल्ली स्टेशन तथा दिल्ली छावनी बरास्ता रिज रोड का मार्ग भी शामिल है, के अधिग्रहण के लिए, दिसम्बर, 1961 में मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अध्याय 4 ए के अन्तर्गत एक योजना प्रकाशित की। इस योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियां सुनने के पश्चात्, दिल्ली के उपराज्यपाल ने 16 सितम्बर, 1971 को सुनाये गये अपने निर्णय में दिल्ली परिवहन उपक्रम को यह निर्देश दिया कि बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद एक नई योजना तैयार की जाए। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा, नई योजना बनाने एवं इसे यथापेक्षित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आपत्तियों के लिए प्रकाशनार्थ, पग उठाए जा रहे हैं।

मिनी बसों के किराए में कमी करने के लिए कार्यवाही

4842. **श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रही मिनी बसों का किराया दिल्ली परिवहन निगम की बसों से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो मिनी बसों के किराये में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां। संघ राज्य क्षेत्र में दूर की बस्तियों को रेलवे स्टेशन तथा अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से जोड़ने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा समाज के उन वर्गों की, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, और चूंकि वे टैक्सी और स्कूटरों का किराया नहीं दे सकते, इन स्थानों से आने-जाने के लिए परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने हेतु, राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली द्वारा दिल्ली में मिनी बसों का किराया निर्धारित किया गया है। मिनी बसों में कुछ सामान ले जाने की भी व्यवस्था है जो कि दिल्ली परिवहन निगम द्वारा परिचालित स्टैन्डर्ड बसों में नहीं है।

(ख) उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिससे कि राजधानी में मिनी बस सेवा चालू की गई है, इन बसों के किराये में कमी करने का प्रश्न नहीं उठता।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय को दी गई राशि

4843. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय को इसके आरम्भ होने से अब तक कितनी धनराशि दी है;

(ख) राष्ट्रीय आन्दोलन में नेहरू के योगदान संबंधी अनुसंधान कार्यों पर कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) क्या आधुनिक भारत पर अनुसंधान कार्य करने वाले छात्रों को फैलोशिप प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने फैलो नियुक्त किए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के 1 अप्रैल, 1966 से पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित होने से लेकर, भारत सरकार ने उसको अभी तक कुल 1,06,96,636/- रुपये के अनुदान दिए हैं। इसमें, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय के नये भवन के निर्माण के लिए 39 लाख रुपये की राशि भी शामिल है।

(ख) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रीय आन्दोलन अथवा नेहरू सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजनाओं पर खर्चे के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की गई है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय की सभी शाखाओं में सुविधाएं, राष्ट्रीय आन्दोलन सहित जवाहरलाल नेहरू और भारत के अन्य महान राष्ट्रीय नेताओं पर अनुसन्धान के संवर्धन के उन्मुख हैं।

(ग) और (घ) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ने 1969 में आधुनिक भारतीय इतिहास में अनुसन्धान के लिए एक अधिछात्रवृत्ति योजना शुरू की थी जो कि जून, 1972 तक लागू रही। इस अवधि के दौरान संग्रहालय और पुस्तकालय ने केवल एक अधिछात्रवृत्ति दी थी। अपर्याप्त प्रत्युत्तर और किफायत की आवश्यकता के कारण इस योजना को बन्द कर दिया गया।

मद्य निषेध के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र तथा जनसंख्या

4844. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से अब तक देश में प्रत्येक वर्ष कितने-कितने क्षेत्र पर तथा कितनी-कितनी जनसंख्या पर पूर्ण मद्य निषेध लागू किया गया; और

(ख) मद्य निषेध को कार्यरूप देने के लिए वर्ष 1969 से अब तक केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 1969 से पूर्ण मद्य निषेध के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र तथा जनसंख्या नीचे दिए जाते हैं :

वर्ष	क्षेत्र	जनसंख्या
1969-70	24358 वर्ग कि० मी०	754123
1970-71	75635 वर्ग कि० मी०	5406845

(ख) वर्ष 1969 से राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी जाती है :

वर्ष	धनराशि
1670-71	41,20,000
1971-72	39,80,000*

* इसके अतिरिक्त, 60 लाख रुपये (अनुमानतः) की एक धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को अदा करनी है। उनके दावे जांच अधीन हैं ।

जनसंख्या वृद्धि की दर तथा मृत्यु की दर

4845. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है तथा मृत्यु की दर क्या है; और

(ख) वर्ष 1970-71 में यह दर क्या थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) 1971 की जनगणना के अनुसार 1961-71 की शताब्दी के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की रेखागणितीय दर 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। जनगणना अधिकारियों ने 1971 की जनगणना के अनुसार जन्म और मृत्यु की दरों का अभी तक हिसाब नहीं लगाया है। वर्ष 1970 और 1971 के लिए भारत के महापंजीकार की नमूना पंजीयन योजना से अनुमानित स्वाभाविक वृद्धि दर और मृत्यु दर निम्नलिखित प्रकार से है :—

वर्ष	स्वाभाविक वृद्धि दर (प्रतिशत)	प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत्यु दर
1970	2.1	15.9
1971	2.2	15.1

अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता संस्था तथा डा० भगवानदास स्मारक न्यास को दिये गये सहायता अनुदान का दुरुपयोग

4846. **श्री अम्बेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता संस्था तथा डा० भगवानदास स्मारक न्यास के अनुदान के दुरुपयोग के बारे में 8 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5252 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको सभा-पटल पर कब रखा जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियजोन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 4072/72]

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

1971-72 के सीजन के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित करने हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित विपक्षीय बैठक

4847. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 के सीजन के लिए सप्लाई किए गए गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने हेतु चीनी मिलों तथा गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि की तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर एक विपक्षीय बैठक आयोजित की थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस बैठक के फलस्वरूप क्या मूल्य (न्यूनतम) निर्धारित किया गया;

(ख) क्या इसको राज्य में सभी चीनी मिलों द्वारा क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्धारित न्यूनतम मूल्य नहीं दिया है और केन्द्रीय सरकार का दोषी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां। यह मान लिया गया था कि तमिलनाडु 1971-72 में खरीदे गए गन्ने का न्यूनतम मूल्य 85 रुपये प्रति मी० टन के हिसाब से देगा।

(ख) जी हां, उस मिल सहित जिसने हाल ही में कार्यान्वित करना मान लिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक से आगे के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ाने के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया निर्णय

4848. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की दरों को बढ़ाने के प्रश्न को उनके मंत्रालय को सौंप दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अधीन मेधावी छात्रों, अर्थात् जो अपनी अन्तिम परीक्षा में कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, और पूर्णवार्षिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते हैं, के लिए निर्वाह खर्च 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। सरकार अन्य छात्रों के लिए इन छात्रवृत्तियों की दरों में उचित वृद्धि के लिए विचार कर रही है।

डा० विनोद एच० शाह की मृत्यु की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन

4849. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० विनोद एच० शाह की मृत्यु की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिनांक 18-12-72 के तारांकित प्रश्न संख्या 497 के बारे में

RE. STARRED QUESTION NO. 497 DATED 18-12-72

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आपने इस प्रश्न को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को सम्बोधित करने की अनुमति दी है। किन्तु यह मामला गृह मंत्रालय से सम्बन्धित है। ऐसा हो सकता है कि सदस्य ने अपने प्रश्न को शिक्षा मंत्री को सम्बोधित किया हो, किन्तु लोक सभा सचिवालय को सदस्य को सूचित करना चाहिए था कि यह प्रश्न गृहमंत्री को सम्बोधित किया जाये। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हरिजन छात्रों की छात्रावासों में हत्या की गई है। हरिजन लड़कियों से बलात्कार किया गया है। आपको मंत्री महोदय को इस बात के लिए संरक्षण नहीं देना चाहिए कि वे उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रतिवेदन को पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तो अपने ही निष्कर्षों पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रही है। इस मामले की विषयवस्तु को गृह मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। उसे स्वतन्त्र रूप से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व इस सभा में वक्तव्य देना चाहिए। यह मामला बहुत ही गम्भीर है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, there is a Commissioner, who looks after the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Central Government may ask him to submit a report in this regard after inquiring into the whole matter and that report should be placed on the table of the House. We should not depend only on the report of the state. After all, for what purpose this Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is there ? He may be asked to submit his report to the Government after inquiring into the matter fully and this report should be placed before the House.

श्री फ्रेंक एंथनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अल्पसंख्यकों पर बुरा प्रभाव डालने वाले किसी मामले के संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार को निर्देश जारी कर सकें। यह प्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार के अधिकार के अन्तर्गत है। वह इस उत्तरदायित्व से नहीं बच सकती है··· (**व्यवधान**)।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय को हाथरस में हरिजन लड़के के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में अधिक विवरण प्राप्त करके वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : दोनों सदस्यों का, जिन्होंने यह प्रश्न भेजा था, यह विचार था कि इसका सम्बन्ध शिक्षा और समाज कल्याण से है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस प्रश्न को शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को सम्बोधित किया। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान जी, मैं श्री पन्त की इस बात को नहीं मानना चाहता कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी गलती को क्यों नहीं मानते हैं ? चूंकि यह मामला हरिजनों से सम्बन्धित है इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को भेजा जाना था।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा सुझाव है कि हमें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा कि इस प्रश्न के बारे में क्या किया जाये। यदि आपका यह विचार है कि इसका सम्बन्ध गृह मंत्रालय से है·····

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार के पास सूचना एकत्र करने के लिए पर्याप्त साधन हैं ? तुरन्त कार्यवाही करने के अभिप्राय से राज्य सरकार से सूचना तो प्राप्त करनी होगी, किन्तु केन्द्रीय सरकार के पास यदि समय हो, तो वह भी संभवतः इसकी जांच कर सकती है और सभा को सूचना दे सकती है। अन्यथा इस प्रश्न को समाज कल्याण मंत्रालय को सम्बोधित करने का कोई अर्थ नहीं है···(**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना ध्यान सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्यों के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, चाहे वह ठीक हो अथवा गलत।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय को अपनी सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए था कि क्या लोग इस वक्तव्य पर विश्वास करेंगे। इसमें बेसिर-पैर की बातें कही गयी हैं·····(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : न्यायिक जांच की जा रही है। यह एक ऐसा मामला है जो न्यायालय के विचाराधीन है। आपने जो आरोप लगाये हैं, उन पर अधिक जोर मत दें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। उदाहरणार्थ मैं प्रत्येक सूचना की, जो मुझे प्राप्त होती है, जांच-पड़ताल नहीं कर सकता·····(**व्यवधान**)।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : **Hon'ble** Minister has stated in his statements that case has been registered against the four policemen under section 307, whereas for murdering a person, the case should have been registered under section 302 and why it has been done so ? Before taking any person into custody, a thorough search is made. How it happened that he got kerosine oil and later he sprayed it on his body and burnt himself. This is all bogus. We should be given an opportunity to discuss this matter during the current session.

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अब समाप्त हो चुका है। मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। हम अब सभा-पटल पर रखे पत्रों पर विचार करेंगे।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

वनस्पति तेल उत्पाद नियन्त्रण (संशोधन) आदेश

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो आवश्यक

वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 464 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०** 4054/72]

सभा के कार्य के बारे में

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही करने दीजिये। आप हर बार मेरी अनुमति के बिना उठ खड़े होते हैं··· (**व्यवधान**)।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : प्रश्न यह है कि क्या किसी सुझाव के बारे में, जिसे किसी माननीय सदस्य ने सभा के सामने रखने की अनुमति मांगी हो और उसके लिए अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी हो, सरकार द्वारा आपत्ति की जा सकती है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं माननीय मित्रों के मन से इस धारणा को दूर करना चाहता हूं कि हम उन्हें चर्चा करने से रोक रहे हैं। यहां विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। मैं इसे नहीं दोहराऊंगा और सभा को इस बारे में ज्ञात है।

जहां तक इस मामले का संबंध है, श्री ज्योतिर्मय बसु बार-बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के तन्त्र को विशेष पक्षपात दिखाने के लिए उपयोग किया गया है। हमने बार-बार कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है I want to say that this matter is not a matter between a minister and a member. We have to see the relative importance while alloting time. The rules have been prescribed for this also.

पहले नियमों को देखिये··· (**व्यवधान**)।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is a separate matter that the House has no time and there is more business in pending, but it is not fair to say that it is according to rules or not.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मेरे विचार में इस विशेष बात की तुलना में काफी अधिक महत्त्वपूर्ण और प्राथमिकता देने योग्य मामले हैं···

मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैं उनसे सहमत न हूं, किन्तु मैं समझ तो सकता हूं। इन प्रस्तावों के प्रस्तावकों से उन पर चर्चा करने से पूर्व अतिरिक्त सूचना और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, मेरे विचार में यह पूर्व परम्परा बहुत ही खतरनाक है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : हम इतना ही कह सकते हैं कि इस प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है। अतः मैंने बताया है कि अन्य कार्य के लिए पहले ही आपको समय दिया जा चुका है और इसके लिए हमारे पास समय नहीं है · **(व्यवधान)**।

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरे विचार में प्रक्रिया नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, जिसके अनुसार मंत्री सदस्य को सभा में चर्चा करने से पूर्व चर्चा के विवरण और पृष्ठभूमि देने के लिए कह सके।

दूसरी बात यह है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस विशेष नियम के अन्तर्गत अनेक प्रस्तावों की सूचना दी है। यह मंत्री का काम नहीं है कि इनमें से एक प्रस्ताव को चर्चा करने के लिये चुन लें। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। इस बात का निर्णय करने का अधिकार सदस्य को है न कि मंत्री महोदय को कि सभा में किन प्रस्तावों पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मंत्री महोदय ने गलत काम किया है और उनकी भर्त्सना की जानी चाहिये। यदि आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं देते हैं, तो सार्वजनिक रूप से उनकी निन्दा यहां नहीं होगी। उनकी सार्वजनिक रूप से निन्दा की जानी चाहिये और उन्हें बता दिया जाना चाहिये कि उन्हें विरोधी पक्ष को दबाने की इस प्रकार की कार्यवाहियां नहीं करनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल सही नहीं है। 11 नवम्बर को मैंने मारुति लिमिटेड के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव की सूचना दी, क्योंकि हम समाचार पत्रों में गत छः मास से इस प्रकार की सभी बातें पढ़ते चले आ रहे हैं, जो सम्मानजनक नहीं हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस पर चर्चा करने की अनुमति न दी गयी, तो समूचा देश यह महसूस करेगा कि मारुति लिमिटेड में काफी गड़बड़ है और इसी कारण सरकार सभा में चर्चा करने के मार्ग में बाधा डाल रही है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर चर्चा की जानी है। यह मंत्री महोदय का काम है कि वह इसके लिए समय ढूंढ़ें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : So far as the time is concerned, we are prepared to sit on 23rd December also. But we cannot allow the Minister to decide which motion should be brought forward for discussion and which not. This is to be decided by you.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियम 184 और नियम 189 में प्रस्तावों पर चर्चा स्वीकार करने के लिए शर्तें निर्धारित की गयी हैं। नियम 189 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ही निर्णय करेंगे कि क्या कोई प्रस्ताव अथवा इसका कोई भाग स्वीकार्य है अथवा नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आप इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने तो सभी प्रस्तावों को चर्चा करने के लिए स्वीकार कर लिया है। उसके लिए समय निर्धारित करना मंत्री का काम है।

श्री ईरा सेझियान : नियम 190 के अन्तर्गत समय निर्धारित करना अध्यक्ष महोदय का काम है, न कि मंत्री का।

अध्यक्ष महोदय : हम सभी को समय ढूंढ़ना है। परामर्श करने का यह अर्थ नहीं है कि मैं इसे एकतरफा रूप से करूँ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि अध्यक्ष महोदय यह बताकर सुस्पष्ट कर दें कि सरकार ने समय ढूंढ़ना होता है और कि सरकार द्वारा किसी प्रकार के नियंत्रण रखने अथवा रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं है, तो केवल इसी से ही हम सन्तुष्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है कि समय ढूंढ़ना सरकार का काम नहीं। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। उसके लिए आपको समय ढूंढ़ना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह आपका कर्त्तव्य।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैंने इसकी अनुमति दे दी थी। जहां तक माननीय मंत्री का काम है, यह उन्होंने ही करना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं आपसे प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू के बारे में निर्णय देने की मांग कर रहा हूँ, ताकि भविष्य में हमें कोई कठिनाई न हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी पहलू के बारे में कह रहा हूँ। समय निकालना माननीय मन्त्री का काम है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : नियम में दूसरा उपबन्ध यह है कि अध्यक्ष महोदय को सभा के नेता के साथ परामर्श करके इसके लिए समय निकालना होता है। उसे आधा दिन अथवा एक दिन या किसी दिन का कुछ भाग देना होता है। यही संरक्षण हम चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही तो उनसे पूछ रहा हूँ कि वह इसके लिए समय कब ढूंढ़ेंगे। अनेक प्रस्ताव पड़े हुए हैं। मुझे इन्हें माननीय मन्त्री को भेजना पड़ता है, ताकि वह उनके लिए समय निकाल सकें। मुझे बतायें कि वह इन प्रस्तावों के लिए कौन-सा समय निकालते हैं और जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिल जायेगी, तो सभा को सूचित कर दूंगा। मैं केवल एक प्रस्ताव के बारे में ही क्यों कहूँ ? उन्हें सभी प्रस्तावों के लिए समय निकालना चाहिए।

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : हम आपसे एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री प्रस्ताव पर चर्चा से इन्कार कर सकते हैं ?

श्री राजबहादुर : मैंने 15 प्रस्तावों में से सी० आई० ए०, राज्य व्यापार निगम आदि सहित 8 प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय ढूँढा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे निर्णय प्राप्त करना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सचिव राज्य सभा से आया संदेश पढ़ेंगे ।

सचिव : श्रीमान जी, मैंने इन संदेशों के बारे में सूचना देनी है·····

श्री पीलू मोदी : कृपया सचिव को बैठ जाने के लिए कहें । मेरे मन में यह बिलकुल स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या सरकार समय निकालने जा रही है अथवा नहीं । मैं उस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार की ओर से उत्तर देने का प्रयास नहीं कर सकता ।

श्री पीलू मोदी : मुझे आशा है कि आप यह बात समझते हैं कि आप संसदीय प्रक्रिया का कार्य कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री कहते हैं कि वह ठीक कर रहे हैं और माननीय सदस्य कहते हैं कि मंत्री महोदय ठीक नहीं कर रहे हैं ।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे आपकी अनुमति से राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

(एक) "मुझे लोक सभा को यह जानकारी देने का निदेश मिला है कि राज्य सभा ने 14 दिसम्बर, 1972 को अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव पास किया है, जिसमें लोक सभा की इस सिफारिश से, कि राज्य सभा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमति दी गई है । उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं ।

प्रस्ताव
Motion

"कि भारतीय दंड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए, जिसमें 45 सदस्य हों और राज्य सभा से 15 सदस्य अर्थात् :—

(1) शशांक शेखर सान्याल

(2) श्री एम० रत्नास्वामी

(3) श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

(4) श्री राम सहाय

(5) श्री सूरज प्रसाद

(6) श्री नागेश्वर प्रसाद शाही

(7) श्री सैयद हुसैन

(8) श्री आनन्द नारायण मुल्ला

(9) श्री विठल गाडगिल

(10) श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी

(11) श्री सैयद अहमद

(12) श्री एम० श्रीनिवास रेड्डी

(13) श्री वी० वी० स्वामीनाथन

(14) श्री श्यामलाल यादव

(15) श्री रामनिवास मिर्धा

और लोक सभा से 30 सदस्य शामिल हों ।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की समस्त संख्या एक तिहाई हो ।

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करेंगे ।

कि समिति राज्य सभा के शीतकालीन सत्र (1973) के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, और

कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा उपरोक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और संयुक्त समिति में लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 दिसम्बर, 1972 को हुई अपनी बैठक में भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1972, जिसे लोक सभा ने 11 दिसम्बर, 1972 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबन्धों के अनुसार मुझे दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972, जिसे राज्य सभा ने 13 दिसम्बर को हुई अपनी बैठक में पारित किया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

———

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

———

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

57वां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं दिल्ली दुग्ध योजना के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के छठे प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 57वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

———

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

पांचवां प्रतिवेदन

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : मैं अधीनस्थ विधान समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Ambesh (Firozabad) : Mr. Speaker, there is a point of order. You called my name, but after that I was not given any time to speak. If you call any member and he is not given time, what is your ruling in this regard ?

Mr. Speaker : Hon'ble member may wait for some time.

———

दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक
DELHI SCHOOL EDUCATION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और विकास के लिए और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की अधिक अच्छी व्यवस्था और विकास के लिये और उससे सम्बद्ध या अनुषंगी मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

———

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य

श्री मोहम्मद ताहिर (पूर्णिया) : मैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

श्री मोहम्मद ताहिर : मैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

———

राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक
NATIONAL LIBRARY BILL

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रो० एस० नुरुल हसन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रशासन का और उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री डी० पी० यादव : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

———

सीमा-शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण (संशोधन) विधेयक

CUSTOMS, GOLD (CONTROL) AND CENTRAL EXCISES AND SALT (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (नाम परिवर्तन) विधेयक

LACCADIVE, MINICOY AND AMINIDIVI ISLANDS (ALTERATION OF NAME) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं प्रस्ताव करता हूं कि लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लक्षदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मुल्की नियम विधेयक
MULKI RULES BILL

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुल्की नियमों में इस दृष्टि से कतिपय संशोधन करने के लिए कि उनका प्रवर्तन सीमित किया जा सके, कतिपय नियुक्तियों का विधिमान्यकरण करने के लिये और उक्त नियमों को क्रमबद्ध रीति से निरसन करने के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि मुल्की नियमों में इस दृष्टि से कतिपय संशोधन करने के लिये कि उनका प्रवर्तन सीमित किया जा सके, कतिपय नियुक्तियों का विधिमान्यकरण करने के लिये और उक्त नियमों को क्रमबद्ध रीति से निरसन करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस विधेयक का विषयवस्तु संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अन्तर्गत आता है, जिसमें राज्य के किसी एक भाग के बारे में नहीं, अपितु समूचे राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है । उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 मार्च, 1969 के अपने निर्णय में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है । इसके अतिरिक्त यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 35 (क) के अन्तर्गत परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है । यदि अनुच्छेद 16 (3) में कोई परिवर्तन करना हो, तो इसे 35 (क) के माध्यम से किया जा सकता है । विधेयक के मूल पाठ में इस अनुच्छेद के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिये मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की इस संसद की वैधानिक क्षमता को ही चुनौती देता हूं ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं प्रो० मधुदंडवते का समर्थन करता हूं । मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 (क) का अर्थ क्या है । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक इसे न्यायालय से रद्द किये जाने की सम्भावना बनी रहेगी ।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : आपने समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि आन्ध्र क्षेत्र से संबंधित आठ मंत्रियों ने पृथक आन्ध्र प्रदेश की मांग करते हुए त्याग पत्र दे दिया है··· **(व्यवधान)** । मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । आन्ध्र प्रदेश के उप-मुख्य मंत्री श्री वी० वी० सुब्बा रेड्डी ने पृथक राज्य की माँग की है और मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान स्थिति में इस विधेयक से आन्ध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना के लोगों को सहायता मिलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : प्रक्रिया नियमों के नियम 72 के अन्तर्गत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि क्या इस सभा को इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की वैधानिक क्षमता प्राप्त है ।

प्रो० दण्डवते ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप महान्यायवादी को यहां बुलायें और वह अपने विचार इस बारे में बतायें कि क्या सरकार को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की क्षमता प्राप्त है। तब संसद को ज्ञात होगा कि क्या इसे पुरःस्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री बी० एन० रेड्डी (निरथालगूडा) : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मंत्री महोदय को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति न दें, क्योंकि इसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश की नींव और एकता को ही आघात पहुंचाया गया है, विशेषकर कि इस समय जबकि वहां क्षेत्रीय दावे किये जा रहे हैं और उत्तेजना फैली हुई है।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : मैं प्रार्थना करता हूं कि पृथक तेलंगाना राज्य की स्थापना करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि आन्ध्र प्रदेश के विभाजन की द्विपक्षीय मांग की जा रही है। कल आंध्र क्षेत्र के विजयवाड़ा डिविजन के संसद सदस्यों ने एक संकल्प पास किया है और एक तार भेजी है, जिसमें एक पृथक राज्य की मांग की गई है। अतः मैं प्रधान मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह एक पृथक तेलंगाना राज्य बनाने के बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : यह सरकार का एक बहुत ही विवेकहीन कार्य है कि उसने इस चरण पर इस रूप में इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है। इस विधेयक में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया पंचाट शामिल किया गया है और इससे और भी क्षेत्रीयवाद फैलने में सहायता मिलती है। जो इस राज्य की एकता में रुचि रखते हैं उन्हें इस विधेयक के जरिये इस मामले को इस अवस्था में ले जाने नहीं देना चाहिये, जबकि सम्पूर्ण राज्य का विभाजन हो रहा है। क्षेत्रीयवाद के विकास के पीछे मुख्य कारण आर्थिक हैं। बेरोजगारी अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है और पिछड़े क्षेत्रों का विकास पर्याप्त रूप से नहीं किया जा रहा है। यदि पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने और सभी के लिए नौकरियों की व्यवस्था करने के प्रयास किये जाने हैं, तो उसमें सरकार की समूची नीति में मूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। अन्यथा अस्थायी उपाय करने से समस्या का समाधान नहीं होगा और न ही इससे आन्ध्र के एकीकरण में सहायता ही मिलेगी। यही कारण है कि मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं।

श्री जी० विश्वनाथन (वाण्डीवाश) : 1969 में उच्चतम न्यायालय ने 1957 के लोक नियोजन (आवासीय सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम को रद्द कर दिया और इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह एक ही राज्य में नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। यदि हम इस विधेयक को पारित कर देते हैं, तो इसे भी उच्चतम न्यायालय रद्द कर देगा।

तेलंगाना क्षेत्रीय समिति ने इस संबंध में एक संकल्प पारित किया है कि इन सुझावों के कार्यान्वित करने के लिये एक नये संसदीय विधान की आवश्यकता नहीं है। मुल्की नियमों को सरकारी आदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री द्वारा घोषित पांच सूत्रीय फार्मूला आन्ध्र और तेलंगाना दोनों को स्वीकार्य नहीं है। विशेषकर आन्ध्र क्षेत्र के लोगों ने इसका अधिक विरोध किया है। कल मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया है। इसका अर्थ यह है कि दोनों ओर के लोगों ने इस फार्मूले को स्वीकार नहीं किया है।

अतः, जिस अनुचित ढंग से जल्दी करके इस सभा में पेश करने का प्रयास किया गया है, हम उसकी निन्दा करते हैं। केन्द्र को दोनों क्षेत्रों को मनाना होगा। अन्यथा, इस विधेयक से आन्ध्र राज्य में उत्तेजना फैलेगी। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मामले पर विचार करने के लिये कुछ समय लेना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं इस विधेयक के उपबन्धों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसे पुरःस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, वह संविधान के अनुच्छेद 35 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत आ जाता है। हम इस विधान का समर्थन नहीं कर सकते, जो न्यायिक जांच के परीक्षण का सामना नहीं कर सकता। इस विधेयक के खण्ड 3 (3) में कुछ नियुक्तियों को, जो मुल्की नियमों का ध्यान न करते हुए की गयी हैं, विधिमान्य करने के लिए उपबन्ध किया गया है। खण्ड 4 भी कुछ नियुक्तियों को, जो मुल्की नियमों का उल्लंघन करके की गई हैं, पहले की तिथि से विधिमान्य करने के सम्बन्ध में है।

अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार मुल्की नियम आज भी लागू हैं और तब तक लागू रहेंगे, जब तक उन्हें उचित रूप से निरसत नहीं कर दिया जाता।

इस अवधि के दौरान जब मुल्की नियम लागू रहे हों, जो संविधान के अनुच्छेद 16 (3) के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत मूलभूत अधिकार समझे जा रहे हों, तो उन नियमों को खण्ड 3(3) के अन्तर्गत पहले की तिथि से लागू करने से कैसे इंकार कर सकते हैं ?

खंड 5 में बताया गया है कि मुल्की नियमों को चरणबद्ध ढंग से रद्द किया जाएगा। इस विधेयक के 5, 6 तथा 7 खण्ड में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से निरसत नहीं किया जा रहा है। अतः जिस अवधि में मुल्की नियम लागू समझे जायेंगे, भूतलक्षी प्रभाव देने के उद्देश्य से उनकी उपेक्षा कैसे की जा सकती है। यदि संवैधानिक अथवा विधि संबंधी बाधायें हों, तो संसद भूतलक्षी प्रभाव से एक विधेयक पारित कर सकती है। एक उचित कानून के द्वारा इन बाधाओं से छुटकारा पाना चाहिए।

बाधाओं को हटाये बिना अर्थात् मुल्की नियमों को बनाये रखकर संसद एक ऐसा विधान बनाना चाह रही है जिसमें मुल्की नियमों की उपेक्षा की गई है तथा वह विधान संविधान के अनुच्छेद 16 (3) तथा 35 के उपबन्धों के विपरीत है।

अनुच्छेद 16(3) के अन्तर्गत संसद को आवास सम्बन्धी आवश्यकता के सम्बन्ध में कानून बनाने की शक्ति प्रदत्त है। अतः अगर आप इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई कानून वनाना चाहते हैं तो इसके अन्तर्गत केवल आवास की आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी। यदि संसद आवास

सम्बन्धी आवश्यकता के बारे में कानून बनायेगी तो अनुच्छेद 16(2) लागू नहीं होगा । यह अनुच्छेद 16(3) के अन्तर्गत नहीं आता । माननीय मन्त्री इस पर विचार करें ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन को लंच के लिए स्थगित कर दीजिए । इस बीच सरकार को इस मामले पर विचार करने का अवसर मिल जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, it is not a simple matter. There will be a long discussion on it.....

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध करने वाले दो सदस्यों के ही नाम हैं : एक आपका और दूसरा श्री पीलू मोदी का ;और कोई नाम नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस पर लम्बी चर्चा करवा सकते हैं क्योंकि सदन की विधि सम्बन्धी शक्तियों को चुनौती दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तीन-चार मिनट के लिए श्री पीलू मोदी को बोलने का समय देता हूं...

श्री पीलू मोदी (सीकर) : आन्ध्र अथवा तेलंगाना में कोई भी व्यक्ति इस विधेयक को नहीं चाहता है । मुझे नहीं पता कि केन्द्रीय सरकार इसे पेश करने के लिए इतनी चिन्तित क्यों है । मुझे आन्ध्र राज्य के लोगों से तार मिले हैं जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री के 5-सूत्रीय फार्मूले को अस्वीकार कर दिया है तथा आन्ध्र को एक अलग राज्य बनाने के लिए कहा है । इस क्षेत्र में जो भीषण संघर्ष जारी है उसके परिणामस्वरूप जो भारी जनमत तैयार किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय इस विधेयक को पेश करने की अनुमति न दें और इसे अधिकारतीत घोषित कर दें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : वस्तुत: यह एक हानिकारक विधेयक है । इसके माध्यम से सरकार वास्तव में समूचे राज्य की बजाय केवल एक राज्य के एक भाग के लिए ही प्रदेशवाद के आन्दोलन को मान्यता दे रही है ।

इस वर्तमान स्थिति के लिए सरकार का ही सारा दोष है । इसने विघटन की कार्यवाही शुरू की और अब यह सारे देश को प्रभावित कर रही है । आन्ध्र प्रदेश निर्माण का विरोध करते हुए मैंने कहा था कि समय आने पर आन्ध्र प्रदेश अपने-आप विभाजित हो जाएगा और यही आज हो रहा है । देश में इसका प्रभाव पड़ने और अधिक रक्तपात होने से पूर्व इन दो राज्यों को शान्ति से अलग हो जाने दिया जाना चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यदि इस सभा का यह निश्चित मत है कि इस विधेयक से आग और अधिक भड़केगी, तो क्या इस सभा को सरकार को यह मंत्रणा नहीं देनी चाहिए

कि वह इस विषय पर विधेयक लाने से पूर्व थोड़ी अधिक राजनीतिक और मानवीय दृष्टि से व्यवस्था करें ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till half past two of the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 33 मिनट म० पू० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty-three minutes past fourteen of the clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chiar]

मुल्की नियम विधेयक—जारी
MULKI RULES BILL—*Contd.*

Shri Atal Bihari Vajpayee : The constitutional competence of the Parliament has been challenged and many members have expressed the apprehension that if this bill would be taken to the court, it is likely to be struck down. It would have been better if Government have sought the advice of Attorney General before introducing this bill in this House. We want to know whether the Attorney General has been consulted in this regard. If he has not been consulted, he should be called in this House for giving his opinion in this regard. In view of the decisions of the High Court of Andhra Pradesh and the Supreme Court, it seems if this is taken to the court, it would be declared invalid. We do not want that this House should pass such a legislation whose validity is in doubt.

All concerned parties should have been consulted before introducing this legislation. But it seems that this has not been done. Because there are differences among the ruling party, the honourable minister should be advised to withdraw this bill and this matter should be reconsidered.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : गत महीने की 21 तारीख को जब यह मामला ध्यानाकर्षण सूचना के रूप में उठाया गया था तब मैंने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि हमारी राय में कोई फार्मूला, जो आन्ध्र-प्रदेश राज्य की एकता बनाये रखने के लिए बनाया गया था, जो विभिन्न सम्बन्धित पक्षों का स्वीकार्य था, कुछ ऐसा होगा जिसे हम सभी पसन्द करेंगे । किन्तु मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा करने के प्रयोजन से सर्वप्रथम संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करना होगा । अन्य सदस्यों ने भी इस बात पर जोर दिया था कि इस विधेयक से पूर्व अनुच्छेद 16 (3) में संशोधन करने वाला एक विधेयक पेश किया जाना चाहिए, ताकि संसद को एक ऐसा कानून बनाने की अनुमति दी जाये जिसमें एक राज्य के भीतर या इसके एक भाग के भीतर आवास की आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाये । अन्यथा, इसके रद्द किये जाने की

पूरी संभावना है । अतः इस तरह के विधेयक को, जिसमें खतरा निहित है, पेश करने की अनुमति मांगना सर्वथा अनुचित है ।

विधेयक में एक ऐसे सूत्र को शामिल करने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य को अखंड बनाना और इसे दो भागों में विभाजित करने से रोकना है । इस बीच ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे पता लगता है कि इस तरह का विधेयक वहां आन्ध्र क्षेत्र और तेलंगाना क्षेत्र किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा । अतः इसे यहां पेश करने से पूर्व सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : हमें इस विधेयक के सभी सांविधानिक पहलुओं पर, जो इस सभा में उठाये गये हैं, विचार करना चाहिए । मैं नहीं जानता कि क्या इस पहलू पर सरकार के सभी स्तरों पर पर्याप्त और उचित विचार कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त परिवर्तित स्थिति में मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक से कोई उद्देश्य पूरा होगा । सरकार को इस मामले पर भली-भाँति विचार करना चाहिए और एक समुचित विधेयक पेश करना चाहिए ।

श्री रामनिवास मिर्धा : इस विधेयक के सम्बन्ध में दो प्रकार की आपत्तियां उठाई गई हैं । एक तो इस प्रकार के विधेयक से सम्बन्धित इस सभा की वैधानिक सक्षमता के बारे में है । दूसरी दलील यह है कि स्थिति काफी बदल गई है और विभिन्न अन्य कारणों से यह विधेयक इस रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु एक भिन्न विधेयक, जो जनता की आकांक्षाओं को काफी हद तक पूरा करता है, पेश किया जाना चाहिए ।

जहां तक इस प्रकार के विधेयक को पास करने सम्बन्धी संसद के अधिकार का संबंध है, हमने इस पर, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद, गम्भीरतापूर्वक विचार कर लिया है । हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस संसद् को संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार के कानून को पास करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं । जैसा कि सभा को याद होगा, इसी तरह का एक कानून पहले भी पास किया गया था । चूंकि इस कानून की कतिपय धाराएँ उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दी थीं, अतः यह नया विधेयक सभा के समक्ष पेश किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, जब इसने कतिपय उपबन्धों को रद्द कर दिया था, यह कहा गया है कि इस मामले पर विचार करना संसद का कार्य है और उनकी राय में भी हम इस प्रकार के विधेयक पर विचार करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं ।

पहले की तिथि से लागू करने के बारे में उल्लेख किया गया है, क्या इस विधेयक में शामिल किया गया पहले की तिथि से लागू करने का तत्त्व सांविधानिक रूप से वैध भी है अथवा नहीं । इस बात पर पूर्णतयः विचार किया था और हम यह महसूस करते हैं कि ऐसा किया जा सकता है । संसद को, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत इसे अपेक्षित वैधानिक क्षमता प्राप्त है ।

यह तर्क दिया गया है कि संसद को मुल्की नियमों के सम्बन्ध में पहले की तारीख से लागू करने के हेतु, संशोधन करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं हैं । इसे यह बताकर किया जा सकता है कि इसी प्रकार शब्दावली की संविधान के अनुच्छेद 372 के अनुरूप 1935 की भारत सरकार की धारा 292 में भी मिलती है और उन शब्दों की व्याख्या संघीय न्यायालय द्वारा यह की गयी

है कि ये विधान को पहले की तारीख से लागू करने का निषेध नहीं करते ।

Sh i Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, with your permission I want to present a resolution that the Attorney General may be called in the House to advise on the legal aspects of this Bill.

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस विधेयक को पास करने की शक्ति निर्णय में आये एक महत्त्वहीन वाक्य में है। यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया है कि ऐसा संसद कर सकती है। किन्तु यह किस सन्दर्भ में कहा गया है ? जो तर्क दिये गये हैं उनमें से एक यह भी है कि अगर मुल्की नियमों को बनाये रखना है तो यह आन्ध्र क्षेत्र के हित में नहीं होगा । उच्चतम न्यायालय ने इस सन्दर्भ में कहा है कि यदि आन्ध्र क्षेत्र के साथ अन्याय होता है तो संसद को इस सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान महान्यायवादी ने यह राय दी है कि यह विधेयक तब तक पारित नहीं किया जाता जब तक अनुच्छेद 16 (3) में संशोधन नहीं किया जाता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, please allow me to present this resolution.

Mr. Speaker : What is the need of a resolution ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : If you decide to call the Attorney General, this resolution would not be needed. It has become clear that the Attorney General has not been contracted in this regard and it is also being said in the House that the opinion of the Attorney General was against this Bill. It is, therefore, imperative that the Attorney General should be called at this stage in this House to have his opinion on this Bill.

श्री पीलू मोदी (सीकर) : नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि हम इस विधेयक के असंवैधानिक होने के आधार पर इसका विरोध कर सकते हैं । यदि सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करती है जो संविधान के विपरीत हो तो इस बात का निर्णय कौन करेगा कि यह संविधान के विपरीत है ? क्या यह केवल औपचारिकता मात्र है कि हम इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति बता दें और सरकार उसे अपने बहुमत के आधार पर पारित कर देती है किन्तु कुछ मास बाद असंवैधानिक होने के कारण उच्चतम न्यायालय उसे रद्द कर देता है । अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए । विधि मन्त्रालय की कानूनी राय के अतिरिक्त कोई और कानूनी राय लेने की व्यवस्था भी होनी चाहिए ।

श्री जी० विश्वानाथन (वान्डीवाश) : पहले भी महान्यायवादी को सदन में उनकी राय जानने के लिए बुलाया गया था । अब भी आप सरकार से उन्हें यहां बुलाने के लिए कह सकते हैं ।

श्री जी० एस० मलकोटे (हैदराबाद) : इस विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, इस बात का संकेत नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सब बातों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होना पड़ेगा । अत: मैं इस विधेयक पर विचार को कुछ समय के लिए स्थगित करूंगा ।

रुग्ण-कपड़ा उपक्रम (प्रबन्धग्रहण) विधेयक

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अभी हाल ही में मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार का समूचे कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का इरादा नहीं है । अब भी इस विधेयक से संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि ऐसे उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण संबंधी यह विधान लंबित पड़ा हुआ है । सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चय नहीं है कि वह इस उद्योग के सम्बन्ध में कौन-से उपाय करेगी और इसलिए वह रुग्ण मिलों में पुनर्वास के लिए इस विधेयक को पेश कर रही है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि सरकार इन उद्योगपतियों को बचाने के लिए रुग्ण मिलों के मालिकों को "30,000 प्रतिवर्ष तक की राशि" का नियमित भुगतान करेगी । मुझे यह ज्ञात नहीं है कि इस भुगतान की क्या आवश्यकता है ।

खण्ड 7 (ख) का अर्थ यह है कि प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् भी सभी अथवा किसी अधिकार या किसी विशेषाधिकार को, जिनके लिए श्रमिक मिलों के बन्द होने से पूर्व अधिकारी थे, निलंबित कर दिया जायेगा । यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों और श्रमिकों के अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लंघन है ।

इस विधेयक में यह उपबन्ध भी किया गया है कि प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी कर्मचारी की, जिसे भी वह चाहे, छंटनी भी कर दे अथवा उसे नियुक्त न करे । उस पर केवल यह दायित्व रहेगा कि क्षति पूर्ति के रूप में उसे एक मास का वेतन देना पड़ेगा । इन उपक्रमों के प्रबन्ध ग्रहण करने के पश्चात् सरकार का इस प्रकार का रवैया बहुत ही आपत्तिजनक है ।

कच्चे कपास की कीमत समूचे देश में एक समान होनी चाहिए ताकि किसी भी राज्य की मिलों को अन्य राज्यों की मिलों से अधिक भुगतान न करना पड़े । इन रुग्ण मिलों के मालिकों द्वारा पहले ही परिसम्पत्तियां समाप्त की गई हैं । कोई भी यह नहीं जानता कि इन मालिकों का भुगतान करने की व्यवस्था विधेयक में क्यों की गई है । इन सभी फर्मों के पास वित्त के कई स्रोत हैं और वे ऋण के रूप में धन ले रहे हैं तथा उन्होंने अंशधारियों को किसी भी लाभांश का भुगतान नही किया है और कर्मचारियों के भविष्य निधि के धन को भी हड़प गये हैं । दूसरी ओर सरकार को मजदूरों को किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए जो उन्हें मिलों

के बन्द होने से पहले मिल रहे थे। इस चीजों को पहले की भांति जारी रहने देना चाहिये और कोई भी छंटनी नहीं की जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों को, जिनका नाम मिलों के बन्द होने के दिन वेतन सूची पर था, वापस ले जाना चाहिए और उन्हें जो परिलब्धियां तथा अन्य विशेषाधिकार मिल रहे थे, वे पुनः दिये जाने चाहिए।

Shri Ram Singh Bhai Verma (Indore): Nobody has paid any attention to the textile industry so far and the workers were being exploited as a result of it. When this mill was on the verge of closure, it was taken over by Government and now it is being run under relief act. It was a welcome feature that the sick mills are now being taken over, pending nationalisation.

It is provided in the Bill that cash Compensation would be paid to the mill-owners at the rate of 50 paise for 1000 spindles and one rupee for 100 looms. It is too much. If at all compensation is to be given, it should be 5 paise for 1000 spindles and 10 paise for 100 looms.

In this Bill, all the laws regarding the labour has been suspended in the case of those sick mills which were being taken. Government, on the one hand, are paying compensation to those who exploited and on the other, denying the labourers their rightful wages and dearness allowances.

This industry is totally unplanned, uncontrolled and mismanaged. After these 46 sick mills are taken over, the controller or administrator will be appointed to take over their management, but he should be well-conservant with the business particularly of purchase and sale of cotton and he must have technical knowledge and practical experience in the field. The workers working in this industry should continue to get all the facilities and benefits which they had been getting so far.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह विधेयक एक प्रकार से राज्य नीति का एक नया दृष्टिकोण है कि सरकार बड़े पैमाने पर इस देश में उपभोग्य उद्योगों को अपने हाथ में लेने का कार्य प्रारम्भ कर रही है। कपड़ा उद्योग के बड़े क्षेत्र को अब सरकारी क्षेत्र में लाया जा रहा है। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि चीनी, खाद्य तेलों और अत्यावश्यक औषधियों के सम्बन्ध में यह उसी प्रकार की कार्यवाही करने में अग्रसर होगी। इससे कम-से-कम उन गरीब व्यक्तियों के दुःखों को कम किया जा सकेगा जो अत्यधिक बढ़ती हुई कीमतों से पीड़ित हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य अवश्य सराहनीय है। यह 46 मिलें इसलिए अधिग्रहण की जा रही हैं क्योंकि ये संकटग्रस्त हो गई थीं। विधेयक में दी गई 'रुग्णता' की परिभाषा बड़ी अजीब है। इस बात का पता नहीं चलता है कि किसी मिल को किस समय रुग्ण माना गया और कब नहीं। इन मिलों के मालिक तथा संचालक ही इनकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। वे इन्हें जी भरके लूटते हैं और अपने घर भरते हैं। मन्त्री महोदय को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि जिन मिलों का अधिग्रहण किया जा रहा है उन्हें फिर से उन लोगों के हाथ में नहीं दिया जायेगा जिन्होंने इन्हें लूटा। विधेयक में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह पूर्ण राष्ट्रीयकरण की ओर

पहला कदम है। इसके उपबन्धों में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि कितनी निश्चित अवधि के लिए इनका प्रबन्ध हाथों में लिया जा रहा है।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि समूचे देश में कपड़े की कीमतें एक समान न होने के कारण कमजोर और छोटी मिलों को, जिनके पास सीमित संसाधन हैं, कच्चे माल की सप्लाई के मामले में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप वे बन्द हो गई हैं। अतः कोयले और इस्पात के समान कपास की कीमतों में समानता लाना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि ऐसा न हुआ तो उन क्षेत्रों में, जहाँ कपास का उत्पादन नहीं होता, कपड़ा मिलें समाप्त हो जायेंगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक एजेन्सियां स्थापित की गई हैं। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम और कपड़ा निगम हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम भी है और अब इस विधेयक के खण्ड 5 (1) और 5 (2) के अनुसार किसी एक अभिरक्षक अथवा अभिरक्षक के रूप में कार्य करने वाली कम्पनियों द्वारा अधिगृहीत की गई इन 46 मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जा सकता है। अतः इन विभिन्न कपड़ा मिलों के, जिनका अधिग्रहण करना है, प्रबन्ध के पांच-छः प्रकार हैं। सरकार को इस मामले में अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इन सभी मिलों के लिए भी एक बड़ी वस्त्र होल्डिंग कम्पनी बनाने के बारे में सोच रही है। खण्ड 2 (ङ) के अनुसार 'कपड़े' की परिभाषा में पटसन, कपास, ऊन और कृत्रिम कपड़े शामिल हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार का सभी रुग्ण मिलों को, जो बन्द पड़ी हैं, अपने हाथ में लेने का विचार है।

इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का प्रश्न है। इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक मिल के प्रबन्ध अधिग्रहण के लिए 30,000 रुपया प्रतिवर्ष देना होगा। इस प्रकार क्षतिपूर्ति के रूप में कुल राशि 1,00,38,000 रुपये प्रति वर्ष बैठेगी। इसको देने का कोई तर्क नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। यदि देश के करदाताओं को केवल उन मिलों के प्रबन्ध ग्रहण के लिए ही इतनी अधिक राशि देनी होगी तो इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

श्रमिकों को उनकी सुविधायें न देकर यह राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अभिरक्षकों को यहाँ तक शक्तियां दी गई हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को भी लागू करने से रोका जा सकता है। अनुसूची 2 में यह विशेष उपबन्ध इसीलिए किया गया है ताकि ये दो अधिनियम कुछ मिलों पर लागू न किये जा सकें। श्रमिकों की दशा सम्बन्धी समझौतों अथवा पंचाटों को रद्द किया जा सकता है अथवा इनमें कोई संशोधन इत्यादि किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने इन मिलों को तबाह किया उन्हें अभिरक्षकों की नियुक्ति होने तक किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा रहा है। यह उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों के हाथों में नियुक्ति होने के दिन तक इन मिलों का प्रबन्ध रहा वही इन मिलों का प्रबन्ध चलाते रहेंगे। जिन लोगों ने इन मिलों का सत्यानाश किया उनके हाथों में इन मिलों का प्रबन्ध एक दिन भी नहीं रहना चाहिए।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : मैं सरकार को यह महत्त्वपूर्ण कदम उठाने के लिए बधाई देता हूँ। समाजवाद का अर्थ है अधिक उत्पादन और समान वितरण करना। कपड़ा उद्योग

इन दोनों ही क्षेत्रों में असफल रहा है। पिछले वर्ष कपड़ा उद्योगपतियों ने यह वचन दिया था कि वे अधिक कपड़े का निर्यात करेंगे, परन्तु पिछले दस महीनों के आंकड़े देखने से इस बात का पता चलता है कि निर्यात में 11 करोड़ रुपये की कमी हुई है। आंतरिक उपयोग के बारे में भी मध्यम दर्जे के तथा मोटे कपड़े की सप्लाई में कमी होने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को बहुत कठिनाई हो रही है। अतः इन दो बातों को देखते हुए केवल रुग्ण मिलों को ही नहीं अपितु सभी मिलों को अधिग्रहण किया जाना चाहिए ।

कपड़ा मिलों की लगातार असफलता का कारण यह है कि इनमें अधिकांश मिलें पुरानी और निम्न स्तर की हैं। इन्होंने सदैव लाभ अर्जित किया है परन्तु पुरानी मशीनरी के स्थान पर नई मशीनें लगाने का प्रयास कभी नहीं किया गया। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के हित में रुग्ण मिलों को बहुत पहले से अधिग्रहण किया जाना चाहिए था ।

रुग्ण मिलों के प्रबन्ध को हाथ में लेना सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध अधीन पहले ही 51 मिलें हैं जो कि देश के कुल कपड़ा उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत उत्पादन कर रही हैं। सरकार ने मिलों को अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक जानकारी तथा क्षमता प्राप्त की है और एक संगठन बनाया है और इन्हीं मिलों के कारण देश के कपड़ा उद्योग की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। वे लोग जो इन मिलों को वर्तमान दयनीय स्थिति में लाने के जिम्मेदार हैं, उन्हें किसी प्रकार की राहत अथवा प्रतिकर के तौर पर कोई धन-राशि नहीं दी जानी चाहिए। यह बात भी स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि सभी मिलों के राष्ट्रीयकरण की ओर यह पहला कदम है। सरकार को एक समय सीमा निर्धारण करनी चाहिए जब तक कि समूचे कपड़ा उद्योग को हाथ में ले लिया जायेगा।

रुग्ण कपड़ा मिलों का समूचा भार केन्द्रीय सरकार को ग्रहण करना चाहिए और राज्य सरकारों पर कोई बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उड़ीसा कॉटन मिल, भागलपुर, इस राज्य का सबसे पुराना मिल है परन्तु दुर्भाग्यवश यह मिल बहुत जल्दी बन्द हो गया और इसे दोबारा चालू नहीं किया जा सका। इसकी मशीनें अब बिल्कुल बेकार हो गयी हैं और इस मिल पर निर्भर लगभग 600 परिवार अब बेरोजगार हैं। सरकार को इस मिल को पुनः चालू करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए । बहुत दिनों से बन्द पड़ी मिलों के ऐसे कर्मचारियों को, जो अभी भी बेरोजगार हैं, इन मिलों के पुनः चालू होने पर रोजग़ार के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इन रुग्ण कपड़ा मिलों को हाथ में लेने के पश्चात् सरकार इस देश के कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में एक मुख्य भागीदार है। अतः सरकार को समूचे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्यों की दुकानें खोलनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को सस्ते मूल्य पर कपड़ा मिल सके।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, समूचे राष्ट्र पर आर्थिक संकट का साया गहरा होता जा रहा है परन्तु सरकार की औद्योगिक नीति अभी भी अस्पष्ट है। मंत्री महोदय ने यह दावा किया है कि इस विधेयक से 46 मिलें बन्द होने से बच जायेंगी और इससे छंटनी की संभावना समाप्त हो जाएगी। यह एक सराहनीय उद्देश्य है। परन्तु जब कभी उद्योगों का अर्जन किया गया है इस उद्देश्य की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandara in the chair]

किसी औद्योगिक एकक के कार्य निष्पादन को निर्धारित करने के लिए तीन मुख्य मानदण्ड हैं । पहला परिचालन सम्बन्धी क्षमता, दूसरा प्रतियोगी मूल्यों पर गुणकारी सामग्री का उत्पादन और तीसरा औद्योगिक संस्था की लाभदायिकता । यदि इन तीन मानदण्डों को सरकारी क्षेत्र पर लागू किया जाए तो सारा सरकारी क्षेत्र ही रुग्ण क्षेत्र माना जाएगा ।

तीन प्रमुख पहलुओं के कारण न केवल इन 46 मिलों का, अपितु देश की 668 मिलों का अलाभकारी संचालन हुआ है । यह तीन कारण हैं : कपास का निरन्तर अभाव, मजदूरी में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि और कराधान का उच्च स्तर । रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध मूल्य की प्रतिशतता के रूप में कर से हुआ लाभ इतना कम रहा कि इससे संयंत्रों और मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए कुछ नहीं बचा है । कपड़ा उद्योग कम लाभ, आधुनिकीकरण पर खर्च की गई बहुत थोड़ी राशि आदि कारणों से संकटग्रस्त रहा है ।

आज आधुनिकीकरण के लिए एक समयबद्ध तथा वृहत कार्यक्रम की आवश्यकता है जिस पर 630 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँ और जिसमें से 50 से 60 करोड़ रुपये तक के वार्षिक परिव्यय की व्यवस्था हो । सरकार को शीघ्र ही एक सूती कपड़ा आधुनिकीकरण निगम नामक एक संस्था स्थापित करनी चाहिए जिसमें 25 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी होनी चाहिए जो कि तीन वर्षों के पश्चात् बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो जानी चाहिए ताकि यह संस्था दीर्घकालीन ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि इस निधि का समुचित ढंग से प्रयोग किया जा रहा है और वास्तव में ही मिलों का आधुनिकीकरण हो रहा है । प्रबन्ध-क्षमता, मूल्यों में कमी की सम्भाव्यता और आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप लाभकारिता के आधार पर ऋण एककों की व्यवहारिता का निर्धारण किया जाना चाहिए । इससे न केवल 46 रुग्ण मिलों का ही राष्ट्रीयकरण होगा अपितु जनता की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए निर्यात हेतु दीर्घकालीन सहायता भी मिलेगी ।

मन्त्री महोदय को चाहिए कि वे कपड़ा मिलों के अधिग्रहण सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के बारे में सभा को विस्तृत जानकारी दें । वह यह भी बताएं कि संसद के शीतसत्र के प्रारम्भ होने से केवल 13 दिन पहले 19 अक्टूबर, 1972 को इतनी जल्दी अध्यादेश जारी करने की क्यों आवश्यकता पड़ी और ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण यह अध्यादेश जारी करना पड़ा ।

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur) : I strongly oppose the basic object of this Bill. If Government wants to provide course cloth to the poor masses at cheaper rates, they should run new mills instead of taking over these sick mills. Taking over of the old sick mills will prove to be very costly to the Government besides bringing criticism from many directions.

In case the Government succeeds in running these sick mills, they will not earn any credit. But, if they fail to run them properly, they will definitely get discredit. Our

experience of the mills in the public sector has not been very good. The Government is not able to run these mills as profitably as their counterparts in the private sector. If the Government have taken a decision to run these 46 textile mills, then at least the charge of these mills should at least be entrusted only to competent persons so that they could make this venture a success.

***श्री पी० ए० सामिनाथन** (गोनीपोईपलयम) : इस विधेयक का मन्तव्य 46 रुग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अधिग्रहण करना है क्योंकि इन मिलों के मालिक इनका सत्यानाश कर रहे थे। मैं इस संबंध में कुछ ठोस तथा रचनात्मक सुझाव देना चाहूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धारापुरम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विदेश व्यापार मंत्री सदस्य की बात नहीं सुन रहे हैं। सम्भवत: वह तमिल में बोलने वाले सदस्य की बात नहीं सुनना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अत्यधिक भावुक न बनें। चिन्ता मत कीजिये, मंत्री जी सभी बातों का उत्तर देंगे।

***श्री पी० ए० सामिनाथन्** : यह तर्क देना ठीक नहीं कि समूचे कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की ओर यह पहला कदम है। यदि सरकार उत्पादन बढ़ाने और मोटे कपड़े को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करने के बारे में वास्तव में ही गम्भीर है तो उसे देश में केवल 379 कताई मिलों और 291 मिश्रित कपड़ा मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए था क्योंकि यह मिलें भारी लाभ अर्जित कर रही हैं और इसका उपयोग मालिकों द्वारा अपने निजी हितों की पूर्ति में किया जा रहा है। समूचे कपड़ा व्यापार का राष्ट्रीयकरण न करने का एकमात्र कारण यह हो सकता है कि इन मिल मालिकों में बहुत-से सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के सदस्य हैं। यह समाचार भी मिले हैं कि सत्तारूढ़ दल के चुनाव फण्ड में कपड़ा व्यापार से 18 पैसे प्रति तकला (स्पींडल) के हिसाब से अंशदान में भारी वृद्धि हुई है।

46 रुग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने के मामले में विधेयक के खण्ड 6 (1) में यहां तक उपबन्ध किया है कि प्रत्येक रुग्ण कपड़ा मिल के मालिक को केन्द्र सरकार द्वारा कुछ धन नकदी के रूप में मुआवजा दिया जाएगा। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोगों के लिए यह उपबन्ध किया जा रहा है जिन्होंने मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के दुरुपयोग के बारे में खेद तक व्यक्त नहीं किया है और जिन्होंने इन मिलों से लाभ उठाकर इन्हें आर्थिक दृष्टि से कमजोर किया है। यदि सरकार इन शोषकों के प्रति इतना उदार बनना चाहती है तो इस बात पर भी सन्देह किया जा सकता है कि सरकार समूचे कपड़ा व्यापार के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव को कभी कार्यान्वित नहीं कर सकेगी।

अनुमान लगाया गया है कि इन मिलों के आधुनिकीकरण पर लगभग 1706 रुपये खर्च होंगे और इन मिलों की कार्यकारी पूंजी के लिए 1055 लाख रुपये सीमान्त धन की आवश्यकता

*तमिल में किये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

होगी। इन मिलों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार को लगभग 2761 लाख रुपये की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह सब-कुछ आवश्यक है और क्या इन मिलों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए मुआवजे का उपबन्ध करना न्यायोचित है।

तमिलनाडु में रुग्ण कपड़ा मिलों की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है कि हजारों मजदूर अपनी जीविका से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि केन्द्र सरकार को किसी निर्णय पर पहुंचने में बहुत समय लगा है, इसलिए तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु कपड़ा निगम की स्थापना की है और हजारों कपड़ा मजदूरों के हित में रुग्ण कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए भरसक प्रयत्न किया है। समझौता यह हुआ था कि केन्द्र सरकार इन रुग्ण मिलों को चलाने में होने वाले खर्च का 51 प्रतिशत स्वयं वहन करेगी और शेष 49 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र का 51 प्रतिशत भाग अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। केन्द्र का 51 प्रतिशत भाग राज्य सरकार को जल्दी दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उठाया गया उत्तरदायित्व काफी भारी है।

खण्ड 5 (1) के उपबन्ध के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी रुग्ण कपड़ा मिल के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस उपबंध का यह भी अर्थ हो सकता है कि पुराने प्रबंधकों को, जिन्होंने कि इन एककों का इतने लम्बे समय तक शोषण किया है, अभिरक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। यह उपबंध उस उद्देश्य के, जिसके लिए इन रुग्ण एककों का प्रबंध ग्रहण किया जा रहा है, विपरीत जाता है। जहां कहीं भी राज्य कपड़ा निगम हैं ये मिलें उसे दे दी जानी चाहिए। यदि वहां यह निगम नहीं हैं तो राज्य सरकार की सहमति से ये मिलें राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा प्रशासित की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के उपबंध को विधेयक से हटा दिया जाना चाहिए।

यदि सरकार हाल के चुनावों के दौरान लोगों को दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित करना चाहती है तो उसे समस्त कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट, लोहा और इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव लाना चाहिए और इसे देश में समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन का लोक साधन होना चाहिए। किन्तु मैं इस उपबंध का प्रबल विरोध करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी रुग्ण कपड़ा मिल के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस उपबंध का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि पुराने प्रबंधकों को, जिन्होंने इन एककों का काफी समय तक शोषण किया है, पुनः अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मैं यह कह रहा हूं कि सांविधिक उपबंध है जिसके अनुसार उसी व्यक्ति को अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए कोई उपबंध नहीं है जो काफी समय तक कुप्रबंध, कदाचार और दुर्विनियोग के लिए उत्तरदायी रहा है। जिस उद्देश्य के लिए इन रुग्ण एककों का प्रबंध ग्रहण किया जा रहा है वह इस उपबंध के विपरीत पड़ेगा। जहां कहीं भी राज्य कपड़ा निगम हैं उन्हें ये मिलें दी जानी चाहिए। यदि वहां यह निगम नहीं है तो राज्य सरकार की सहमति से इन मिलों का प्रशासन राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के उपबंध को विधेयक से लोप किया जाना चाहिए।

यदि सरकार उन आश्वासनों को कार्यान्वित करना चाहती है जो उसने लोगों को हाल के चुनावों में दिये थे तो उसे समस्त कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा और इस्पात

उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाना चाहिए तथा इस देश में आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के सार्वजनिक साधन होने चाहिए। मेरा सुझाव है कि इन उद्योगों को तथा इनकी आय को लोक हित के लिए लगाया जाना चाहिए।

Shri Natwar Lal Patel (Mehsana) : Mr. Chairman, today I have got an occasion to talk on this Bill in this House. I am thankful to the Minister as it is a revolutionary bill and it would provide security of employment to large number of workers.

Some of the hon. members have given their opinion that there would be no use in taking over of the mills. But it is not correct. The closure of textile mills had created unrest among the workers. If quick action is not taken it would lead to a difficult situation.

It is regretting to say that while we are trying to solve the problem of unemployment but we are not looking towards the problem that the persons who had already got employment, have been rendered jobless. So we should see towards this serious problem.

I have moved an amendment that Khadi Durga Cotton Mill should also be taken over in addition to the 46 mills which are being taken over. The Khadi Durga Cotton mill in my constituency has been closed for the last so many years. This has thrown so many workers out of employment. The Mill owners have not started the mill inspite of the repeated requests to them. The State Government have also not taken over the Mill. The Minister would do well and help the cause of the workers by taking over the Khadi Durga Cotton Mill also. This step would be heartily welcomed by the people who had been very adversely affected by the closure of the Mill.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : समस्त कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की व्यापक योजना के लिए एक बहुत ही स्पष्ट मामला है किन्तु एक अल्पकालीन उपाय के रूप में भी यह विधेयक अच्छा है। निस्संदेह इस विधेयक में जो अच्छी बातें दी गई हैं वे अन्ततः राष्ट्रीयकरण की अंतिम योजना को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होंगी यदि उन्हें समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाए। इस विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है। हम चाहते हैं कि उद्योगों तथा प्रबंधमण्डल को युक्तिसंगत बनाया जाये। इनमें वाणिज्यिक उत्पादन हो तथा इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात हम यह चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध करने के लिए समान वितरण हो। यह निश्चित नहीं है कि यह विधेयक अपने वर्तमान रूप में इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। यदि इसमें उपयुक्त संशोधन किये जायें तो संभवतः इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

सरकार ने कुछ रुग्ण मिलों को अपने हाथ में लेकर और उन्हें आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाकर उनके मालिकों को वापस लौटा दिया है। संतोष की बात है कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस विधेयक को लागू करने के बाद ऐसी बात पुनः दोहरायी नहीं जायेगी और मिल मालिकों के लिए सरकार को एक सैनीटोरियम और स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में मानने नहीं दिया जायेगा। इस दृष्टि से इस प्रस्तावित कदम का स्वागत है।

हमने देखा है कि उद्योगों में एक ऐसा संकट आ रहा है जो वस्तुतः कपड़ा मिल-मालिकों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। जब वे अपने लाभ में वृद्धि करना चाहते हैं तो वे प्रायः कृत्रिम कमी का संकट ला खड़ा करते हैं अर्थात् वे कपास और धागे की कृत्रिम कमी पैदा कर देते हैं जिसका मूल उद्देश्य सरकार पर दबाव डालना होता है ताकि बाहर से कपास का अधिक आयात किया जाये। जिसके परिणामस्वरूप देशी कपास का मूल्य घट जाये और इस प्रकार उन्हें अधिक लाभ हो। जो कपड़ा मिल-मालिक इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनकी मिलों को भी इस योजना के अन्तर्गत हाथ में लिया जाना चाहिए।

47 मिलों की जो सूची दी गई वह निस्संदेह उचित है। किन्तु हम जानते हैं कि ऐसी और भी अनेक मिलें है जिन्हें हाथ में लेने की बड़ी आवश्यकता है। लक्ष्मी रतन मिल, कानपुर का नमूना-सर्वेक्षण करने से पता चला है कि भविष्य-निधि का लाखों रुपया जमा नहीं किया गया है। भविष्य-निधि की राशि मज़दूरों के वेतन से काटी गई है किन्तु उतनी ही धनराशि बैंक में जमा नहीं कराई गई। बोनस धनराशि के बारे में भी गलत तरीके अपनाये जा रहे हैं। इस तरह के कदाचारों में जो मिलें लगी हुई हैं, उन्हें भी हाथ में लिया जाना चाहिए।

विधेयक के अनुसार, अन्तरिम अवधि में वर्तमान उपबंधों को जारी रखने दिया जायेगा। यदि इन्हीं प्रबंधकों को, जो धोखाधड़ी के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जारी रहने दिया जाएगा तो वे धोखाधड़ी करते रहेंगे। इसलिए उन्हें मध्यवर्ती अवधि में भी प्रबंध मंडल में रखा नहीं जाना चाहिए। न केवल यही, जब अभिरक्षक कपड़ा उद्योगों का प्रभार संभाल लेते हैं तो कार्मिक संघों को भी इनमें सलाहकार के रूप में सम्बद्ध करना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आपने खंड 5 के लिए कोई संशोधन दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते: दुर्भाग्यवश, मैं विलम्ब से आया हूं और इसकी सूचना न दे सका। किन्तु अन्य माननीय सदस्यों ने इसे कर दिया है।

Shri Lalgi Bhai (Udaipur) : Mr. Chairman, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। गणपूर्ति को चुनौती दी जा रही है। घंटी बजायी जा रही है ....अब गणपूर्ति हो चुकी है।

प्रो० मधु दण्डवते : अंत में मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत के सरकारी निगमों के कार्य संचालन के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों ने अध्ययन किया है। मेरे विचार में यह अध्ययन रुग्ण कपड़ा मिलों के प्रबंध और कार्यचालन के लिए सुसंगत होगा। जहां तक उन कपड़ा मिलों के प्रबंध और कार्यचालन का सम्बन्ध है, जिन्हें प्रशासक तथा अभिरक्षक अपने नियंत्रण में लेंगे, यदि वे गैर-सरकारी क्षेत्रों के सिद्धांतों तथा नियमों पर चलेंगे तो इन उपक्रमों में कार्य-कुशलता लाना इनके लिए अति कठिन होगा तथा प्रबंध का अभिनवीकरण करना संभव नहीं होगा। अतः सरकार को इनका प्रबन्ध केवल अभिरक्षकों तथा प्रशासकों के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए। प्रबंध को व्यापक बनाने के प्रयत्न किये जायें और इस उद्योग के प्रबंध में संगठित व्यापार संघों को सलाहकार के रूप में सम्मिलित किया जाये ताकि इस विधेयक के घोषित उद्देश्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन न हो सके।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Mr. Chairman, I do not want to thank the Minister as this Bill was overdue. The Government have taken a long time in bringing forward this Bill.

The owners of the sick textile mills have reaped huge profits even at the cost of modernisation of the machinery and now the mills have to be brought under the care of the Government. This step has to be taken because the Government is very much interested to safeguard the interests of the workers and to ensure production.

Apart from the sick mills being taken over by the Government, there are about 50-60 more sick mills. A high powered Commission should be appointed to go into the working of these sick mills, which should be taken over.

In the past, the Government used to take over sick mills and after nursing them back to health used to return them to their owners for again reaping profits. This is very bad practice. It is gratifying that the Government is now proceeding towards nationalization through this Bill.

It is regrettable that the controlled cloth is being sold in the black market which is being sold at a higher price after being reprocessed. This practice should be looked into and put a stop to.

I feel that the textile industry is an important industry of the country. You would be happy to know that in modern times, textile is not cotton textile but it also includes Terene and Tery Cotton, but we export our cloth raw material on 12 annas per yard but after reprocessing, they sell it at Rupees three per yard. It is a good decision that the cloth should be sold at controlled rate. But it is sad to say that the industrialist sell it at higher rates after re-processing. It is good that the Government have appointed controllers but I would like to say that the Government should be cautious while appointing controllers so that they may not be able to play any mischief like the old owners. The Government should modernize the mills, which are being taken over so that the objectives of the Bill are achieved.

Shri M. C. Daga (Pali) : Mr. Chairman, I welcome this Bill and I feel that all the newspapers have appreciated this step.

It has been said that instead of taking over these 47 sick mills, it would be better to set up new mills. A lot of money would be required for setting up new mills, while Government would be able to run the sick mills after investing a smaller amount of money.

Apprehensions have been expressed about the successful running of these sick mills. It has been said that since performance of the public sector undertakings have not been upto the mark, it would not be possible to run these mills successfully. We would have to trust our own people and it is hoped that the Government would be able to run these mills properly.

The Bill has been brought forward to ensure security of employment for the workers. But in clause 10, it has been provided that 'he may be giving to the employee one month's notice in writing or the salary or wages for one month in lieu thereof, terminate such contract of employment.' It is not a good provision. The Government could expand the industry to keep the employees in employment.

Under this provision of the Bill it has also been said that 'Every person in charge of the management of a sick textile undertaking immediately before the appointed day shall, within 10 days from that day or within such further period as the central Government may all in this behalf.' In this way Government are giving 10 days time before taking any will under its custody. But the Government should take control of the mill a tonce without giving any notice, otherwise the owners might take away certain parts of the machinery.

The clause 4 (8) of the Bill provides that 'No resolution passed at any meeting of the shareholders of any textile company on or after the appointed day regarding the business of the textile company in so far as it relates to the sick textile undertaking, shall be given effect to unless approved by the Central Government.' It should not be done like this. Firstly, it should be discussed and passed in the meeting and then approved by the Central Government.

Mr. Chairman : You have not understood this. Now you are requested to finish your speech.

Shri M. C. Daga : I request that this clause should not be included.

Shri R. S. Pandey : Mr. Chairman, I would like to include one thing in my speech. It is requested to include the V. N. C. Mill, Rajnandgaon in the list of the sick mills which are being taken over.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Mr. Chairman, the take over of 46 sick mills is a welcome step. But certain amount of responsibility also devalued on the workers of such mills. For sometime at least they should not make demands for bonus and other facilities so that these mills are able to run successfully.

We have to modernize our machinery. A programme for modernisation has already been drawn up and it would cost Rs. 600 crores. It is hoped that by spending Rs. 60 crores a year, all machines would be modernized within 10 years.

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं सभा का बड़ा आभारी हूँ क्योंकि इसने विधेयक को पूरा समर्थन दिया है। वाद-विवाद में 14 सदस्यों ने भाग लिया है और 14 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने इन सिद्धान्तों का बड़ा समर्थन किया है जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य ने यह पूछा है कि 'खंड 6 (2) के अन्तर्गत मालिकों को मुआवजा क्यों दिया जा रहा है ?' एककों का वास्तविक राष्ट्रीयकरण करने तक मालिकों को कुछ मुआवजा देना होगा, अन्यथा यह स्वामित्वहरण होगा। 30,000 रुपये की धनराशि सभी 46 मिलों के लिए

है और केवल एक मिल के लिए नहीं। यह मुआवजा नाममात्र है और संविधान के उपबन्धों का सम्मान करने के उद्देश्य से हम ऐसा कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने पिछली देनदारियों के स्थिरीकरण के बारे में प्रश्न उठाया है। और यह कहा है कि श्रमिकों की बकाया राशि को रोका नहीं जाना चाहिए। जहां तक संभव होगा, मजदूरों की बकाया राशि मिलें चालू करने के बाद भुगतान कर दी जायेंगी। किन्तु हमारी चिन्ता संकट-ग्रस्त मिलों को पुनः चालू करने की है।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

श्री दीनेन भट्टाचार्य ने यह भी कहा है कि सरकारी नियंत्रण के अधीन पहले से कार्य कर रही मिलों में मजदूरों के वेतन और बोनस की बकाया राशि नहीं दी जा रही है। वस्तुतः बकाया राशि देने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और वह मजदूरों के हितों का पूरा संरक्षण करेगी। किन्तु यह तभी संभव होगा, जब मिलें काम करना प्रारम्भ कर देंगी।

मैं श्री एम० गोपाल रेड्डी से इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मजदूरों को कोई बोनस नहीं देना चाहिये। मिलों की दशा पर विचार किये बिना मजदूरों को बोनस देना होगा।

मैं कपास के मूल्य को एक समान करने के सिद्धांत से सहमत हूँ जैसा कि कोयला और इस्पात के बारे में किया गया है। इस बारे में मैंने देश में कपास उत्पादक सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक पत्र भेजा था। दुर्भाग्यवश, वे इस सिद्धांत से सहमत नहीं हुए। इस समस्या पर विचार करने के लिए कपास उत्पादक सभी राज्यों और उन राज्यों के, जहां पर कपड़ा मिलें हैं, मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का मेरा विचार है। कठिनाई जायज है। उन राज्यों को, जहां कपास पैदा नहीं होती, अन्य कपास उत्पादक राज्यों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक खर्च करनी पड़ती है। इसके लिए कोई-न-कोई हल ढूंढ़ना होगा।

श्री रामसिंह भाई वर्मा ने इन्दौर मालवा युनाइटेड मिल्स पर बकाया धनराशि के बारे में प्रश्न उठाया है। सरकार ने इस मिल को अध्यादेश के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया है। और बकाया धनराशि को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि जिन मिलों का प्रबन्ध ग्रहण किया गया है उन मिलों को उनके मालिकों को वापस नहीं सौंपना चाहिये। न केवल इन 46 मिलों को वरन् उन 57 मिलों को भी, जो एन० टी० सी० के नियंत्रण में थीं और जिनकी वापसी पर 15 वर्ष बाद विचार किया जाना है, उनके मालिकों को नहीं सौंपना चाहिये। हम इन प्राइवेट मिलों की मरम्मत तथा उनके आधुनिकीकरण पर सार्वजनिक धन बर्बाद नहीं करना चाहते और न ही हम इन मिलों को सही ढंग से चला कर उनके मालिकों को देना चाहते हैं।

इन 46 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। जब तक इनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता, तब तक हमने यह विधेयक पेश किया है। राष्ट्रीयकरण के लिए किसी प्रकार की समयावधि निर्धारित नहीं की जाती, किन्तु ऐसा शीघ्र ही किया जायेगा।

एक बात यह कही गई है कि हम 10 और 15 दिनों का नोटिस देते हैं। अतः इस अवधि के दौरान मिलें अपने परिसरों से अपनी बहुमूल्य परिसम्पत्तियां हटा सकती हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वहां से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हटाई गई है।

समूचे वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया गया है। हम उन उद्योगों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिनमें लाभ नहीं हो रहा है। हम मिल-वार आधार पर किये गये संशोधन के अनुसार मुआवजा का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे एककों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

व्यक्तिगत रूप से मिल मालिकों में जो भी दोष हों, किन्तु वस्त्र उद्योग ने बुरा कार्य नहीं किया है। इस बात की पुष्टि एशिया 1972 के कपड़ा पंडाल से हो सकती है।

निर्यात में भी वस्त्र उद्योग ने सराहनीय कार्य किया है। फिलहाल वस्त्र मिलों को अपने हाथ में लेने का हमारा कोई विचार नहीं है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आयी है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : बहुत-से वक्ताओं ने लक्ष्मीरतन कॉटन मिल का भी उल्लेख किया है।

श्री एल० एन० मिश्र : बाद में मैं अलग-अलग मिलों के बारे में बात करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : लक्ष्मीरतन कॉटन मिल का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है जबकि इसने तीन वर्षों तक बोनस का भुगतान नहीं किया है और न ही भविष्य-निधि में धन जमा करा रही है।

श्री एल० एन० मिश्र : श्री बनर्जी जानते हैं कि इसके लिए एक जांच दल नियुक्त किया था और उसने यह सिफारिश की है कि इस मिल का अधिग्रहण किया जाये। इस मिल को भी अपने हाथ में लेने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

उचित दर की दुकानों के बारे में संशोधित योजना के अन्तर्गत हमने कपड़े की नियंत्रित किस्मों में गैर-सरकारी व्यापार को रोक दिया है और यह कार्य हम राज्य सरकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता, सहकारी समितियों तथा सुपर बाजारों आदि को सौंपना चाहते हैं।

अब मैं श्री वीरेन्द्र अग्रवाल की बात पर आता हूँ। वह राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की गतिविधियों के विरुद्ध भी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र इतना असफल नहीं रहा है जितना कि उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 75 मिलें हैं और इन मिलों का वार्षिक उत्पादन 200 करोड़ धागे तथा वस्त्र है। इनमें एक लाख मजदूरों को रोजगार भी मिला हुआ है। इन नियमों के प्रबन्ध के अधीन इन मिलों ने गत वर्ष 8 करोड़ रुपये के मूल्य के वस्त्र का निर्यात किया है। 45 मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें 17 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। सरकार अपने

नियंत्रण में लिये उपक्रमों को ठीक ढंग से चलाने के लिए क्रमिक रूप में कार्य कर रही है ताकि लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कपड़े के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। अतः राष्ट्रीय कपड़ा निगम के विरुद्ध लगाया गया आरोप उचित नहीं है।

श्री प्रबोध चन्द्र विधेयक के उपबन्धों के बारे में प्रसन्न नहीं हैं। उनके विचार में हम सरकार को अतिरिक्त शक्तियां दे रहे हैं। अतः हो सकता है कि उनका प्रयोग जनता के हित में न किया जाये। किन्तु यह उन स्थितियों का एक मात्र समाधान है जिनके अन्तर्गत रुग्ण मिलों की यह अवस्था हुई है तथा इस विधेयक से हम उन कपड़ा मिलों को व्यवस्थित करने जा रहे हैं। हम आश्वासन देना चाहते हैं कि इस विधेयक के उपबन्धों के परिणामस्वरूप इन मिलों की स्थिति में सुधार होगा तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में चिन्ता के कारणों में कमी हो जायेगी।

मुआवजे के बारे में यह बताया गया है कि 46 मिलों का मुआवजा 30,000 रुपये है। जहां तक राज्य सरकार को 5! प्रतिशत देने का संबंध है, यह दिया जायेगा तथा यदि तमिलनाडु सरकार इनमें से किसी मिल को चलाना चाहे तो हम उसे तमिलनाडु सरकार को दे देंगे जैसा कि महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के बारे में किया गया है। श्री नटवर लाल पटेल ने कहा है कि गुजरात में दुर्गा कॉटन मिल को सरकार अपने हाथ में ले ले। राज्य सरकार ने भी इस बारे में ऐसी ही सिफारिश की है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और हम इस मिल को अपने नियंत्रण में ले सकेंगे।

प्रो० दण्डवते ने धागे, सिंथेटिक धागे तथा सूती धागे के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। इन धागों की कोई कमी नहीं है। कठिनाई वितरण स्तर पर हो रही है। कपड़ा आयुक्त ने कई राज्यों का दौरा किया है और वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा की है। अतः मैं स्पष्ट रूप से यह कह सकता हूँ कि राज्य सरकारों को समुचित वितरण तंत्र बनाना चाहिये।

विधेयक के खंड 11 के बारे में कुछ कहा गया है। अध्यादेश जारी करने के बाद यह उपबंध केवल एक या दो दिन के लिए था। अब सरकार ने सभी 46 मिलों के लिए अभिरक्षकों की नियुक्ति की है। एक रात में तो हम सभी 46 मिलों के लिए अभिरक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकते थे और इसलिए यह उपबन्ध इसमें है, क्योंकि अभिरक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सरकार इन छः मिलों के बारे में क्या विचार कर रही है ? मुझे यह मालूम है कि कनोडिया मिल न्यायालय में गयी है.और न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा दी है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इस पर विचार करूँगा। यदि आपका कोई मामला बना, तो मैं आपको और आपके संघ को सहायता देने का प्रयत्न करूँगा।

यह सुझाव दिया गया है कि श्रमिकों और व्यापार विशेषज्ञों को प्रबन्ध में शामिल किया जाना चाहिये। यद्यपि प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लिये जाने की हमारी नीति रही है, तथापि हमने इन 57 और 46 मिलों में कोई अधिक प्रगति नहीं की है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि प्रबन्ध बोर्ड में श्रमिकों का भी प्रतिनिधि हो।

नियन्त्रक कम्पनी के बारे में एक प्रश्न है और हमने सभी मिलों के महा-अभिरक्षक के रूप में वस्त्र निगम बनाया है। यदि हम देखेंगे कि यह सुचारु रूप से कार्य नहीं करता है, तो हम कुछ अन्य व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रुग्ण-कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने तक, उनकी इस दृष्टि से शीघ्र पुनर्वास के लिए, कि ऐसे पुनर्वास से सस्ते किस्म के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जनसाधारण का हित साधन हो सके, उनका, लोकहित में, प्रबन्ध ग्रहण करने का आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : हम खण्डवार विचार करेंगे। श्री रामसिंह भाई द्वारा एक संशोधन पेश किया गया है, किन्तु वह यहाँ नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव पारित हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खंड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 3 to 5 were added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 6 के लिये संख्या 2 से 5 संशोधन पेश किये गये हैं। श्री रामसिंह भाई यहां नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was added to the Bill

सभापति महोदय : श्री रामसिंह भाई के नाम से खण्ड 7 के लिए अनेक संशोधन पेश किये गये हैं, किन्तु वह यहाँ नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 9
संशोधन किया गया

पृष्ठ 7, पंक्ति 10, "and" (और) के स्थान पर "or" (अथवा) प्रतिस्थापित किया जाये । (संख्या 17)

(श्री एल० एन० मिश्र)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9, as amended, was added to the Bill

खण्ड 10 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गए
Clauses 10 to 13 were added to the Bill

संशोधन किया गया

पृष्ठ 8, पंक्ति 23-24,

["obtained by an owner of a sick textile undertaking from the Central Government or State Government"] ("रुग्ण कपड़ा उपक्रम के एक मालिक द्वारा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से प्राप्त")

के स्थान पर

["advanced to a sick textile undertaking by the Central Government or a State Government."] ("केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा एक रुग्ण कपड़ा उपक्रम को दिया गया")

प्रतिस्थापित किया जाये । (संख्या 18)

(श्री एल० एन० मिश्र)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 14, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 14, as amended, was added to the Bill

खण्ड 15 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गए
Clauses 15 to 18 were added to the Bill

प्रथम अनुसूची

श्री नटवर लाल पटेल (मेहसाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 48 के पश्चात्

"47, कादी दुर्गा कॉटन मिल्स लिमिटेड, कादी जिला मेहसाना" जोड़ दिया जाये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम इस पर बोलना चाहते हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसके लिए चार घंटों का नियतन किया है । इसके लिये जल्दी क्यों की जाये ?

सभापति महोदय : सभा के क्या विचार हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : इस पर कल विचार किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : हम इस पर कल विचार करेंगे ।

———

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

21वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 21वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : हम अब आधे घण्टे की चर्चा करेंगे ।

———

*विदेशी तेल कम्पनियों के साथ हुए करार को रद्द करना

*SCRAPPING OF AGREEMENT WITH FOREIGN OIL COMPANIES

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाययंड हार्बर) : सरकार की अनुमति के बिना भी विदेशी तेल कम्पनियों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती रही है। वे सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं समझतीं। प्राक्कलन समिति ने अपने 1967 के प्रतिवेदन में कहा है कि उपरोक्त तीन विदेशी तेल परिशोधनशालाओं की निर्धारित क्षमता गत वर्षों में $2\frac{1}{2}$ गुना से अधिक बढ़ गयी है।

गैर-सरकारी तेल कम्पनी के साथ किया गया करार गुलामी के करार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि इस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि इनके साथ किये गए करारों में ये आश्वासन दिए गए हैं कि पूरी तरह तेल शोधन कार्यों के शुरू हो जाने से 25 वर्षों की अवधि के लिये सरकार द्वारा उसे अर्जित नहीं किया जाएगा और न ही वह इसके कार्य को लेगी और यदि सरकार इसके कार्य संचालय को लेगी और यदि सरकार इस अवधि के पश्चात् इसे अर्जित करती है, तो समुचित मुआवजा दिया जाएगा। यह आश्वासन भी दिया गया कि कराधान के मामले में भारत में किसी विदेशी कम्पनी की सहायक कम्पनी के रूप में कार्य कर रही कम्पनी की तुलना में इस कम्पनी के साथ कम तरफदारी नहीं होगी।

तेल कम्पनियों को दिये गए विभिन्न आश्वासनों और रियायतों में से ये दो बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं—

(i) कच्चे तेल के आयात के सम्बन्ध में तेल कम्पनियों के अधिकार; और

(ii) आयात समानता के आधार पर पेट्रोलियम उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना।

इस करार में यह भी कहा गया है—

"इन तेल कम्पनियों को अपनी पसन्द के साधनों से कच्चा तेल आयात करने के हेतु प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता दी गई है, बशर्ते कि कुछ शर्तों के अन्तर्गत भारत में उत्पादित कच्चे तेल का दायित्व वे अपने ऊपर ले लें। इन कम्पनियों को विदेशी मुद्रा के, जो कच्चे तेल के आयात के लिये अपेक्षित होगी, जारी करने का आश्वासन दिया गया है।"

कच्चे तेल के मूल्यों में काफी अधिक वृद्धि होती रही है। ये तीन विदेशी तेल कम्पनियां साधारणतः 77 लाख टन प्रतिवर्ष कच्चे तेल का आयात कर रही हैं। यह प्रतिवर्ष कच्चे तेल के 560 लाख पीपों से कुछ अधिक के बराबर है। अतः कच्चे तेल के मूल्य में प्रत्येक सेट की वृद्धि हो जाने से 5,62,000 डालर की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विदेशों में चली जाती है।

* आधे घण्टे की चर्चा।

*Half-an-Hour Discussion.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने 14 नवम्बर, 1972 को राज्य सभा में बताया कि तीनों विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

अतः, पेट्रोलियम उद्योग में कुल विदेशी निवेश 210 करोड़ रुपये तक का है और संयुक्त क्षेत्र की बात का बहुत अधिक प्रचार किया जा रहा है। यह बताया गया है कि नई तेल नीति के अन्तर्गत तेल के उद्योग के लिये संयुक्त क्षेत्र की स्थापना निश्चित मानी गई है।

सोवियत विशेषज्ञों के दल ने, जो अगस्त, 1970 में भारत आया था, तेल भण्डारों का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया। इस दल ने बताया कि यह देश अधिक-से-अधिक 1980 तक 640 लाख टन के कच्चे तेल की वार्षिक खपत 500 लाख टन होगी। इस समय वार्षिक उत्पादन लगभग 130 टन होने लगेगा।

मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इन विदेशी तेल कम्पनियों को हमारे भारतीय तेल कम्पनियों के उत्पाद से लाभ अर्जित करने दिया जाता है। सरकार न तो देश के हितों की ओर ध्यान देने में समर्थ है और न ही उसके आर्थिक हितों की ओर। मंत्री महोदय ने विदेशी तेल एकाधिकारी कम्पनियों के आगे घुटने टेक दिये हैं। यदि सरकार इस समझौते को रद्द नहीं कर सकती, तो वह इस देश को पूरी तरह विदेशी तेल एकाधिकारियों के पास गिरवी रख देगी।

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : I want to know the time by which the Government would take the final decision in this regard ?

***श्री एम० कतामुतु** (नागापहिनम) : इस समय ऐसा लगता है कि संयुक्त क्षेत्र के बारे में सोचा जा रहा है। मुझे भय है कि यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को जानती है कि विदेशी तेल कम्पनियां अपने भण्डारों को गुप्तरूप से इस देश से निकालकर ले जा रही हैं।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार संयुक्त क्षेत्र के विचार के खतरनाक प्रभावों को जानती है और वह इन विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करारों को रद्द करके इनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रही है ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार विदेशी तेल कम्पनियों को खुश करने की नीति कब तक अपनाती रहेगी और वह कब तक इन विदेशी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लेगी ?

श्री बालदण्डायुतम (कोयम्बटूर) : मेरे प्रश्न ये हैं :—

(एक) क्या सरकार को मालूम है कि ये कम्पनियां अब उत्पादन को कम करने और

---

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered, in Tamil.

इराक तथा अन्य देशों से कच्चे तेल के हमारे आयात में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं ।

(दो) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि ये कम्पनियां 1965 और 1971 की दोनों आपात स्थितियों में तेल की कम सप्लाई करती रहीं ?

(तीन) सरकार कब तक करार को रद्द और इन विदेशों तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करेगी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : ऐस्सो की पेशकश हाल ही में अक्तूबर में मिली थी । यह पहला अवसर है कि अपनी पेशकश में उन्होंने जो दो विकल्प रखे हैं, उनमें से यदि एक विकल्प सरकार द्वारा स्वीकृत होता है, तो परिशोधन सम्बन्धी समझौते को अवश्य ही रद्द कर दिया जायेगा । सरकार ने इस बात का निश्चय नीति के रूप में नहीं किया है कि हम एस्सो के साथ इक्विटी प्रतिभागी के रूप में समझौता करेंगे । ऐस्सो की पेशकश यह थी कि वह हमारे साथ 74 : 26 के आधार पर भाग लेना चाहेगी और सरकार तथा ऐस्सो द्वारा धारित पूंजी के अनुपात के आधार पर प्रबन्ध का नियंत्रण दिया जाएगा । ऐस्सो कम्पनी ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि अन्तिम समझौता कर देने के पश्चात् परिशोधन सम्बन्धी समझौता रद्द कर दिया जायेगा ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बहुत ही बुरी बात है कि उस समय किये गए समझौते में यह व्यवस्था की गयी थी कि 25 वर्षों के लिये कोई राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा और उन्हें इस खंड के अन्तर्गत कच्चे तेल को अपने स्रोतों से आयात करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

इन कम्पनियों की परिशोधन क्षमता पर हमारा नियंत्रण 65 प्रतिशत के लगभग है । सरकार आंकड़ों तथा तथ्यों को जानने हेतु सूचना प्राप्त करने के लिए तन्त्र की स्थापना करने के पहले निर्णय का अनुसरण कर रही है और यदि ये तथ्य प्राप्त हो गये, तो इससे किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में सरकार को सहायता मिलेगी । राष्ट्रीयकरण के विकल्प को रद्द नहीं किया जा सकता । हम यह पता लगाना चाहते हैं कि इसे करने के लिए कौन-सा सर्वोत्तम उपाय है । इसका निर्धारण विभिन्न कम्पनियों से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकता है ।

हमें इस देश में उत्पादों की मांग की पूर्ति करनी है । यह तथ्य निर्विवाद है कि यह मांग वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है । हमें अपनी परिशोधन क्षमता को बढ़ाना है और यह सुनिश्चित करना है कि जब तक उत्पादों सम्बन्धी हमारी पूरी मांग स्वयं अपने परिशोधन कारखानों द्वारा ही पूरी की जा सके, तब तक हमारे पास दो वैकल्प हैं या तो अतिरिक्त परिशोधन कार्य को समाप्त ही कर दिया जाये अथवा उन पदार्थों का आयात न किया जाए, जो बहुत मूल्यवान हैं एवं देश के हित में नहीं हैं । अतः सरकार को इन सभी बातों का व्यावहारिक ढंग से ध्यान रखना है । सरकार निश्चित रूप से यह नहीं चाहती कि यह सब-कुछ लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक हो । परन्तु हमें ऐसी स्थिति का सामना करना है, जिसमें देश में पदार्थों की मांग की तुरन्त पूर्ति

आवश्यक रूप से हो, तो हम केवल भाषा के अनुसार ही नहीं चल सकते, अपितु हमें तथ्यों का भी ध्यान रखना है ।

लाभ को वापस भेजने और स्वदेश कार्यालय व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए पग उठाये गए हैं और गत तीन वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि इस पर लाभ भेज देने का काफी सीमा तक दमन किया गया है और इसे नियंत्रित भी किया गया है और लाभ को वापस भेजने के कम मामलों में अनुमति दी गयी है ।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस मामले पर उचित ढंग से विचार कर रहे हैं और हम इस पर यथाशीघ्र निर्णय कर लेना चाहते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 19 **दिसम्बर**, 1972/28 **अग्रहायण** 1894 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 19, 1972/Agrahayana 28, 1894 (Saka).

Printed at Shahdara Printing Press. K-18, Navin Shahdara, Delhi 32 18-12-72 490